



दूसरी SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2015-2016

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसंबर, December, 2015

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच 2015-2016.

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2015-2016.

वर्ष 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 68 अनुदान मांगे तथा 3 विनियोग हैं। ₹56,256.32 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद सहित प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹18,195.40 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/उगाहियों के समतुल्य कुल अतिरिक्त व्यय ₹38,059.78 करोड़ बनता है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोजन के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए सहित, ₹114 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2015-2016 includes 68 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹56,256.32 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹18,195.40 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹38,059.78 crore. Besides, token provision of ₹114 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं :-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)				
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
8 उर्वरक विभाग	8 Department of Fertilisers			
फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड को ऋण (₹ 965.01 करोड़)।	Loan to Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (₹965.01 crore).	952.80	-	952.80
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10 नागर विमानन मंत्रालय	10 Ministry of Civil Aviation			
(क) (i) गगन परियोजना और जम्मू हवाई अड्डा के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹ 1.66 करोड़); और (ii) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के लिए पूंजी आस्ति सृजन हेतु सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.34 करोड़)।	(a) For meeting additional (i) requirement for GAGAN project and Jammu Airport (₹1.66 crore) and (ii) expenditure under Grants for Creation of Capital Assets for Airport Authority of India (₹0.34 crore)	1.66	-	1.66
(ख) (i) विनिमय दर में विभिन्नता के कारण एयरलाइन्स को भुगतान के लिए हज सब्सिडी संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure on Haj subsidy for the payment to airlines due to variation in exchange rate.	-	27.66	27.66
(ग) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) चालू परियोजनाओं के लिए निवेश के रूप में भारतीय होटल निगम में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹5 करोड़) और (ii) विमानन प्रशिक्षण अकादमी और क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य के लिए व्यय (₹24.63 करोड़)।	(c) For meeting additional (i) requirement towards Hotel Corporation of India as investment for on-going projects (₹5 crore) and (ii) expenditure for construction work of Aviation Training Academy and Regional Offices (₹24.63 crore).	7.34	-	7.34
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14 डाक विभाग	14 Department of Posts			
(क) केरल के कलीकट स्थित पोस्टल स्टॉक डिपो के भवनों के संबंध में (₹ 0.12 करोड़) और प.बंगाल के कोलकाता में (₹ 1.26 करोड़) के किराये के बकाया का भुगतान करने तथा पतनमथिता मुख्य डाक घर द्वारा	(a) For meeting payments arising out of court orders for arrears of rent in respect of buildings of Postal Stock Depot at Calicut, Kerala (₹0.12 crore), Kolkata, West Bengal (₹1.26 crore) and arrears			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्ति Non Plan	जोड़ Total
विजली प्रभार के बकाया (₹0.42 करोड़) का भुगतान के लिए न्यायालय के आदेश से उत्पन्न भुगतान पूरा करने हेतु।	of electricity charges by Pathanamthitta Head Post Office (₹0.42 crore).	-	1.80	1.80
(ख) पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने और उसके लिए नेटवर्क एकीकरण के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting the expenditure towards setting up of Post Bank of India and Network Integration therefor.	40.00	-	40.00
(ग) वाराणसी, हैदराबाद और अहमदाबाद में भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण में न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान की राशि पूरी करने के लिए।	(c) For meeting payments arising out of Court judgments in land acquisition/ construction of building at Varanasi, Hyderabad and Ahmedabad.	0.14	-	0.14
(घ) लंबित दावों के निपटान के लिए 'बैंकिंग और पोस्टल लाइफ इश्योरेंस सोल्युशन्स का विकास और कार्य पर लगाने' के अंतर्गत भुगतान करने के लिए।	(d) For meeting the expenditure towards payment under "Development and Deployment of Banking and Postal Life Insurance Solutions" for settlement of pending claims.	11.26	-	11.26
15 दूर संचार विभाग पुनरुद्धार और वेतन के भुगतान हेतु आईटीआई लिमिटेड को वित्तीय सहायता प्रदान करना।	15 Department of Telecommunications For providing financial relief to ITI Limited towards revival and payment of salary.	-	344.02	344.02
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 उपभोक्ता मामले विभाग निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) दालों के आयात पर हानि की सीमा बढ़ाना और (ii) स्कीम अवधि के दौरान आयात की गई दाल।	17 Department of Consumer Affairs For meeting additional expenditure towards reimbursement of the claims for (i) raising the limit of losses on import of Pulses and (ii) pulses imported during the scheme period.	-	53.00	53.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
19 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हेतु कार्यालयी स्थान की खरीद के लिए पूंजी आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। (ख) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं को पूरी करने हेतु निधियों की अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	19 Ministry of Corporate Affairs (a) For meeting additional expenditure under the Grants for creation of Capital Assets for purchase of Office space for Competition Commission of India. (b) For meeting additional expenditure towards infrastructure facilities for the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal.	-	129.25	129.25
		-	17.00	17.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
22 रक्षा पेंशन (क) न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान पूरा करने के लिए (ख) पेंशन और पेंशन वृद्धि संबंधी बढ़ी हुई सहायता दर के कारण व्यय पूरा करने के लिए।	22 Defence Pensions (a) For meeting payments arising out of Court orders. (b) For meeting expenditure towards increased rate of relief on pensions and growth in pensions.	-	2.26	2.26
		-	5735.74	5735.74
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
30 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) भारतीय लोक लेखा में रखे गए स्वच्छ भारत उपकर	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation (a) For meeting additional expenditure (i) for transferring the Swachh Bharat Cess			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
का राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण, (₹ 2.40 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत अभियान पर, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से पूरा किया जाएगा (₹ 2.40 करोड़)।	to Rashtriya Swachhata Kosh(RSK), kept in Public Account of India (₹2.40 crore) and (ii) on Swachh Bharat Abhiyan, which will be met from RSK (₹2.40 crore).	2.40	-	2.40
(ख) स्वच्छ भारत अभियान के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए (₹2.40 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (₹ 60.20 करोड़)।	(b) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Swachh Bharat Abhiyan (₹240 crore) and National Rural Drinking Water Programme (₹60.20 crore).	240.00	-	240.00
(ग) व्यय पूरा करने हेतु (i) स्वच्छ भारत उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए (₹2395.20 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 2155.20 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर (₹ 541.80 करोड़)।	(c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK (₹2395.20 crore), (ii) for implementing the scheme on Swachh Bharat Abhiyan (₹2155.20 crore) and (iii) on NRDWP (₹541.80 crore).	2,155.20	-	2155.20
(घ) व्यय पूरा करने के लिए (i) भारतीय लोक लेखा में रखे गए स्वच्छ भारत उपकर को राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण, (₹2.40 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान के लिए (₹2.40 करोड़)।	(d) For meeting expenditure (i) for transfer of SBC of (₹2.40 crore) to RSK, kept in the Public Account in India, (ii) towards grants to UT Governments under SBA (₹2.40 crore).	2.40	-	2.40

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

47 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

47 Ministry of Food Processing Industries

(क) संस्थाओं और प्रशासन सुदृढीकरण स्कीम के तहत एनआईएफटीईएम के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹9.92 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹10.08 करोड़) प्रदान करने के लिए।

(a) For providing providing additional Grants-in-aid-Salaries (₹9.92 crore) and Grants-in-aid-General (₹10.08 crore) for NIFTEM under the Scheme for strengthening of Institutions and Administration.

- 19.10 19.10

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

50 एड्स नियंत्रण विभाग

50 Department of AIDS control

(क) औषधि, किट्स और सामग्री की खरीद के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।

(a) For providing additional Grants for Procurement of Drug, Kits and materials.

90.00 - 90.00

(ख) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां (₹22 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां (₹ 31 करोड़)।

(b) For providing Grants-in-aid General to (i) State AIDS Control Societies (₹22 crore) and (ii) North East Region State AIDS Control Societies (₹31 crore).

22.00 - 22.00

(ग) निम्न लिखित प्रदान करने के लिए 1 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को सामान्य सहायता अनुदान (i) विश्व बैंक से ऋण (ईएपी घटक) (₹43 करोड़) और (ii) घरेलू बजटीय सहायता घटक (₹63 करोड़) और 2. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 59.50 करोड़)।

(c) For providing 1.Grants-in-aid General to State AIDS Control Societies under (i) credit from World Bank (EAP Component) (₹43 crore) & (ii) Domestic Budgetary Support component (₹63 crore) and 2. Grants in Aid General to State AIDS Control Societies (₹59.50 crore).

106.00 - 106.00

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

53 गृह मंत्रालय

53 Ministry of Home Affairs

(क) राजभाषा अर्थात् क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के तहत विभिन्न स्कीमों के संबंध में वेतन पर व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.13 करोड़)

(a) For meeting expenditure on Salaries in respect of various schemes under Official Language viz Regional

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.87 करोड़)।	Implementation Office (₹0.13 crore) and Central Hindi Training Institute (₹0.87 crore)	1.00	-	1.00
(ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय खर्च (₹ 75 करोड़) (ii) वाईटल स्टैटिस्टिक सिस्टम के सुधार के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Office expenses for implementation of National Population Register (₹75 crore) (ii) Professional Services under Improvement of Vital Statistics System (₹1 crore)	76.00	-	76.00
(ग) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को भुगतान हेतु पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹ 218 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for payment to State Governments under National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance (₹218 crore)	104.16	-	104.16
54 मंत्रिमण्डल निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) प्रधानमंत्री के वायुयान के रखरखाव के लिए लंबित दावों का निपटान करना (₹ 144.30 करोड़); (ii) केबिनेट मंत्रियों के विदेश यात्रा खर्चों के कारण लंबित बिलों का भुगतान करना (₹ 54 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का गुप्त सेवा व्यय (₹ 1 करोड़)।	54 Cabinet For meeting expenditure towards (i) clearing pending claims for maintenance of PM's aircraft (₹144.30 crore) (ii) clearing pending bills on account of Foreign Travel Expenses of Cabinet Ministers (₹54 crore) and (iii) secret service expenditure of National Security Council Secretariat (₹1 crore).	-	196.28	196.28
55 पुलिस निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) वेतन (₹ 581 करोड़) (ii) राशन की लागत (₹ 760 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा खर्च (₹ 185 करोड़) (iv) भूमि पत्तन प्राधिकरण का सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.50 करोड़) (v) भूमि पत्तन प्राधिकरण का सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)।	55 Police For meeting expenditure towards (i) Salaries (₹581 crore) (ii) Cost of Ration (₹760 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹185 crore) (iv) Grants in aid Salary of Land Port Authority (₹0.50 crore) (v) Grants in aid General of Land Port Authority (₹2 crore).	-	899.98	899.98
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63 चुनाव आयोग भारत अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम जुटाने संबंधी ₹ 5 करोड़ अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	63 Election Commission For meeting additional expenditure of ₹5 crore on the mobilisation advance to Central Public Works Department towards construction of India International Institute of Democracy and Election Management Campus	-	1.29	1.29
65 विनियोग - भारत का सर्वोच्च न्यायालय व्यावसायिक सेवाओं तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इतिहास का पता लगाना की परियोजना के लिए दिल्ली पुलिस हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	65 Appropriation - Supreme Court of India For meeting additional expenditure towards Professional Services to Delhi Police for the project "Tracing History of Supreme Court and High Courts.	-	13.52	13.52
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय (क) (i) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए कार्यान्वयन स्कीम हेतु बिजली क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियों को अंतरण पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़)। (ii) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम का कार्यान्वयन पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़) और (iii) पारेषण तथा	77 Ministry of Power (a) For (i) transfer of fund to the Power Sector Development Fund (PSDF) for implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity (₹200 crore); (ii) implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity to be met from			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 75.32 करोड़)।	PSDF (₹200 crore) and (iii) strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹75.32 crore).	200.00	-	200.00
(ख) पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 117.17 करोड़)।	(b) For strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹117.17 crore).	28.52	-	28.52
(ग) (i) पारेक्षण और वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 150.65 करोड़), और (ii) राष्ट्रीय जल विद्युत कारपोरेशन के तहत किशनगंज एचईपी और चुटक परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।	(c) For (i) strengthening of transmission and distribution network, metering and achieving the goal of "Power for all" under 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (₹150.65 crore) and (ii) meeting additional expenditure to Kishanganga HEP and Chutak projects under National Hydro Power Corporation (₹100 crore);	50.65	-	50.65
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
78 विनियोग - राष्ट्रपति के कर्मचारी, आवास और भत्ते भारत की आकस्मिक निधि से स्वीकृत अग्रिम की वापसी सहित अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए।	78 Appropriation - Staff, Household and Allowances of the President For meeting additional establishment related expenditure including recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India.	-	3.38	3.38
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84 ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(a) For augmentation of provision under North Eastern Areas towards Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.	300.00	-	300.00
(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna.	2,700.00	-	2700.00
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96 वस्त्र मंत्रालय भारत कपास निगम के एमएसपी संचालन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	96 Ministry of Textiles For meeting additional expenditure for MSP operation of Cotton Corporation of India.	-	259.59	259.59
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104 शहरी विकास विभाग	104 Department of Urban Development			
(क) निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकरण के अंतरण के लिए (₹60 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (₹60 करोड़)।	(a) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for North Eastern Region under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹60 crore) and (ii) Swachh Bharat Mission (Urban) (₹60 crore) for North Eastern Areas.	60.00	-	60.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए (₹464 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में बढ़ोत्तरी के लिए अंतरण (₹ 464 करोड़)।	(b) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹464 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹464 crore).	464.00	-	464.00
(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए (₹76 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में बढ़ोत्तरी के लिए अंतरण (₹ 76 करोड़)।	(c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹76 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹76 crore).	76.00	-	76.00

**जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय**

**MINISTRY OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT AND
GANGA REJUVENATION**

**107 जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय**

**107 Ministry of Water Resources, River
Development and Ganga Rejuvenation**

- (क) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत सहायता के शर्तों में पोलवारम सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।
- (ख) निम्न के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (₹ 1500 करोड़) (ii) वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीएफएमपी) के तहत सरयू नगर राष्ट्रीय परियोजना (₹ 500 करोड़); और (iii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'सीएडीएण्डडब्ल्यूएम' घटक (₹ 500 करोड़)।

- (a) For providing additional fund for Polavaram Irrigation Project in terms of support under Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014.
- (b) For providing additional Grants for Creation of Capital Assets' under (i) 'Accelerated Irrigation Benefit Programme' (₹1500 crore), (ii) Saryu Nahar National Project (₹500 crore) under the scheme 'Accelerated Irrigation Benefit and Flood Management Programme (AIBFMP) and (iii) 'CAD&WM' component of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY) (₹500 crore).

300.00 - 300.00

2,500.00 - 2,500.00

कुल नकद व्यय

Total Cash Outgo

10,491.53 7,703.87 18,195.40

3. पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग ₹ 38,059.78 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा मंत्रालयों/विभागों की सामान बचत से पूरा किया जाता है। ये मदें निम्नानुसार हैं:

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹38,059.78 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

**तकनीकी पूरक अनुदान मांगें
रसायन और पेट्रोरसायन मंत्रालय**

**Technical Supplementary Demands for grants
MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILISERS**

7 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

7 Department of Chemicals and Petrochemicals

वेतन और अन्य आकस्मिक व्यय के कारण भुगतान के लिए हिंदुस्तान आर्गेनिक लिमिटेड को भारत

For recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned in respect of Hindustan

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वापसी।	Organic Chemicals Limited for payment of dues on account of interest on bonds.	-	24.61	24.61
9 भेषज विभाग	9 Department of Pharmaceuticals			
वेतन और अन्य आकस्मिक व्यय के कारण भुगतान के लिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड को भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वापसी।	For recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India to Hindustan Antibiotic Limited for payment of dues on account of Salaries and other contingency expenditure.	-	12.75	12.75
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10 नागर विमानन मंत्रालय	10 Ministry of Civil Aviation			
निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) चालू परियोजनाओं के लिए निवेश के रूप में भारतीय होटल निगम में आवश्यकता (₹ 5 करोड़) और (ii) विमानन प्रशिक्षण अकादमी और क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य के लिए व्यय (₹24.63 करोड़)।	For meeting additional (i) requirement towards Hotel Corporation of India as investment for on-going projects (₹5 crore) and (ii) expenditure for construction work of Aviation Training Academy and Regional Offices (₹24.63 crore)	22.29	-	22.29
12 वाणिज्य विभाग	12 Department of Commerce			
निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) में अतिरिक्त निवेश का व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards additional investment in Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC).	50.00	-	50.00
13 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	13 Department of Industrial Policy and Promotion			
चेन्नई में बौद्धिक सम्पदा कार्यालय भवन के निर्माण के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards the construction of office building for Intellectual Property Office (IPO) at Chennai.	3.07	-	3.07
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य अनाज की खरीददारी के लिए नकद प्रवाह की जरूरतें पूरी करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए।	For providing Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet cash flow requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System.	-	10,000.00	10,000.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
28 रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परियोजना	28 Capital Outlay on Defence Services			
न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान पूरा करने के लिए।	For meeting payment arising out of Court Orders.	-	43.15	43.15
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
29 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29 Ministry of Development of North Eastern Region			
नॉन लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (केंद्रीय) के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure under Non-Lapsable Central Pool of Resources (Central).	60.00	-	60.00
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
30 पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	30 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च के लिए	(a) For meeting additional expenditure (i) for transferring the Swachh Bharat Cess			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (आरएसके) के लिए, भारत के लोक लेखा में रखे गए, स्वच्छ भारत उपकरण का अंतरण के लिए (₹2.40 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत अभियान पर व्यय, जो आरएसके (₹2.40 करोड़) से पूरा किया जाएगा।	to Rashtriya Swachhata Kosh(RSK), kept in Public Account of India (₹2.40 crore) and (ii) on Swachh Bharat Abhiyan, which will be met from RSK (₹2.40 crore).	2.40	-	2.40
(ख) स्वच्छ भारत अभियान (₹ 240 करोड़) और राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (₹ 60.20 करोड़) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(b) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Swachh Bharat Abhiyan (₹240 crore) and National Rural Drinking Water Programme (₹60.20 crore).	60.20	-	60.20
(ग) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत उपकरण कि राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए, (₹ 2395.20 करोड़) (ii) स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए (₹ 2155.20 करोड़) और (iii) एसबीए के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान के लिए (₹ 541.80 करोड़)।	(c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swachh Bharat Cess to RSK (₹2395.20 crore), (ii) for implementing the scheme on Swachh Bharat Abhiyan (₹2155.20 crore) and (iii) on NRDP (₹541.80 crore).	2,937.00	-	2937.00
(घ) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वच्छ भारत अभियान (₹ 2.40 करोड़) से राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण के लिए, भारत के लोक लेखा में रखे गए (ii) एसबीए के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान के लिए (₹ 2.40 करोड़)।	(d) For meeting expenditure (i) for transfer of SBC of (₹2.40 crore) to RSK, kept in the Public Account in India, (ii) towards grants to UT Governments under SBA (₹2.40 crore).	2.40	-	2.40
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
32 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	32 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
निम्न प्रदान करने के लिए (i) पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता (उत्कृष्टता केंद्र) को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 4.90 करोड़) और (ii) जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए व्यवहार्य अंतरालनिधियन हेतु ऊर्जा संयंत्र को 12 मेगावाट अपशिष्ट के लिए पूर्वी दिल्ली अपशिष्ट प्रक्रिया प्रसंस्करण कंपनी लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान, (₹120 करोड़)।	For providing (i) additional Grants-in-aid Salaries to Environment Information, Education and Awareness (Centres of Excellence) (₹4.90 crore) and (ii) Grants-in-aid-general (₹120 crore) to East Delhi Waste Processing Company Limited for the 12 MW Waste to Energy Plant towards viability gap funding for Waste Management Facility under Climate Change Action Plan.	120.00	-	120.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
34 आर्थिक कार्य विभाग	34 Department of Economic Affairs			
अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल निधियन के लिए सहायता के कारण 500 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने के लिए।	For providing additional grants of ₹500 crore on account of Assistance for Infrastructure Development Viability Gap Funding.	485.00	-	485.00
37 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	37 Transfers to State and Union Territory Governments			
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like hailstorm, unseasonal rain etc. from National Disaster Response Fund (NDRF).	-	2,989.00	2,989.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	48 Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए 1. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) 2. निम्न स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (i) आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली (₹ 150 करोड़) (ii) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी (₹140 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General to Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹10 crore) 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹150 crore) (ii) Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹140 crore)	300.00	-	300.00
(ख) जिले के अन्तर्गत नए मेडिकल कालिज/ रेफरल हास्पिटल की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for financial assistance to State Govts. for establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals.	15.00	-	15.00
(ग) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जिला/रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु (₹135 करोड़)। (ii) राजकीय औषध विनियामक प्रणाली के सुदृढीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय औषध प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹50 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets for providing financial assistance to State Governments: Establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals (₹135 Crores). (ii) Grants-in-aid General for providing financial assistance to State Government to set-up state level Drug Laboratories (₹50crore) under the Scheme of Strengthening of State Drug Regulatory System.	135.00	-	135.00
(घ) निम्न को अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु 1. अस्पताल के पुर्नविकास - मशीनरी उपकरण (₹ 50 करोड़), प्रमुख निर्माण कार्य (₹100 करोड़) पर व्यय की पूर्ति करने के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली एम्स को मशीनरी और उपकरण (₹ 175 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹50 करोड़) सीजीएचएस (₹40.74 करोड़), डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल को मशीनरी और उपकरण (₹ 10.90 करोड़), लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल के लिए मशीनरी और उपकरण (₹0.70 करोड़), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के लिए प्रमुख निर्माण कार्य (₹37.19 करोड़) और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संघटन के लिए प्रमुख निर्माण कार्य (₹50 करोड़) का व्यय पूरा करने हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on redevelopment of hospital – Machinery Equipment (₹50 crore), Major works (₹100 crore) to Safdarjung Hospital, New Delhi for meeting expenditure, Machinery Equipment (₹175 crore) and Major works (₹50 crore) to AIIMS, CGHS (40.74 crore), Machinery Equipment (₹10.90 crore) to Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Machinery Equipment (₹0.70 crore) for Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, Major Works (₹37.19 crore) for National Centre for Disease Control and Major Works (₹50 crore) for Central Drugs Standards Control Organisation.	150.00	-	150.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
50 एड्स नियंत्रण विभाग	50 Department of AIDS control			
निम्नलिखित के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान की आवश्यकता है (i) विश्व बैंक से ऋण के तहत (ईएपी घटक) (₹43 करोड़) और (ii) घरेलू बजटीय	For providing 1.Grants-in-aid General to State AIDS Control Societies under (i) credit from World Bank (EAP Component) (₹43 crore) & (ii) Domestic Budgetary Support			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सहायता घटक (₹63 करोड़) और 2. राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को सामान्य सहायता अनुदान (₹59.50 करोड़)।	component (₹63 crore) and 2. Grants in Aid General to State AIDS Control Societies (₹59.50 crore).	49.50	-	49.50
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
(क) कचार पेपर मिल (सीपीएम), की अतिरिक्त व्यय के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 101.87 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards Grant-in-aid General for NER for Cachar Paper Mill (CPM) (₹101.87 crore)	51.87	-	51.87
(ख) एफएएमई - इंडिया स्कीम की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for the Scheme FAME - India.	144.54	-	144.54
(ग) 2015-16 की अवधि के लिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में गारंटी शुल्क सब्सिडी।	(c) Guarantee fee subsidy for the period 2015-16 to Heavy Engineering Corporation Ltd. as revival package.	-	2.53	2.53
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 गृह मंत्रालय	53 Ministry of Home Affairs			
विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत राज्य सरकारों को भुगतान के लिए पूंजी अस्ति के सृजन हेतु सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹ 218 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grats for creation of Capital Assets for payment to State Governments under National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance (₹218 crore)	14.20	-	14.20
55 पुलिस	55 Police			
निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) वायुयान का ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार और बीएसएफ वायु संकथ द्वारा लंबित बिलों/देनदारियों का निपटान करने के लिए (₹ 55.36 करोड़), (ii) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण को एकीकृत चेक पोस्ट बनाने के लिए पूंजी अस्तियों सृजन हेतु अनुदान (₹ 15 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) ground handling charges of Aircraft and clearing pending bills/liabilities by BSF Air Wing (₹55.36 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Land Port Authority of India and for creating Integrated Check Posts (₹15 crore)	70.36	-	70.36
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
न्यायालय के आदेश के कारण अशोक पेपर मील के कर्मचारियों की देनदारियों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु।	For meeting expenditure towards settlement of dues of employees of Ashok Paper Mill due to Court Orders.	-	44.45	44.45
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information And Broadcasting			
(क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण संगीत और नाटक प्रभाग के वेतन और भत्तों के बकाया भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की वापसी के लिए।	(a) For recoupment of Contingency Fund of India advance sanctioned for making payment of arrears of Pay and allowances to employees of Song & Drama Division arising out of Supreme Court orders.	-	73.70	73.70
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62 श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
"अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढीकरण और डीजीएमएस के प्रमुख कार्यों की स्कीमों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹3 करोड़) और डीजीएफएसएलआई संगठन का सुदृढीकरण और फैक्ट्रियों का पत्तन और गोदी में सुरक्षा और स्वास्थ्य	For meeting additional expenditure under the schemes of 'Strengthening of Infrastructure facilities and core functions of DGMS (SOCFOD)' (₹3 crore) and 'Strengthening of DGFASLI Organisation			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
(₹3 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	and Occupational Safety and Health in Factories Ports and docks' (₹3 crore).	6.00	-	6.00
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
63 विधि एवं न्याय मंत्रालय	63 Election Commission			
भारत अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम जुटाने संबंधी ₹ 5 करोड़ अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure of ₹5 crore on the mobilisation advance to Central Public Works Department towards construction of India International Institute of Democracy and Election Management Campus.	-	3.71	3.71
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
(i) ग्रिड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिनूवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹400 करोड़)। (ii) ग्रिड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिनूवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी कोरीडोर के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 200 करोड़)। (iii) ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिनूवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹153.37 करोड़)। (iv) ऑफ ग्रिड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिनूवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सब्सिडी (₹246.63 करोड़)।	For providing 1. 'Grants-in-aid General' under the scheme (i) Grid Interactive and Distributed Renewable Power for Solar Power (₹400 crore) (ii) 'Grid Interactive and Distributed Renewable Power' for Green Energy Corridors (₹200 crore) (iii) Off-Grid/ Distributed and Decentralised Renewable Power for Solar Power (₹153.37 crore) 2. Subsidy for Solar Power under the scheme 'Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power(₹246.63 crore).	1,000.00	-	1000.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (₹ 1.21 करोड़) और (ii) लोक शिकायतों हेतु प्रशासनिक सुधार (₹ 0.42 करोड़)।	(a) For meeting expenditure for (i) Department of Personnel & Training (₹1.21 crore) and (ii) Administrative Reforms of Public Grievances (₹0.42 crore).	-	1.63	1.63
(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए व्यय पूरा करना।	(b) For meeting expenditure for Central Administrative Tribunal.	-	1.90	1.90
(ग) कर्मचारी चयन आयोग की मजदूरी के लिए व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure for wages of Staff Selection Commission.	-	0.23	0.23
(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का व्यय पूरा करना।	(d) For meeting meeting expenditure of CBI.	-	1.96	1.96
(ङ) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) केन्द्रीय सूचना आयोग (₹ 1.53 करोड़) और (ii) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (₹0.35 करोड़)।	(e) For meeting expenditure for (i) Central Information Commission (₹1.53 crore) & (ii) Public Enterprise Selection Board (₹0.35 crore).	-	1.88	1.88
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय	76 Ministry of Planning			
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कैप्टिव डाटा सेंटर स्थापित करने संबंधी अतिरिक्त खर्च पूरा करना।	For meeting additional expenditure for setting up of Captive Data Centre of Unique Identification Authority of India.	34.00	-	34.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77 विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
(क) (i) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए कार्यान्वयन स्कीम हेतु बिजली क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियों को अंतरण के लिए (₹200 करोड़) और (ii) पीएसडीएफ से गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम का कार्यान्वयन (₹200 करोड़) और (iii) पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए (₹75.32 करोड़)।	(a) For (i) transfer of fund to the Power Sector Development Fund (PSDF) for implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity (₹200 crore); (ii) implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity to be met from PSDF (₹200 crore) and (iii) strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹75.32 crore).	200.00	-	200.00
(ख) पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए (₹117.17 करोड़)।	(b) For strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹117.17 crore).	41.05	-	41.05
(ग) (i) पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹150.65 करोड़); और (ii) राष्ट्रीय जल विद्युत कार्पोरेशन के तहत किशनगंगा एचईपी और चुटक परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 100 करोड़)।	(c) For (i) strengthening of transmission and distribution network, metering and achieving the goal of "Power for all" under 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (₹150.65 crore) and (ii) meeting additional expenditure to Kishanganga HEP and Chutak projects under National Hydro Power Corporation (₹100 crore);	200.00	-	200.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग तथा उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
79 लोक सभा	79 Lok Sabha			
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के घरेलू यात्रा व्ययों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure towards Domestic Travel Expenses of Speaker and Deputy Speaker.	-	0.21	0.21
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) केन्द्रीय सड़क निधि को पेट्रोल व डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त सड़क उपकर का अंतरण (₹ 5528.56 करोड़)। (ii) विजयवाड़ा के रंची सड़क में वर्तमान दो नए निर्माण कार्य हेतु (₹150 करोड़)। (iii) बामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत नए निर्माण कार्य (₹ 120 करोड़)। (iv) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम (₹180 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (i) transfer of additional road cess levied on petrol and diesel to Central Road Fund (₹5528.56 crore), (ii) two new works in Vijaywada - Ranchi Road. (₹150 crore), (iii) new works under Tribal Area Sub Plan in Left Wing Extremists affected Areas (₹120 crore) and (iv) Externally Aided Schemes (₹180 crore).	5,528.56	-	5528.56

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
84 ग्रामीण विकास विभाग	84 Department of Rural Development			
(क) केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण।	(a) Transfers to Central Road Fund.	8,968.41	-	8968.41
(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों की अतिरिक्त जरूरत पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for UTs under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.	6.00	-	6.00
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89 पोत परिवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लि. के कर्मचारियों को (i) सांविधिक देय (₹ 12.45 करोड़) और (ii) कर्मचारियों के लिए बड़ी हुई स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के क्रियान्वयन के लिए (₹ 70.26 करोड़)।	For payment of (i) statutory dues (₹12.45 crore) and (ii) implementation of improved Voluntary Retirement Scheme (₹70.26 crore) to the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Ltd.	-	40.23	40.23
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104 शहरी विकास विभाग	104 Department of Urban Development			
(क) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष हेतु स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण हेतु (₹ 60 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (₹60 करोड़) के अतिरिक्त व्यय हेतु।	(a) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for North Eastern Region under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹60 crore) and (ii) Swachh Bharat Mission (Urban) (₹60 crore) for North Eastern Areas.	60.00	-	60.00
(ख) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 464 करोड़)। (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान की वृद्धि (₹464 करोड़) के अतिरिक्त व्यय हेतु।	(b) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹464 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹464 crore).	464.00	-	464.00
(ग) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 76 करोड़) और (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 76 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(c) For meeting expenditure (i) for transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹76 crore) and (ii) augmentation of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹76 crore).	76.00	-	76.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
105 लोक निर्माण कार्य	105 Public Works			
न्यायालय के आदेशानुसार मै. ईस्ट इंडिया होटल लि. को भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम को वापस करना (₹ 6.15 करोड़) और (ii) लंबित मध्यस्थता पंचाट का भुगतान करना (₹ 4.89 करोड़)।	For (i) recoupment of CFI advance sanctioned for making payment to M/s. East India hotel Ltd. due to Court orders (₹6.15 crore) and (ii) payment of pending Arbitration awards (₹4.89 crore).	-	11.04	11.04

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
मध्यस्थता पंचाट के संबंध में ₹2 करोड़ की अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional fund of ₹2 crore in connection with arbitration award.	1.95	-	1.95
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला और बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Child Development			
(क) एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के तहत किए गए प्रावधान में वृद्धि।	(a) For augmentation of provision under NER & Sikkim towards Grants-in-aid General under Integrated Child Development Scheme.	355.00	-	355.00
(ख) एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सामान्य अनुदान देने के लिए (संशोधित लागत बंटवारा अनुपात के कारण)।	(b) For providing Grants-in-aid General under Integrated Child Development Scheme (due to revised cost sharing ratio).	3,193.00	-	3193.00
कुल तकनीकी	Total Technical	24,806.80	13,252.98	38,059.78

4. निम्नलिखित मदों के संबंध में भी एक-एक लाख रुपए के पूरक अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिसके समक्ष दिया गया व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, में बचतों के विनियोग से किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें कृषि मंत्रालय

1 कृषि और सहकारिता विभाग

क. (i) कृषोन्नति योजना राज्य आयोजना के अन्तर्गत "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना" के तहत सामान्य सहायता अनुदान में अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 0.25 करोड़)। (ii) जिला सिंचाई योजनाओं की तैयारी (₹ 30 करोड़) और प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना-अन्य उपाय के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 60 करोड़)। 2. कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन के तहत सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 0.80 करोड़)।

(ख) कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को सौर विद्युत ऊर्जा करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।

Token Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE

1 Department of Agriculture and Cooperation

(a) For providing 1. additional Grants-in-aid-General (i) under "National Project on Management of Soil Health and Fertility and for 'Organic Value Chain Development for NE Region' under Krishonnati Yojna – State Plan" (₹0.25 crore) (ii) for preparation of district irrigation plans (₹30 crore) and for Advertisement & Publicity (₹60 crore) under Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojna – Other Interventions. 2. Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad for providing solar power energy under Sub-Mission on Agricultural Extension under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹0.80 crore).

(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Institute of Agricultural Marketing, Jaipur for providing solar power energy.

91.05 - 91.05

1.08 - 1.08

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) (i) विभिन्न प्रशासनिक प्रयोजन शीर्ष विज्ञापन और प्रचार, व्यावसायिक सेवाओं के तहत "कार्बनिक मूल्य श्रृंखला विकास" के तहत अनुदान और सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹ 43.11 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20.77 करोड़), (ii) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 16.90 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.85 करोड़), और (iii) सामान्य सहायता अनुदान और (₹ 22 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8.37 करोड़) प्रदान करने के लिए।	(c) For providing (i) grants under 'Organic Value Chain Development for NE Region' under Krishomati Yojana' below various administrative object-heads, advertising & publicity, professional services and Grants-in-aid General (₹43.11 crore) and Grants for Creation of Capital assets (₹20.77 crore), (ii) Grants in aid-General (₹16.90 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1.85 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, and (iii) Grants in aid-General (₹22 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹8.37 crore) under Tribal Area Sub-Plan.	113.00	-	113.00
(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹3 करोड़)।	(d) For providing Grants-in-aid General for implementation of Paramparagat Krishi Vikas Yojna in Union Territories of NCT Delhi and Puducherry (₹3 crore).	3.00	-	3.00
(ङ) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए (₹ 0.80 करोड़) और राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना के लिए (₹ 0.80 करोड़)।	(e) For meeting expenditure for providing solar power energy to National Seeds Research and Training Centre (₹0.80 crore) and National Project on Promotion of Organic Farming (₹0.80 crore)	1.60	-	1.60
3. पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) राज्य सहकारी डेरी परिसंघ को सहायता के लिए नई स्कीम में अतिरिक्त मांग पूरी करना।	(a) For meeting additional demand in the new scheme for supporting State Cooperative Dairy Federation.	50.00	-	50.00
(ख) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली सुदृढीकरण स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोची को सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi under the scheme strengthening of Database and Geographical Information System for fishery sector.	3.30	-	3.30
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना।	(a) For providing additional Grants-in-aid Salaries to National Institute of Science Education & Research.	-	8.00	8.00
(ख) डीएई, कलपाक्कम काम्प्लेक्स को सुरक्षा बढ़ाने के लिए मशीनरी और उपस्कर के तहत (₹0.50 करोड़), प्रमुख निर्माण कार्यों (₹1.95 करोड़) और तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा को मीनरी और उपकरण के तहत (₹35 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य (₹35 करोड़) का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting the additional expenditure towards enhancement of security at DAE, Kalpakkam Complex under Machinery & Equipment (₹0.50 crore), Major works (₹1.95 crore) and Fast Reactor Fuel Cycle Facility under Machinery & Equipment (₹35 crore), Major works (₹35 crore).	72.45	-	72.45
(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए - निर्माण कार्य (₹0.02 करोड़)।	(c) For various capital projects of Department of Atomic Energy (₹0.02 crore)	42.06	-	42.06

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
6 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	6 Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(i) अखिल भारतीय होम्योपैथी संस्थान के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की बढ़ी हुई लागत (₹ 12.10 करोड़) के भुगतान के लिए और (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन), पुणे को कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य को भुगतान करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान स्कीम के तहत (₹7.66 करोड़)।	For providing Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, (i) All India Institute of Homoeopathy for making payment to Delhi Development Authority towards the enhanced cost of land (₹12.10 crore) and (ii) National Institute of Naturopathy (NIN), Pune for making payment to Revenue Department Maharashtra State for acquiring land for the construction of office building (₹7.66 crore).	19.76	-	19.76
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
9 भेषज विभाग	9 Department of Pharmaceuticals			
महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक को ₹ 1 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing Grants-in-aid General ₹1 crore each for establishment of three National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh	3.00	-	3.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
10 नागर विमानन मंत्रालय	10 Ministry of Civil Aviation			
इंडियन कैरियर्स, सूचना और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग की कारगरता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त आवयकता पूरी करना।	For meeting additional requirement for Enhancing Effectiveness of Indian Carriers, Information & Technology Networking and Capacity Building.	2.00	-	2.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12 वाणिज्य विभाग	12 Department of Commerce			
(i) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सब्सिडी (₹15 करोड़) (ii) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़) (iii) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद हेतु पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के लिए (₹10 करोड़), (iv) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता को सामान्य अनुदान सहायता (₹ 375 करोड़) (v) बाजार तक पहुंच की पहल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹50 करोड़) (vi) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (₹2 करोड़) और (vii) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (₹0.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय हेतु।	(a) For meeting the additional expenditure towards (i) subsidies to Marine Products Export Development Authority (MPEDA) (₹15 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) (₹5 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets towards Leather & Leather Product (₹10 crore), (iv) Grants-in-aid General to National Export Insurance Account (NEIA) (₹375 crore), (v) Grants-in-aid General to Market Access Initiative (MAI) (₹50 crore), (vi) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) ₹2 crore) under other Administrative Expenses and (vii) Director General of Foreign Trade (DGFT) (₹0.50 crore) under other Administrative Expenses.	457.50	-	457.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
15 दूर संचार विभाग	15 Department of Telecommunications			
जीवन पर मोबाइल टावर और हैंडसेट से विकिरण के संभावित प्रभाव के अध्ययन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना हेतु।	For meeting expenditure towards R&D project for studying the possible impact of radiation, exposure from mobile towers and handsets on life.	4.95	-	4.95
16 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	16 Department of Electronics and Information Technology			
(क) 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए (₹25 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन परियोजना के लिए (₹25 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid General under "Digital India Programme" (i) for the Externally Aided Project of Electronic Governance (₹25 crore) and (ii) for National Supercomputing Mission Project (₹25 crore).	50.00	-	50.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
18 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	18 Department of Food and Public Distribution			
(क) त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गोदाम के निर्माण के व्यय हेतु।	(a) For meeting expenditure towards construction of godowns in Tripura and Arunachal Pradesh.	6.61	-	6.61
(ख) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर में संबद्ध एनालिटिकल उपकरण के साथ किण्वन और आसवन इकाई की स्थापना के व्यय हेतु (₹1 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards setting-up fermentation and distillation unit along with associated analytical equipment in National Sugar Institute, Kanpur.	1.00	-	1.00
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
20 संस्कृति मंत्रालय	20 Ministry of Culture			
(क) "कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह अन्य (अभियान, स्कीम और स्वायत्त संगठन)" के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान - स्कीम की विभिन्न संघटक इकाइयों के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under the Scheme "Art and Culture and Centenary Celebrations - Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations)" towards Grants-in-aid General to various constituent units of the scheme.	37.90	-	37.90
(ख) (i) अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) संगीत नाटक अकादमी (₹ 1.05 करोड़) (ii) साहित्य अकादमी (₹ 3.32 करोड़) (iii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 0.27 करोड़) (iv) इलाहाबाद संग्रहालय (₹ 0.22 करोड़)। (i) संगीत नाटक अकादमी (₹1.90 करोड़) (ii) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली को वेतनों हेतु (₹ 0.10 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1.Grants-in-aid General to (i) Sangeet Natak Akademi (₹1.05 crore) (ii) Sahitya Akademi (₹3.32 crore) (iii) Gandhi Smriti and Darshan Smiti (₹0.27 crore) (iv) Allahabad Museum (₹0.22 crore) 2. Grants-in-aid Salaries to (i) Sangeet Natak Akademi (₹1.90 crore) (ii) Centre for Cultural Resources and training, New Delhi (₹0.10 crore).	-	6.86	6.86
(ग) कला और संस्कृति तथा शताब्दी समारोह अन्य (मिशन, अभियान, स्कीमें तथा स्वायत्त संगठन) स्कीम के अन्तर्गत को संगीत नाटक अकादमी को वेतन सहायता अनुदान का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure under the Scheme "Art and Culture and Centenary Celebrations - Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations)" towards Grants-in-aid Salaries to Sangeet Natak Akademi.	0.38	-	0.38

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
28 रक्षा सेवाओं पर पूंजीपरिव्यय थल सेना के निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	28 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure under Construction Works of Army.	-	1,588.00	1588.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
29 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29 Ministry of Development of North Eastern Region			
(क) "विश्व बैंक सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र जीविका परियोजना" स्कीम के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करना।	(a) For providing Grant-in-aid General under the scheme "North Eastern Region Livelihood Project with World Bank Assistance".	30.00	-	30.00
(ख) (i) "कारबी अंगलॉंग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज" स्कीम के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए ₹6 करोड़ और (ii) दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद को विशेष पैकेज के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान देने हेतु। (₹4 करोड़)।	(b) For providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) "Special Package for the Economic Development of the Karbi Anglong Autonomous Territorial Council Area" (₹6 crore) and (ii) "Special Package for Dima Hasao Autonomous Territorial Council" (₹4 crore).	10.00	-	10.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
31 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	31 Ministry of Earth Sciences			
(क) (i) भारतीय नौवहन निगम को भुगतान हेतु अपूर्व स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹27 करोड़) और (ii) ओ-स्टोर्म्स स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹6 करोड़) अतिरिक्त प्रदान करना।	(a) For providing additional (i) Grants-in-aid General (₹27 crore) under the Scheme APOORV for payment to Shipping Corporation of India and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹6 crore) under the Scheme O-STORMS.	33.00	-	33.00
(ख) रीचआउट स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-aid General under the Scheme REACHOUT.	6.00	-	6.00
(ग) (i) एक्रास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹68.30 करोड़) और (ii) सेज स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹2 करोड़) अतिरिक्त प्रदान करने हेतु।	(c) For providing additional (i) Grants-in-aid General (₹68.30 crore) under the Scheme ACROSS and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹2 crore) under the Scheme SAGE.	70.30	-	70.30
(घ) लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(d) For meeting additional expenditure under Major Works towards payment of pending liabilities.	4.00	-	4.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE			
32. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	32 Ministry of Environment, Forests & Climate Change			
(क) (i) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थाओं अर्थात् भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद को (₹4.90 करोड़) और भारतीय वन प्रबंध संस्थान को (₹0.40 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान; (ii) भारतीय वन प्रबंध संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹4.50 करोड़) और (iii) वन्य प्राणी प्रभाग सुदृढीकरण अर्थात् केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को	(a) For providing additional (i) Grants-in-aid General to Forestry and Wild Life Institutions viz. Indian Council of Forestry Research and Education (₹4.90 crore) and Indian Institute of Forest Management (₹0.40 crore); (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Institute of Forest Management (₹4.50			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और वन्य प्राणी संबंधी अपराध नियंत्रण (₹1.15 करोड़) को अतिरिक्त राशि देना।	crore) and (iii) Grants-in-aid General to Stengthening of Wildlife Divisions viz Central Zoo Authority (₹2 crore) and Control of Wildlife Crime (₹1.15 crore).	12.95	-	12.95
(ख) ईएपी घटक के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	(b) For providing Grants for creation of Capital Assets to National River Conservation Plan under EAP Component	5.00	-	5.00
(ग) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सिविल इंजीनियरिंग विंग के तहत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure towards Major Works under Civil Engineering Wing for construction of office building.	3.00	-	3.00

विदेश मंत्रालय

33. विदेश मंत्रालय

- (क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (i) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए दूतावासों और मिशन (₹276.02 करोड़) (ii) 'विशेष डिप्लोमेटिक व्यय' (₹1014 करोड़) और (iii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (₹917.31 करोड़)।
- (ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत विदेशों को निधियां प्रदान करना (i) नेपाल को सहायता (₹500 करोड़) (ii) म्यांमार को सहायता। (₹275 करोड़) (iii) अफ्रीकी देशों को सहायता (₹571.53 करोड़) और अफगानिस्तान को सहायता (₹463.67 करोड़)।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

33 Ministry of External Affairs

- (a) For providing additional funds under (i) 'Embassies and Missions' to meet establishment related expenditure (₹276.02 crore), (ii) 'Special Diplomatic Expenditure' (₹1,014 crore) and (iii) 'Central Passport Organisation' (₹917.31 crore);
- (b) For providing funds to foreign countries under the schemes (i) 'Aid to Nepal' (₹500 crore), (ii) 'Aid to Myanmar' (₹275 crore), (iii) 'Aid to African Countries' (₹571.53 crore) and 'Aid to Afghanistan' (₹463.67 crore).

वित्त मंत्रालय

34. आर्थिक कार्य विभाग

- (क) स्वर्ण स्कीम शुरू करने के लिए विज्ञापन और प्रचार प्रसार की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
- (ख) प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) के लिए आईडीबीआई द्वारा किए गए संवितरण के संबंध में (i) किराए, दरों और करों के लिए (₹0.95 करोड़) और (ii) किराए पर ली गई परामर्श सेवाएं जमा न किए गए रूपए के समतुल्य भुगतान के लिए (₹0.46 करोड़) की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।
- (ग) 'सरकारी खातों के लिए दावा न की गई प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान' के लिए एकमुश्त प्रावधान हेतु अतिरिक्त खर्च पूरा करना।
- (घ) आईएफएडी संसाधनों की 10वीं पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान और विनिमय में परिवर्तन के कारण खर्च पूरा करना।
- (ङ) अधिक डीजल कर संग्रहण के कारण केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण और रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए रेलवे को जारी करने के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF FINANCE

34 Department of Economic Affairs

- (a) For meeting additional expenditure towards advertisement and publicity for the launch of Gold Schemes
- (b) For meeting additional expenditure towards (i) Rent, Rates and Taxes (₹0.95 crore) and (ii) payment of hired consultancy services-Non Deposit Rupee equivalent in respect of disbursement made by IBRD for Security Appellate Tribunal (SAT) (₹0.46 crore).
- (c) For meeting additional expenditure for lumpsum provision towards Payment in connection with Unclaimed Securities credited to Government Accounts'.
- (d) For meeting expenditure towards Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) on account of exchange variation to 10th Replenishment of the IFAD Resources.
- (e) For meeting additional expenditure towards transfer to Central Road Fund on account of higher collection of diesel cess and further release to Railways for Railways Safety Works.

1724.00 - 1724.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(च) निम्नलिखित की अतिरिक्त जरूरत हेतु (i) अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीएफ) को अंशदान (₹36.26 करोड़) (ii) विशेष आहरण अधिकारों के प्रशासन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि को देय मूल्यांकन प्रभार (₹0.22 करोड़) (iii) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय न्यास निधि (एसईईटीएफ) को अंशदान के लिए व्यय पूरा करना (₹3.25 करोड़) और (iv) प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अंशदान (₹13.40 करोड़)।	(f) For meeting additional expenditure towards (i) subscription to African Development Fund (AfDF) (₹36.26 crore) (ii) Assessment charges payable to International Monetary Fund in regard to Administration of Special drawing Rights (₹0.22 crore) (iii) Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund (SEETF) (₹3.25 crore) and (iv) Contributions to International Development Association (IDA) (₹13.40 crore).	-	53.13	53.13
(छ) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि में अंशदान (₹1.52 करोड़) (ii) टीकाकरण और प्रतिरक्षण (जीएवीआई) के लिए वैश्विक गठजोड़ को अंशदान (₹0.53 करोड़)।	(g) For meeting additional expenditure towards (i) Contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (₹1.52 crore) (ii) Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹0.53 crore)	-	2.05	2.05
(ज) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निवासी प्रतिनिधि का व्यय (₹0.98 करोड़) (ii) विनिमय दर में परिवर्तन की वजह से वैश्विक पर्यावरण सुविधा न्यास निधि को अंशदान (₹1.71 करोड़)।	(h) For meeting additional expenditure (i) Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme (₹0.98 crore) (ii) Contributions to Global Environment Facility Trust Fund (₹1.71 crore) on account of exchange rate variation.	-	2.69	2.69
(झ) (i) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के सृजनार्थ चुकाई गई पूंजी के लिए स्वीकृत सीएफआई अग्रिम के रिकूपमेंट के लिए (₹0.02 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड (₹0.02 करोड़)।	(i) For recoupment of CFI advance sanctioned for paid up capital for creation of National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) (₹0.02 crore) and National Investment & Infrastructure Fund Trustee Limited (₹0.02 crore)	-	0.04	0.04
(ञ) (i) (क) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई) का भुगतान (₹6.27 करोड़) (ii) सामान्य पूंजी वृद्धि के तहत 1744 अतिरिक्त शेयरों के आबंटन के लिए (विनिमय दर में परिवर्तन के लिए (₹5.19 करोड़ + ₹0.43 करोड़) (iii) ब्रिक्स-न्यू डेवलपमेंट बैंक को अंशदान का भुगतान (₹70.00 करोड़)।	(j) For meeting additional expenditure towards (i) Payment of General Capital Increase (GCI) (₹6.27 crore) (ii) allotment of 1,744 additional shares under General Capital Increase (₹5.19 crore + ₹0.43 crore towards exchange rate variation) (iii) Subscription payment to BRICS- New Development Bank (₹70 crore).	-	81.89	81.89
35 वित्तीय सेवा विभाग	35 Department of Financial Services			
(क) भारत स्विस सहयोग के तहत नाबार्ड के लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी।	(a) Subsidy for settlement of pending claims of NABARD under Indo Swiss Co-operation.	-	5.39	5.39
(ख) हाउसिंग लोन के लिए 1 प्रतिशत ब्याज माफी स्कीम के तहत लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी (₹85 करोड़) 'ब्याज विभेदक निधि' के तहत जमा किए गए आईसीआईसीआई बैंक को निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान (₹37.74 करोड़); और स्ट्रेस एसेट्स सर्टिफिकेट्स निधि (एसएसएफ) को निर्गमित प्रतिभूतियों के उन्मोचन के लिए (₹150 करोड़) अतिरिक्त व्यय।	(b) Subsidy for settlement of the pending claims under 1% interest Subvention Scheme for Housing Loans (₹85 crore), Grants-in-aid for reimbursement of funds to ICICI Bank deposited under Interest Differential Fund (₹37.74 crore) and additional expenditure (₹150 crore) towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF).	-	272.74	272.74

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) गरीबों की मदद के लिए परामर्श समूह में भारत की सदस्यता (सीजीएपी) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards India's Membership in Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).	-	0.62	0.62
(घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को अतिरिक्त ऋण प्रदान करना।	(d) For providing additional loans to NABARD.	-	0.02	0.02
(ङ) राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (एनएचबी) को ऋण।	(e) Loans to National Housing Bank (NHB).	190.00	-	190.00
(च) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऋण।	(f) Loans to Small Industries Development Bank of India (SIDBI).	-	49.82	49.82
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
43 राजस्व विभाग	43 Department of Revenue			
दिल्ली और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना।	For providing CST compensation to UTs of Delhi and Puducherry.	-	1845.65	1845.65
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
47 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	47 Ministry of Food Processing Industries			
गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और विकास और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹5.01 करोड़)।	For providing additional Grants-in-aid-General (₹5.01 crore) under the scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities.	5.01	-	5.01
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	48 Department of Health and Family Welfare			
(क) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान; 1.वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.85 करोड़) 2. चितंरजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 0.64 करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹70 करोड़) 4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइंसेज बेंगलोर (₹9.71 करोड़) 5. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एवं हियरिंग, मैसूर (₹ 1.42 करोड़) 6. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (₹22.10 करोड़) 7. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर, पुदुच्चेरी (₹ 43 करोड़) 8. लाला राम स्वरूप टी.बी. एवं सम्बद्ध रोग संस्थान नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़) 9. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (₹ 2 करोड़) (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान वेतन 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.50 करोड़) 2. चितंरजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 2.76 करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹ 200 करोड़) 4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ (₹ 160 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर पुदुच्चेरी (₹25 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹0.85crore) 2. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹0.64 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹70 crore) 4. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹9.71crore) 5. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹1.42crore) 6. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹22.10crore) 7. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹43 crore) 8. Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (₹0.08 crore) 9. Rashtriya Arogya Nidhi (₹2 Crores) (ii) Grants-in-aid Salaries under the Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹0.50 crore) 2. Chittaranjan national Cancer Institute, Kolkata (₹2.76 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹200 crore) 4. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹160 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹25 crore).	-	538.06	538.06

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) जनशक्ति की अधिप्राप्ति आपूर्ति, सेवा, सूचना शिक्षा एवं संचार (आईइसी) कार्यक्रमों और अन्य स्थापना सम्बद्ध अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. गर्भ निरोधक का सामाजिक विपणन (₹ 50 करोड़) - गर्भ निरोधकों की आपूर्ति संबंधी 2. परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री की निशुल्क आपूर्ति (₹100 करोड़) 3. सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (₹50 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards procurement of Manpower, Supplies, Services, Information Education & Communication (IEC) activities and other Establishment related expenditure under 1. Social Marketing of Contraceptives (₹50 Crore) 2. Free Supply of Family Planning Material (₹100 Crore) 3. Information, Education and Communications (₹50 Crore).	200.00	-	200.00
(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi.	-	1.50	1.50
(घ) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई के प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय पूरा करना।	(d) For meeting expenditure under Major Works in Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai.	0.99	-	0.99
49. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	49 Department of Health Research			
(क) (1) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय चिकित्स अनुसंधान परिषद (₹ 164.65 करोड़) (ii) नई, स्वीकृत फेलोशिप के लिए औषधि और में अनुसंधान (₹ 1.80 करोड़) (iii) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप के संबंध में अपेक्षाएं पूरी करने के लिए महामारियों के प्रकोप की रोकथाम हेतु उपकरणों का विकास (₹ 9 करोड़) और (iv) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप संबंधी व्यय पूरा करने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (₹4.50 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹37 करोड़) और (3) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹129 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1.Grants-in-aid General for the Schemes (i) Indian Council of Medical Research (₹164.65 crore),(ii) Research in Medicine & Health for newly sanctioned fellowship (₹1.80 crore),(iii) Development of Tools to Prevent Outbreak of Epidemics to meet requirement on outbreak of Epidemics, Dengue, H1N1 (₹9 crore) and (iv) Management of Natural Calamities for meeting expenditure on outbreaks of Epidemics, Dengue, H1N1(₹4.50 crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets for Indian Council of Medical Research (₹37 crore) and 3. Grants-in aid Salaries for ICMR (₹129 crore).	345.95	-	345.95
(ख) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 35 करोड़) (ii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹45 करोड़) का व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Indian Council of Medical Research (₹35 crore) and (ii) Grant-in-aid Salaries to Indian Council of Medical Research (₹45 crore).	-	80.00	80.00
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्रों व सिकिम् हेतु प्रावधान बढ़ाने के लिए।	(c) For augmentation of provisions for NER & Sikkim.	43.73	-	43.73
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
51 भारी उद्योग विभाग	51 Department of Heavy Industry			
(क) नेपा लिमिटेड में पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में अतिरिक्त निवेश पूरा करने के लिए	(a) For meeting additional investment in NEPA Limited as a part of revival package.	53.59	-	53.59
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
55 पुलिस	55 Police			
(क) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) कार्यालय भवन (₹517.55 करोड़) (ii) रिहायशी भवन (₹430.42 करोड़) (iii) सीमा चौकी (₹36.27	(a) For meeting expenditure for (i) Office Building (₹517.55 crore), (ii) Residential Building (₹430.42 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़) (iv) भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य (₹49 करोड़) (v) भारत-पाक सीमा में कंटीले तार लगाना (₹10 करोड़) और (vi) बीएसएफ वायु स्कंध की मशीनरी और उपस्कर (₹55.87 करोड़)।	(iii) Border Out Posts (₹36.27 crore), (iv) Indo-China Border Works (₹49 crore), (v) Barbed wire fencing works in Indo-Pak Border (₹10 crore) and (vi) Machinery & Equipments of BSF Air Wing (₹55.87 crore)	1,099.11	-	1099.11
(ख) बीएसएफ द्वारा 3 एमआई 17 वी-5 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए व्यय पूरा करना।	(b) For meeting expenditure for procurement of three MI 17 V-5 Helicopters by BSF.	-	37.74	37.74
56 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि घेराबंदी करार 1975 और इसके प्रोटोकाल 2011 के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards implementation of the Land Boundary Agreement 1975 and its protocol 2011 between India and Bangladesh.	-	50.00	50.00
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
58 आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	58 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
(क) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under the scheme Credit Linked Subsidy Scheme.	180.00	-	180.00
(ख) संस्थागत विकास समावेशी अभिशासन स्कीम के अंतर्गत सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अध्ययन आदि का आयोजन करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।	(b) For providing Grant-in-aid for conducting conferences, workshops, studies, etc. under the scheme of Institutional Development inclusive Governance	4.79	-	4.79
(ग) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम (₹20 करोड़) (ii) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्कीम के तहत शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं (₹8 करोड़) और स्लम विकास परियोजना (₹2 करोड़)।	(c) For meeting expenditure under (i) the scheme Credit Linked Subsidy Scheme (₹20 crore) (ii) Basic Services to Urban Poor (₹8 crore) and Integrated Housing and Slum Development Project (₹2 crore) under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission	30.00	-	30.00
(घ) जापानी एनसेफेलीटिस और एक्युट एनसेफेलीटिस सिंड्रोम स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure under the scheme Japanese Encephalitis and Acute Encephalitis Syndrome	15.00	-	15.00
(ड.) एकीकृत आवास और स्लम विकास परियोजना स्कीम के तहत अनुदान प्रदान करने के लिए।	(e) For providing grants under the scheme Integrated Housing and Slum Development Project	2.00	-	2.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	59 Department of School Education and Literacy			
(क) सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए भिन्न केन्द्रीय सरकारी लोक क्षेत्र उद्यमों को भुगतान करने के लिए।	(a) For making payment to the various Central Govt. PSUs towards Grants-in-aid General under the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).	15.42	-	15.42
(ख) (i) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹45.31 करोड़) (ii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹1.12 करोड़) देने के लिए।	(b) For providing (i) Grants-in-aid General under the scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions (₹45.31 crore); (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions (₹1.12 crore).	46.43	-	46.43

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
60. उच्चतर शिक्षा विभाग	60 Department of Higher Education			
(क) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान (₹13 करोड़) (ii) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹2 करोड़) (iii) उच्चतर शिक्षा में निःशक्त व्यक्ति को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल (₹3 करोड़) और (iv) पुस्तकों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थाएं (₹5 करोड़); 2. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के लिए पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹230 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the schemes (i) Grants for Promotion of Indian Languages (₹13 crore) (ii) National University of Education Planning and Administration (NEPA) (₹2 crore) (iii) National initiative on inclusion of person with disability in higher education (₹3 crore) and (iv) National Book Trust/Institutions for Book Promotion (₹5 crore); 2. Grants for Creation of Capital Assets for the scheme Grants to Central Universities (₹230 crore).	253.00	-	253.00
(ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1. निम्न के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (₹50 करोड़) और (ii) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (₹20 करोड़) 2. निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय खान स्कूल धनबाद (₹20 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंध संस्थान (₹80 करोड़) (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (₹50 करोड़), (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹75 करोड़), और (v) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹78 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General to (i) All India Council for Technical Education (₹50 crore) and (ii) Technical Education Quality Improvement Project (₹20 crore); 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Indian School of Mines, Dhanbad (₹20 crore), (ii) Indian Institutes of Management (₹80 crore), (iii) Support to Indian Institute of Science and Indian Institute of Science, Education and Research (₹50 crore), (iv) Indian Institutes of Technology (₹75 crore) and (v) National Institutes of Technology (₹78 crore).	373.00	-	373.00
(ग) निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹31.58 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹15 करोड़) (iii) भारतीय प्रबंधन संस्थान (₹10 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Grants to Central Universities (₹31.58 crore) (ii) National Institutes of Technology (₹15 crore) (iii) Indian Institutes of Management (₹10 crore).	56.58	-	56.58
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
(क) विकास संप्रेषण और सूचना प्रसारण के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the expenditure under Development Communication and Information Dissemination.	131.00	-	131.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
62. श्रम और रोजगार मंत्रालय	62 Ministry of Labour and Employment			
(क) कौशल विकास मिशन स्कीम के तहत सामान्य घटक (₹13.50 करोड़) और टीएसपी (₹33.50 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the expenditure towards Grants for creation of Capital Assets for General component (₹13.50 crore) and TSP (₹33.50 crore) under the scheme of Skill Development Mission.	47.00	-	47.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
66. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	66 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) निम्न की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) तकनीकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता के लिए "सब्सिडियां" (₹232 करोड़); (ii) "ऋण सहायता स्कीम के लिए अंशदान (₹50 करोड़); (iii) अवसरचना विकास और क्षमता निर्माण के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन अनुदान, (₹15 करोड़); (iv) इंडिया इंकलुसिव इनोवेशन फंड के तहत सामान्य अनुदान सहायता (₹0.45 करोड़)।	(a) For meeting the additional expenditure towards (i) Subsidies (₹232 crore) for Quality of Technology Support Institutions & Programme (ii) Contribution (₹50 crore) to Credit Support Programme (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹15 crore) under Infrastructure Development and Capacity Building (iv) Grants-in-Aid General (₹0.45 crore) under India Inclusive Innovation Fund.	297.45	-	297.45
(ख) "खादी अनुदान" के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करना	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under "Khadi Grant".	-	11.98	11.98
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
68 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	68 Ministry of Minority Affairs			
नई मंजिल' स्कीम के लिए व्यय	For expenditure of the scheme 'New Manjil'.	0.01	-	0.01
नवीन और अक्षत ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
69. नवीन और अक्षत ऊर्जा मंत्रालय	69 Ministry of New and Renewable Energy			
घरेलू यात्रा व्यय के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु सहायता अनुदान प्रदान करना।	For providing grant-in-aid for Regional offices for Domestic Travel Expenses.	0.03	-	0.03
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार के लिए सहायता अनुदान (₹0.59 करोड़) और (ii) ईएपी-यूएनडीपी- सरकारी प्रशासन और शासन का सुदृढ़ीकरण (₹0.56 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid under "Propagation of RTI Act" (₹0.59 crore) & (ii) EAP-"UNDP Strengthening of Public Administration & Governance (₹0.56 crore).	1.15	-	1.15
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
77. विद्युत मंत्रालय	77 Ministry of Power			
पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए।	For strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all".	58.59	-	58.59
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
83. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	83 Ministry of Road Transport and Highways			
"अनुसंधान और विकास" के तहत अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए।	For other administrative expenses under "Research and Development".	1.00	-	1.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	86 Department of Science and Technology			
(क) निम्न के लिए अतिरिक्त प्रदान करने के लिए (i) सहबद्ध और अनुसंधान एवं विकास मिशन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (प्रेरणा पंचाट) (₹27.50 करोड़), सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम (एस एंड टी उद्यमिता विकास) (₹13 करोड़) और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹7 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास सहायता के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹45 करोड़), सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एसएंडटी कार्यक्रम (एसएंडटी उद्यमिता विकास) (₹7 करोड़) और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹3 करोड़)।	(a) For providing additional (i) Grants-in-aid General for Alliance & R&D Mission (Inspire Awards) (₹27.50 crore), S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development) (₹13 crore), and State Science & Technology Programme (₹7 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets for Research & Development Support (₹45 crore), S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development) (₹7 crore) and State Science & Technology Programme (₹3 crore)	102.50	-	102.50
(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing additional Grants-in-aid General for Technology Development Board	-	20.00	20.00
88. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Biotechnology			
(क) निम्न का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (₹10 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹45.17 करोड़) सहायता अनुदान वेतन (₹15 करोड़) (ii) मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹20 करोड़) (iii) अनुसंधान और विकास के लिए सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹30 करोड़) (iv) उत्कृष्टता और नवोन्मेष हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹5 करोड़) (v) जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure of (i) Grants-in-aid General (₹10 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹45.17 crore) and Grants-in-aid Salary (₹15 crore) to Autonomous R&D Institutions; (ii) Grants-in-aid General (₹20 crore) towards Human Resource Development (iii) Grants-in-aid General (₹30 crore) towards Assistance for Research & Development (iv) Grants-in-aid General (₹5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹5 crore) towards Programme for promotion of Excellence and Innovation and (v) Grants-in-aid General (₹5 crore) for Biotech facilities.	135.17	-	135.17
नौवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
89. नौवहन मंत्रालय	89 Ministry of Shipping			
(क) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थता के लिए विधिक फर्म को शेष का भुगतान।	(a) For balance payment to law firm for International Arbitration.	-	6.53	6.53
(ख) सागरमाला परियोजना की अतिरिक्त मांग पूरी करना।	(b) For meeting additional expenditure for Sagarmala Project.	49.30	-	49.30
(ग) अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में अवतरण सुविधा और घाटों के प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत व्यय पूरा करना।	(c) For meeting expenditure under major works for construction of landing facilities and jetties in Andaman Lakshadweep Harbour Works.	22.48	-	22.48
(घ) जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के तहत विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट को ऋण।	(d) Loan Visakhapatnam Port Trust under of Japan International Cooperation Agency Project.	5.87	-	5.87
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
91. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	91 Department of Social Justice and Empowerment			
निम्न का व्यय पूरा करने के लिए (i) अनुसूचित	For meeting expenditure of (i) National			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (₹10 करोड़) तथा (ii) अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा (₹10 करोड़)।	Overseas Scholarship for Scheduled Castes (₹10 crore) and (ii) Top Class Education for Scheduled Castes (₹10 crore);	20.00	-	20.00
92. निशक्तता मामले विभाग	92 DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS			
राष्ट्रीय पुर्नवास विज्ञान और अशक्त अध्ययन विश्व-विद्यालय में सामान्य राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण (एचआईएसएच) संस्थान के उन्नयन के लिए सहायता-अनुदान का व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure towards 'Grant-in-aid General' for up-gradation of National Institute of Speech and Hearing (HISH) into National University of Rehabilitation Science and Disability Studies.	1.00	-	1.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
93. अंतरिक्ष विभाग	93 Department of Space			
(क) सामान्य सहायता अनुदान के लिए सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure under Semi-conductor Laboratory towards Grants-in-aid General.	42.47	-	42.47
(ख) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के लिए (₹3.26 करोड़) और फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए (₹3.85 करोड़) हेतु सहायता अनुदान वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure of Grants-in-aid Salaries for Semi-conductor Laboratory (₹3.26 crore) and Physical Research Laboratory (₹3.85 crore).	-	7.11	7.11
(ग) इनसैट-4 उपग्रह (₹3.93 करोड़), जीसैट-16 उपग्रह (₹4.12 करोड़) और जीसैट-19 उपग्रह (₹2.39 करोड़) के तहत मशीनरी और उपस्कर का अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure of Machinery and Equipment Under INSAT-4 Satellites (₹3.93 crore), GSAT-16 Satellites (₹4.12 crore) and GSAT-19 Satellites (₹2.39 crore).	10.44	-	10.44
(घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को मशीनरी और उपस्कर (₹42.20 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹15 करोड़); (ii) मुख्य निर्माण कार्य हेतु पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (₹3.28 करोड़); (iii) मुख्य निर्माण कार्य हेतु इसरो सैटेलाइट केंद्र (₹20 करोड़); (iv) मुख्य निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिके लेबोरेटरी (₹2.45 करोड़); (v) मशीनरी और उपस्कर के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (₹18.05 करोड़); (vi) मुख्य निर्माण कार्य के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास (₹15.54 करोड़); (vii) मुख्य निर्माण कार्य के लिए इसरो प्रोपल्शन कम्प्लेक्स (₹14.70 करोड़); (viii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हेतु मशीनरी और उपस्कर (₹37.29 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (₹1 करोड़); (ix) विकास और शिक्षा संचार यूनिट हेतु मशीनरी और उपस्कर (₹0.45 करोड़); (x) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (₹6.02 करोड़); (xi) आपदा प्रबंधन सहायता हेतु मशीनरी और उपस्कर (₹9.43 करोड़) और (xii) चंद्रयान-1 और 2 हेतु मशीनरी और उपस्कर (₹7.30 करोड़)।	(d) For meeting the additional expenditure of (i) Vikram Sarabhai Space Centre towards Machinery and Equipment (₹42.20 crore) and Major Works (₹15 crore); (ii) Polar Satellite Launch Vehicle towards Major Works (₹3.28 crore); (iii) ISRO Satellite Centre towards Major Works (₹20 crore); (iv) Laboratory for Electro Optics System towards Major Works (₹2.45 crore); (v) Satish Dhawan Space Centre towards Machinery and Equipment (₹18.05 crore) (vi) Semi Cryogenic Engine Development towards Major Works (₹15.54 crore); (vii) ISRO Propulsion Complex towards Major Works (₹14.70 crore); (viii) Machinery and Equipment towards Space Applications Centre (₹37.29 crore) & Major Works (₹1 crore); (ix) Machinery and Equipment towards Development & Educational Communication Unit (₹0.45 crore); (x) Major Works towards National Remote Sensing Centre (₹6.02 crore); (xi) Machinery and Equipment towards Disaster Management Support (₹9.43 crore) and (xii) Machinery and Equipment towards Chandrayaan-1&2 (₹7.30 crore).	192.71	-	192.71

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
94. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	94 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) सांख्यिकी सुदृढीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional Grants-in-aid-General under the Scheme Support for Statistical Strengthening.	23.62	-	23.62
(ख) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) क्षमता विकास (₹10.25 करोड़) (ii) सांख्यिकी सुदृढीकरण (₹40.31 करोड़)।	(b) For providing Grants-in-aid-General under the Scheme (i) Capacity Development (₹10.25 crore) (ii) Statistical Strengthening (₹40.31 crore).	50.56	-	50.56
(ग) सांख्यिकी सुदृढीकरण स्कीम के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(c) For providing additional Grants-in-aid-General under the Scheme Support for Statistical Strengthening.	5.94	-	5.94
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
96. कपड़ा मंत्रालय	96 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (₹6.66 करोड़) (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण (₹1.66 करोड़) (iii) रेशे आपूर्ति मिल गेट मूल्य (₹43 करोड़) और (iv) बीज संगठन (₹0.53 करोड़) 2. व्यापार सुविधा केन्द्र और हस्तशिल्प संग्रहालय के अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹0.90 करोड़) और 3. निम्न स्कीमों के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान (i) प्रोद्योगिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी पहल का अनुसंधान और प्रशिक्षण अंतरण (₹4.24 करोड़) और (vi) बीज संगठन (₹0.47 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the Schemes (i) National Handloom Development Programme (₹6.66 crore) (ii) Handloom Weavers Comprehensive Welfare (₹1.66 crore) (iii) Yarn Supply/ Mill Gate Price (₹43 crore) & (iv) Seed Organization (₹0.53 crore); 2. Professional Services under Trade Facilitation Centre and Craft Museum (₹0.90 crore) and 3. Grants for creation of Capital Assets under the Schemes (i) R&D Training Transfer of Technology and IT Initiative (₹4.24 crore) & (ii) Seed Organization (₹0.47 crore).	57.46	-	57.46
(ख) राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants for creation of Capital Assets under National Institute of Fashion Technology.	12.00	-	12.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
97. पर्यटन मंत्रालय	97 Ministry of Tourism			
(क) रिहायशी अवसंरचना को प्रोत्साहन के रूप में पूंजी सब्सिडी प्रदान करना।	(a) For providing capital subsidy as incentive to accommodation infrastructure	0.50	-	0.50
(ख) जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत 'पर्यटन सर्किट' के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना	(b) For meeting expenditure towards 'Tourism Circuits' under Tribal Area Sub Plan	17.00	-	17.00
जनजातीय मामले मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
98. जनजातीय मामले मंत्रालय	98 Ministry of Tribal Affairs			
निम्न के लिए 1. स्कीम के तहत निम्न के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (₹1 करोड़) और (ii) गौण वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹3 करोड़) 2. अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (₹8.14 करोड़)।	For 1. providing Grants-in-aid General under the Scheme (i) Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and Others (₹1 crore) and (ii) Minimum Support Price for Minor Forest Produce (₹3 crore) 2. meeting additional requirement under the Scheme "Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and Others (₹8.14 crore)	12.14	-	12.14

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र (विधान सभा सहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
102. दमन और दीव	102 Daman and Diu			
(क) दीव जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फीएस्टा डी दीव 2015 समारोह के लिए विज्ञापन और प्रचार के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Advertising & Publicity for celebration of Fiesta De Diu-2015 for promoting tourism in Diu District.	8.00	-	8.00
(ख) दीव में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने (₹16 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards payment to Airport Authority of India at Diu (₹16 crore).	16.00	-	16.00
(ग) दमन जिले में पुलिस क्वार्टर और आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure under Major Works towards construction of Police Quarters & internal roads in Daman District.	2.56	-	2.56
(घ) दीव में कॉलेज भवन और पोलिटेक्नीक के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय पूरा करना।	(d) For meeting expenditure under Major Works towards construction of College Building & Polytechnic College at Diu.	5.00	-	5.00
(ङ) दीव में सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय पूरा करने के लिए (₹5.10 करोड़)।	(e) For meeting expenditure under Major Works towards construction of Government Hospital at Diu (₹5.10 crore).	5.10	-	5.10
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
104. शहरी विकास विभाग	104 Department of Urban Development			
निम्न के निर्माण का व्यय पूरा करने के लिए (i) केबी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण (₹1 करोड़)। (ii) गाचीबावली, हैदराबाद में होलीडेहोम का निर्माण (₹1 करोड़) और (iii) डीघा, पटना में सामान्य पूल रियाहशी आवास का निर्माण (₹5 करोड़)।	For meeting expenditure towards construction of (i) residential quarters at KB Block, Salt Lake City, Kolkata(₹1 crore), (ii) Holiday Home at Gachibawli, Hyderabad (₹1 crore) and (iii) General Pool Residential Accommodation at Digha, Patna (₹5 crore).	7.00	-	7.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
105. लोक निर्माण कार्य	105 Public Works			
(क) निम्न के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु 1. निम्न स्कीमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, परिसर, रायपुर के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करना। (₹1 करोड़) (ii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष का पुनः प्रतिरूपण करना। (₹4 करोड़), और (iii) महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, आईएनए, नई दिल्ली की आंतरिक साज-सज्जा। (₹8.90 करोड़)।	For meeting the expenditure towards (i) construction of boundary wall around Field Training Centre, Geological Survey of India Training Institute Campus, Raipur. (₹1 crore); (ii) remodelling of conference halls in Vigyan Bhawan, New Delhi (₹4 crore) and (iii) interior furnishing of Office of Controller General of Accounts, INA, New Delhi (₹8.90 crore).	13.90	-	13.90
106. लेखन- सामग्री और मुद्रण	106 Stationery and Printing			
प्रशिक्षुओं की बढ़ी हुई छात्रवृद्धि दर का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए	For meeting the expenditure towards increased stipend rate of Apprentices.	-	1.20	1.20
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REGUVENTATION			
107 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	107 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के तहत प्रावधान की बढ़ोतरी के लिए।	For augmentation of provisions under North Eastern Region and Sikkim.	4.35	-	4.35

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
108 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	108 Ministry of Women and Child Development			
(क) निम्नलिखित हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के तहत 500 स्थानों के चाइल्ड लाईन इंडिया फाउन्डेशन (सीआईएफ) (₹37.77 करोड़) (ii) प्रियदर्शिनी स्कीम के तहत नाबार्ड (₹2.08 करोड़) और (iii) देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम (₹4 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid General to (i) Childline India Foundation (CIF) for 500 locations under Integrated Child Protection Scheme(ICPS) (₹37.77 crore), (ii) NABARD under the Scheme Priyadarshini (₹2.08 crore), (iii) Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹4 crore).	43.85	-	43.85
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने के लिए 1. निम्न स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) (₹0.12 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग को (₹0.18 करोड़) 2. निम्नलिखित स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (i) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) (₹0.90 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹0.35 करोड़)।	(b) For providing 1. Grants-in-aid General under the Scheme (i) Central Adoption Resource Authority(CARA) (₹0.12 crore) and (ii) National Commission for Women (₹0.18 crore) 2. Grants-in-aid Salary under the Scheme(i) Central Adoption Resource Authority (₹0.90 crore) and (ii) National Commission for Women (₹0.35 crore).	-	1.55	1.55
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
109 युवा मामले और खेल मंत्रालय	109 Ministry of Youth Affairs And Sports			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. पुनः अभिमुखीकरण अनुसंधान केन्द्र के लिए राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान, वेतन, समयोपरि भत्ता आदि (₹6.06 करोड़), और (ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants in Aid General (₹6.06) under National Service Scheme for Reorientation Research Centre, Salary, OTA etc. and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Urban Sports Infrastructure Scheme(₹20 crore).	26.06	-	26.06
कुल सांकेतिक	Total Token	0.83	0.31	1.14
5. तत्काल आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹118,73,00,000 के छह अग्रिमों की स्वीकृति मिल गई थी।	5. Six advances aggregating ₹118,73,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are approved.			
कुल योग	GRAND TOTAL	35,299.16	20,957.16	56,256.32
निवल नकद प्रवाह	Net Cash Outgo	10,491.53	7,703.87	18,195.40
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	24,806.80	13,252.98	38,059.78
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.83	0.31	1.14

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE						
1	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.04	0.01	0.05	1-2
3.	पशु पालन और डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.02	...	0.02	3
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	0.01	0.02	0.03	4-5
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)						
6.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	6. Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS						
7.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	7. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	...	24.61	24.61	7
8.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	8. Department of Fertilizers	Voted	...	952.80	952.80	8
9.	भेषज विभाग	स्वीकृत	9. Department of Pharmaceuticals	Voted	0.01	12.75	12.76	9
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
10	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	10. Ministry of Civil Aviation	Voted	29.33	29.63	58.96	10-11
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
12.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	12. Department of Commerce	Voted	0.01	50.00	50.01	12
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	13. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	...	3.07	3.07	13
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY						
14.	डाक विभाग	स्वीकृत	14. Department of Posts	Voted	40.00	11.26	51.26	14
		भारित		Charged	1.80	0.14	1.94	
15.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	15. Department of Telecommunications	Voted	344.03	...	344.03	15
16.	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	16. Department of Electronics and Information Technology	Voted	0.01	...	0.01	16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
17.	उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	17. Department of Consumer Affairs	Voted	53.00	...	53.00	17
18.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	18. Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	10000.01	10000.02	18
कारपोरेट कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS						
19.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Corporate Affairs	Voted	129.25	17.00	146.25	19
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE						
20.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	20. Ministry of Culture	Voted	0.03	...	0.03	20-21
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE						
22.	रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22. Defence Pensions	Voted	5735.74	...	5735.74	22
		भारित		Charged	2.26	...	2.26	
28.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	28. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	0.01	0.01	23
		भारित		Charged	...	43.15	43.15	

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	29. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.02	60.00	60.02	24-25
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION					
30.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	30. Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	5402.00	...	5402.00	26-27
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
31.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	31. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.03	0.01	0.04	28
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
32.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	32. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	120.02	0.01	120.03	29-30
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
33.	विदेश मंत्रालय	33. Ministry of External Affairs	Voted	0.02	...	0.02	31
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
34.	आर्थिक कार्य विभाग	34. Department of Economic Affairs	Voted	0.08	485.02	485.10	32-34
35.	वित्तीय सेवाएं विभाग	35. Department of Financial Services	Voted	0.03	0.03	0.06	35-36
37.	राज्य और संघ शासित सरकारों को अंतरण	37. Transfers to State and Union Territory Governments	Voted	2989.00	...	2989.00	37
43.	राजस्व विभाग	43. Department of Revenue	Voted	0.01	...	0.01	38
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
47.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	47. Ministry of Food Processing Industries	Voted	19.11	...	19.11	39
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
48.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	48. Department of Health and Family Welfare	Voted	450.03	150.01	600.04	40-42
49.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	49. Department of Health Research	Voted	0.03	...	0.03	43-44
50.	एड्स नियंत्रण विभाग	50. Department of AIDS Control	Voted	267.50	...	267.50	45
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
51.	भारी उद्योग विभाग	51. Department of Heavy Industry	Voted	198.94	0.01	198.95	46
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
53.	गृह मंत्रालय	53. Ministry of Home Affairs	Voted	195.36	...	195.36	47
54.	मंत्रिमंडल	54. Cabinet	Voted	196.28	...	196.28	48
55.	पुलिस	55. Police	Voted	970.34	0.02	970.36	49-50
56.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	56. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	...	0.01	51
	भारित	Charged	44.45	...	44.45		
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
58.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	58. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.05	...	0.05	52-53
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
59.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	59. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	54
60.	उच्चतर शिक्षा विभाग	60. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	55-56
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
61.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	57
	भारित	Charged	73.70	...	73.70		

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय			MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT				
62	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	62. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	6.00	58
विधि और न्याय मंत्रालय			MINISTRY OF LAW AND JUSTICE				
63.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	63. Election Commission	Voted	...	5.00	59
65.	विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	65. Appropriation-Supreme Court of India	Charged	13.52	...	60
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय			MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES				
66.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	61
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय			MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS				
68.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	62
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय			MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY				
69.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	1000.01	...	63-64
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS				
73.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	7.61	...	65-66
योजना मंत्रालय			MINISTRY OF PLANNING				
76	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Planning	Voted	...	34.00	67
विद्युत मंत्रालय			MINISTRY OF POWER				
77	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Power	Voted	400.01	320.22	68-69
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय			THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT				
78	विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद और भत्ते	भारित	78. Appropriation-Staff, Household and Allowances of the President	Charged	3.38	...	70
79.	लोक सभा	भारित	79. Lok Sabha	Charged	0.21	...	71
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS				
83	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	83. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	5528.56	72-73
ग्रामीण विकास मंत्रालय			MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT				
84.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	84. Department of Rural Development	Voted	11974.41	...	74-75
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY				
86.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	86. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	76
88.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	77
पोत परिवहन मंत्रालय			MINISTRY OF SHIPPING				
89.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	89. Ministry of Shipping	Voted	40.25	0.02	78-79
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT				
91.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	91. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.01	...	80
92.	निशक्तता कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	92. Department of Disability Affairs	Voted	0.01	...	81
अंतरिक्ष विभाग			DEPARTMENT OF SPACE				
93	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	93. Department of Space	Voted	0.02	0.02	82-83

			(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION				
94. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted 0.03	...	0.03	84
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES				
96. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Textiles	Voted 259.61	...	259.61	85
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM				
97. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Tourism	Voted 0.02	...	0.02	86
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS				
98. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tribal Affairs	Voted 0.01	...	0.01	87
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)				
102. दमन और दीव	स्वीकृत	102. Daman and Diu	Voted 0.01	0.04	0.05	88-89
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT				
104. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	104. Department of Urban Development	Voted 1200.00	0.01	1200.01	90-91
105. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	105. Public Works	Voted ...	0.01	0.01	92
	भारित		Charged 11.04	...	11.04	
106. लेखन सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत	106. Stationery and Printing	Voted 0.01	...	0.01	93
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGAREJUVENATION				
107. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	107. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted 2800.01	...	2800.01	94-95
	भारित		Charged 1.95	...	1.95	
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT				
108. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	108. Ministry of Women and Child Development	Voted 3548.02	...	3548.02	96-97
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS				
109. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	109. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted 0.01	...	0.01	98
कुल जोड़		GRAND TOTAL	38522.87	17733.45	56256.32	
	भारित		Charged 152.31	43.29	195.60	
	स्वीकृत		Voted 38370.56	17690.16	56060.72	

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	16959.36	44.99	17004.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	2.75	2.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	0.01	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16959.44	47.75	17007.19
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.04	...	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4401 - फसल कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4401 - Capital Outlay on Crop Husbandry	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.05	...	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) (i) कृषोन्नति योजना-राज्य आयोजना के अंतर्गत "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकता प्रबंधन परियोजना" के तहत सामान्य सहायता में अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 0.25 करोड़)।</p> <p>(ii) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए - "जैविक मूल्य श्रृंखला विकास" नामक नई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त प्रावधान करना।</p> <p>(iii) जिला सिंचाई योजनाओं की तैयारी और प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना-अन्य उपाय (₹ 30 करोड़) के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 60 करोड़)।</p> <p>(iv) कृषोन्नति योजना-केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि विस्तार संबंधी उप-मिशन के तहत सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए हैदराबाद में</p> | <p>(a) (i) providing additional Grants in aid-General under "National Project on Management of Soil Health and Fertility under Krishonnati Yojna – State Plan" (₹ 0.25 crore).</p> <p>(ii) making appropriate provision for implementation of new scheme "Organic Value Chain Development for NE Region" under Krishonnati Yojna – Central Sector.</p> <p>(iii) providing Grants-in-aid General (₹ 30 crore) for preparation of district irrigation plans and for Advertisement & Publicity (₹ 60 crore) under Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojna – Other Interventions.</p> <p>(iv) providing Grants for Creation of Capital Assets to National Institute of Agricultural Extension Management,</p> |
|--|---|

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 0.80 करोड़)।	Hyderabad for providing solar power energy under Sub-Mission on Agricultural Extension under Krishonnati Yojna-Central Sector (₹ 0.80 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) कृषि विपणन संस्थान जयपुर को सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 1.08 करोड़)।	(b) providing Grants for Creation of Capital Assets to Institute of Agricultural Marketing, Jaipur for providing solar power energy (₹ 1.08 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) कृषोन्नति योजना - केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत "पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास" नामक नई स्कीम के क्रियान्वयन हेतु नए शीर्ष खोलना और उपयुक्त प्रावधान करना। निम्नलिखित हेतु निधियों की आवश्यकता है:- (i) विभिन्न प्रशासनिक वस्तु शीर्ष विज्ञापन और प्रचार, व्यावसायिक सेवाएं और सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत (₹ 43.11 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20.77 करोड़), (ii) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 16.90 करोड़) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1.85 करोड़), (iii) सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 22 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 8.37 करोड़)।	(c) opening of new heads and making appropriate provision for implementation of new scheme "Organic Value Chain Development for NE Region" under Krishonnati Yojna – Central Sector. Funds are required (i) under various administrative object-heads, advertising & publicity, professional services and Grants in aid General (₹ 43.11 crore) and Grants for Creation of capital assets (₹ 20.77 crore), (ii) for providing Grants in aid-General (₹ 16.90 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1.85 crore) under Special Component Plan for Scheduled Castes, and (iii) for providing Grants in aid-General (₹ 22 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 8.37 crore) under Tribal Area Sub-Plan.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।	(d) providing Grants in aid General for implementation of Paramparagat Krishi Vikas Yojna in Union Territories of NCT of Delhi and Puducherry (₹ 3.00 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सौर विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए (₹ 0.80 करोड़) और राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना के लिए (₹ 0.80 करोड़)।	(e) providing solar power energy for National Seeds Research and Training Centre (₹ 0.80 crore) and for National Project on Promotion of Organic Farming (₹ 0.80 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2120.22	15.94	2136.16
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	4.45	4.46
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2120.25	20.39	2140.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत: 2404 -Dairy Development	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2405 - मत्स्य पालन	स्वीकृत: 2405 -Fisheries	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) राज्य सहकारी डेरी परिसंघ को सहायता के लिए नई स्कीम में अतिरिक्त मांग पूरी करना (₹ 50 करोड़)।

(a) meeting additional demand in the new scheme for Supporting State Cooperative Dairy Federations (₹ 50 crore).

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को मजबूत करने की स्कीम के अन्तर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोची को सहायता अनुदान जारी करना (₹ 3.30 करोड़)।

(b) releasing Grants-in-aid General to Central Marine Fisheries Research Institute, Kochi under the scheme Strengthening of Database and Geographical Information System for fishery sector (₹ 3.30 crore).

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.00	0.50	1.50
	स्वीकृत:	Voted: 7583.51	4500.43	12083.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7584.52	4500.97	12085.49
	भारित:	Charged: 1.00	0.50	1.50
	स्वीकृत:	Voted: 7583.52	4500.47	12083.99
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 -Atomic Energy Research	Voted: ...	0.01 (क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted: 0.01 (ख)	...	0.01
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted: 0.01 (ग)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (1) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 8 करोड़)।

(a) providing additional Grants-in-aid Salaries to National Institute of Science Education & Research (₹ 8 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) मशीनरी और उपस्कर के तहत (₹ 0.50 करोड़) प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 1.95 करोड़) और तीव्र रिएक्टर ईंधन चक्र सुविधा को मशीनरी और उपकरण के तहत (₹ 35 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य (₹ 35 करोड़) डीएई कलपाक्कम काम्पलेक्स को सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

(b) meeting additional expenditure towards enhancement of security at DAE, Kalpakkam Complex under Machinery & Equipment (₹ 0.50 crore), Major works (₹ 1.95 crore) and Fast Reactor Fuel Cycle Facility under Machinery & Equipment (₹ 35 crore), Major works (₹ 35 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) इंदिरा गांधी भारतीय अनुसंधान केंद्र और निर्माण सेवाएं और संपदा प्रबंधन निदेशालय का अतिरिक्त खर्च पूरा करना (i) फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग के लिए प्रक्रिया, उपकरण और प्रणाली के विकास हेतु सुविधाओं में बढ़ोतरी (मुख्य निर्माण कार्य- ₹ 0.5 करोड़) (ii) आईजीसीएआर में इलेक्ट्रीकल और संप्रेषण प्रणाली की साज-सज्जा और अवसंरचना विकास (मुख्य निर्माण कार्य- ₹ 1 करोड़) (iii) उन्नत कोटिंग और सेंसरों के लिए नैनो सामग्री और नैनो संरचनाएं (मशीनरी और उपकरण ₹ 3 करोड़) (iv) एफबीटीआर का सुरक्षा उन्नयन (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 2.5 करोड़) (v) द्रव्य धातुएं और सेंसर का रसायन शास्त्र (मशीनरी और उपकरण ₹ 1.93 करोड़) (vi) आईजीसीएआर में वातानुकूलन और वातायन संरचनाओं की साज-सज्जा और स्थापना (मुख्य निर्माण कार्य- ₹ 0.62 करोड़) (vii) कल्पक्कम टाउनशिप में अवसंरचना सुविधाओं में बढ़ोतरी (प्रमुख निर्माण कार्य ₹ 2.38 करोड़) (viii) डीएई कामप्लेक्स कल्पक्कम में सुरक्षा सुविधाओं की बढ़ोतरी (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 1.7 करोड़) (ix) आईजीसीएआर के भीतर डीएई संयंत्र साइट और उड्डैयूर क्षेत्र के पश्चिमी ओर अवसंरचनाओं का विकास और सुविधाओं में सुधार (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 1.84 करोड़) (x) अनुपुरम टाउनशिप में आवास सरकारी भवनों और अन्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 2.1 करोड़) (xi) उन्नत डिजिटल इंस्ट्रुमेंटेशन का विकास (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.40 करोड़) और (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.14 करोड़) (xii) आरसीएल प्रचालन, रक्षा और सुरक्षा अवसंरचना की बढ़ोतरी (मशीनरी और उपकरण ₹ 2.02 करोड़) और (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.35 करोड़) (xiii) जलापूर्ति और सीवेज का उन्नयन (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 6.00 करोड़) (xiv) स्वास्थ्य भौतिक सेवाओं की बढ़ोतरी और कैलीब्रेशन, सिमुलेशन, एक्सीडेंट, डोजीमिटी, रेडिएशन सुरक्षा और अनुसंधान संबंधी विकास गतिविधियां (मशीनरी और उपकरण ₹ 2.93 करोड़) (xv) औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुसंधान (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.27 करोड़) और (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.37 करोड़) (xvi) सोडियम प्रौद्योगिकी कम्प्लेक्स (प्रमुख निर्माण कार्य ₹ 10.44 करोड़) (xvii) बीएफबीआर के लिए घटकों का परीक्षण (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.95 करोड़) (xviii) सोडियम सिस्टम के लिए इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (मशीनरी और उपकरण ₹ 0.60 करोड़) और (प्रमुख निर्माण कार्य- ₹ 0.02 करोड़)
- (c) meeting additional expenditure of Indira Gandhi Centre for Atomic Research and Directorate of Construction Services and Estate Management (i) augmentation of facilities for process, equipment and system development for Fast Reactor Fuel Reprocessing (Major Works - ₹ 0.50 crore), (ii) Refurbishment and infrastructure development of electrical and communication system at IGCAR (Major Works ₹ 1 crore), (iii) Nanomaterials to nanostructures for improved coatings and sensors (Machinery and Equipment ₹ 3 crore), (iv) Safety up-gradation of FBTR (Major Works ₹ 2.50 crore), (v) Chemistry of liquid metals and sensors (Machinery and Equipment ₹ 1.93 crore), (vi) Refurbishment and Establishment of Air-conditioning and ventilation infrastructure at IGCAR (Major Works ₹ 0.62 crore), (vii) augmentation of infrastructure facilities at Kalpakkam Township (Major Works ₹ 2.38 crore), (viii) Enhancement of Security Services at DAE Complex, Kalpakkam (Major Works ₹ 1.70 crore), (ix) Development of Infrastructure and improvement to facilities within IGCAR, on the western side of DAE Plant site and Edaiyur area (Major Works ₹ 1.84 crore), (x) Construction of Housing, Public buildings and other Infrastructure facilities at Anupuram Township (Major Works ₹ 2.10 crore), (xi) Development of advanced digital instrumentation (Machinery and Equipment ₹ 0.40 crore) and (Major Works ₹ 0.14 crore), (xii) Augmentation of infrastructure for RCL Operation, Safety and Security (Machinery and Equipment ₹ 2.02 crore) and (Major Works ₹ 0.35 crore). (xiv) Up-gradation of water Supply & Sewage (Major Works ₹ 6.00 crore) (xv) Augmentation of Health Physics Services and Development Activities related to Calibration, Simulation, Accident Dosimetry, Radiation safety and Research (Machinery and Equipment ₹ 2.93 crore) (xvi) Industrial safety & environmental research (Machinery and Equipment ₹ 0.27 crore) and (Major Works ₹ 0.37 crore) (xvii) Sodium technology complex (Major Work ₹ 10.44 crore) (xviii) Testing of components for CFBR (Major Work ₹ 0.95 crore) (xix) Engineering R&D for sodium systems Machinery and Equipment ₹ 0.60 crore) and (Major Works ₹ 0.02 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 6

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1197.00	17.00	1214.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1197.02	17.00	1214.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) अखिल भारतीय होम्योपैथी (एआईआईएच) योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की बढ़ी हुई लागत (₹ 12.10 करोड़) के भुगतान के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा (एनआईएन), पुणे के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य को भुगतान करने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.66 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक अनुदान की आवश्यकता है।

The supplementary grant is required for:

(i) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme, All India Institute of Homoeopathy(AIIH) for making payment to Delhi Development Authority towards the enhanced cost of land (₹ 12.10 crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets under the Scheme National Institute of Naturopathy (NIN), Pune for making payment to Revenue Department Maharashtra State for acquiring land for the construction of office building (₹ 7.66 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 223.15	32.03	255.18
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 17.00	...	17.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	24.61	24.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	240.15	56.64	296.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted: ...	24.61	(का) 24.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारत की आकस्मिकता निधि से बांडों पर ब्याज के कारण देनदारियों के भुगतान के लिए हिन्दुस्तान आर्गनिक केमिकल्स लि. को ऋण के रूप में स्वीकृत ₹ 24.61 करोड़ के अग्रिम की वापसी।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) recoupment of an advance of ₹ 24.61 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Organic Chemicals Limited for payment of dues on account of interest on bonds;
- Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 8

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	77097.76	50.04	77147.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2.80	...	2.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	952.80	952.80
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	77100.56	1002.84	78103.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6855 - उर्वरक उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6855 - Loans for Fertilizer Industries	Voted: 952.80	...	952.80

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एफएसीटी को आयोजना ऋण (₹. 965.01)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध रु. 12.21 करोड़ की बचत को देखते हुए इसमें ₹ 952.80 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

Plan Loan to Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT) (₹ 965.01).

Taking into account savings of ₹ 12.21 crore available in the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 952.80 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	258.94	0.08	259.02
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	11.50	11.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	12.75	12.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	258.96	24.33	283.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 - Industries	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6857 - रसायन और भेषज उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6857 - Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries	Voted: ...	12.75 (खब)	12.75
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	12.75	12.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने के लिए प्रत्येक को ₹ 1.00 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 3.00 करोड़)।

- (a) providing 'Grants-in-aid General' of ₹ 1.00 crore each for establishment of three National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) in Maharashtra, Rajasthan and Chhattisgarh (₹ 3.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) वेतन और अन्य आकस्मिक खर्चों के कारण देयताओं का भुगतान करने के लिए हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड को ऋण के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि से ₹ 12.75 करोड़ स्वीकृत अग्रिम की वापसी।

- (b) recoupment of an advance of ₹ 12.75 crore sanctioned from the Contingency Fund of India as loan to Hindustan Antibiotics Limited for payment of dues on account of salaries and other contingency expenses;

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	813.34	2528.20	3341.54	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	20.05	800.00	820.05	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	29.33	29.63	58.96	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	862.72	3357.83	4220.55	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना- भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted: 1.66 (खb)	27.66 (गc)	29.32	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 1.67	27.66	29.33	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted: 29.63 (घd)	...	29.63	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 31.30	27.66	58.96	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) इंडियन कैरियर्स, सूचना और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग की कारगरता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 2.00 करोड़);

- (a) meeting additional requirement for Enhancing Effectiveness of Indian Carriers, Information Technology Networking and Capacity Building (₹ 2.00 crore);

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) (i) गगन परियोजना और जम्मू हवाई अड्डा के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना (₹ 1.66 करोड़);

- (b) (i) meeting additional requirement for GAGAN project and Jammu Airport (₹ 1.66 crore);

- (ii) भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के लिए पूंजी आस्ति सृजन हेतु सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 0.34 करोड़);

- (ii) meeting additional expenditure under Grants-in-aid for creation of Capital Assets for Airport Authority of India (₹ 0.34 crore);

चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.34 करोड़ की बचत उपलब्ध है इससे ₹ 1.66 करोड़ नकद व्यय होगा।

As the savings of ₹ 0.34 crore is available in the same section of the Grant, this will entail cash outgo of ₹ 1.66 crore.

- | | |
|---|--|
| <p>(ग) विनिमय दर में विभिन्नता के कारण एयरलाइन्स को भुगतान के लिए हज सब्सिडी संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 30.00 करोड़)।</p> <p>चूंकि अनुदान के भाग में ₹ 2.34 करोड़ की बचत उपलब्ध है, उपर्युक्त में ₹ 27.66 करोड़ नकद व्यय होगा।</p> | <p>(c) meeting additional expenditure on Haj subsidy for the payment to airlines due to variation in exchange rate (₹ 30.00 crore);</p> <p>As the saving of ₹ 2.34 crore is available in the section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 27.66 crore.</p> |
| <p>(घ) (i) चालू परियोजनाओं के लिए निवेश के रूप में भारतीय होटल निगम में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 5.00 करोड़) और (ii) विमानन प्रशिक्षण अकादमी और क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण कार्य के लिए व्यय पूरा करना (₹ 24.63 करोड़)।</p> <p>अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 22.29 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में ₹ 7.34 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।</p> | <p>(d) (i) meeting additional requirement in Hotel Corporation of India as investment for on-going projects (₹ 5.00 crore) and (ii) meeting expenditure for construction work of Aviation Training Academy and Regional Offices (₹ 24.63 crore);</p> <p>Taking into account the surrender of savings of ₹ 22.29 crore available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 7.34 crore.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 12

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	4990.01	101.50	5091.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	50.00	50.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4990.03	151.50	5141.53
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 -Foreign Trade and Export Promotion	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted:	50.00 (खb)	...	50.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	50.01	...	50.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (₹ 15 करोड़) (ii) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को पूंजी आस्ति के सृजन हेतु (₹ 5 करोड़) (iii) पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के लिए चमड़ा और चमड़ा उत्पाद (₹ 10 करोड़), (iv) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (₹ 375 करोड़) (v) बाजार तक पहुंच की पहल के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) (vi) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (₹ 2 करोड़) (vii) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को हिसाब में लेते हुए सांकेतिक पुराक मांगा गया है।

- (ख) निर्यात ऋण और गारंटी निगम में अतिरिक्त निवेश (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting the additional expenditure towards (i) subsidies to Marine Products Export Development Authority (MPEDA) (₹15 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets to Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) (₹ 5 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets towards Leather & Leather Product (₹ 10 crore), (iv) Grants-in-aid General to National Export Insurance Account (NEIA) (₹ 375 crore), (v) Grants-in-aid General to Market Access Initiative (MAI) (₹ 50 crore), (vi) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) (₹ 2 crore) under other Administrative Expenses and (vii) Director General of Foreign Trade (DGFT) (0.50 crore) under other Administrative Expenses.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) additional investment in Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC) (₹50 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)
(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2613.58	2.61	2616.19
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	100.00	...	100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	...	3.07	3.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2713.58	5.68	2719.26
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted:	3.07	...	3.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

चेन्नई में बौद्धिक सम्पदा कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (₹ 3.07 करोड़।)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

construction of office building for Intellectual Property Office (IPO) at Chennai (₹ 3.07 crore).

Taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant, this expenditure will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.20	...	0.20
	स्वीकृत:	Voted: 19494.06	336.65	19830.71
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 1.80	0.14	1.94
	स्वीकृत:	Voted: 40.00	11.26	51.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	19536.06	348.05	19884.11
	भारित:	Charged: 2.00	0.14	2.14
	स्वीकृत:	Voted: 19534.06	347.91	19881.97
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	1.80 (का)	1.80
	स्वीकृत:	Voted: 40.00 (खb)	...	40.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	40.00	1.80	41.80
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित: 5201 - Capital Outlay on Postal Services	Charged: 0.14 (गc)	...	0.14
	स्वीकृत:	Voted: 11.26 (घd)	...	11.26
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	11.40	...	11.40
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	51.40	1.80	53.20
	भारित:	Charged: 0.14	1.80	1.94
	स्वीकृत:	Voted: 51.26	...	51.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केरल के कलीकट स्थित पोस्टल स्टॉक डिपो के भवनों के संबंध में ₹ 0.12 करोड़) और प.बंगाल के कोलकाता में (₹ 1.26 करोड़) के किराये के बकाया का भुगतान करने तथा पतनमथिता मुख्य डाक घर द्वारा बिजली प्रभार के बकाया (₹ 0.42 करोड़) का भुगतान करने के लिए। से भुगतान न्यायालय के निर्णय से देने पड़ रहे हैं।
- (ख) पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने और उसके लिए नेटवर्क एकीकरण के लिए। (₹ 40 करोड़)।
- (ग) वाराणसी, हैदराबाद और अहमदाबाद में भूमि अधिग्रहण/भवन निर्माण में न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान की राशि पूरी करने के लिए।
- (घ) लंबित दावों के निपटान के लिए "बैंकिंग और पोस्टल लाइफ इश्योरेंस सोल्युशन्स का विकास और कार्य पर लगाने" के अंतर्गत भुगतान करने के लिए (₹ 11.26 करोड़)
- उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) towards payment of arrears of rent in respect of buildings of Postal Stock Depot at Calicut, Kerala (₹ 0.12 crore), Kolkata, West Bengal (₹ 1.26 crore) and payment of arrears of electricity charges by Pathanamthitta Head Post Office (₹ 0.42 crore). These payments are arising out of Court judgments.
- (b) towards setting up of Post Bank of India (₹ 40 crore) and Network Integration therefor.
- (c) towards meeting payments arising out of Court judgments in land acquisition/construction of building at Varanasi, Hyderabad and Ahmedabad.
- (d) towards making payment under "Development and Deployment of Banking and Postal Life Insurance Solutions" for settlement of pending claims (₹ 11.26 crore)
- The above expenditures will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 15

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	13284.10	2590.50	15874.60	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	93.64	...	93.64	
	स्वीकृत:	Voted:	9.01	...	9.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	344.03	...	344.03	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	13730.78	2590.50	16321.28	
	भारित:	Charged:	93.64	...	93.64	
	स्वीकृत:	Voted:	13637.14	2590.50	16227.64	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
				आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत:	3275 -Other Communication Services	Voted:	...	344.02 (खb)	344.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	344.02	344.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) जीवन पर मोबाइल टावर और हैंडसेट से विकिरण के संभावित प्रभाव के अध्ययन के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना हेतु (₹ 4.95 करोड़)।

(a) towards R&D project for studying the possible impact of radiation, exposure from mobile towers and handsets on life (₹ 4.95 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) पुनरुद्धार और वेतन के भुगतान हेतु आईटीआई लिमिटेड को (₹ 344.02 करोड़) की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(b) providing financial relief to ITI Limited (₹ 344.02 crore) towards revival and payment of salary.

इसमें नकद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:		2482.85	147.15	2630.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:		0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2482.86	147.15	2630.01
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"डिजिटल इंडिया कार्यक्रम" के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के लिए (₹25 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय सुपरकम्प्यूटिंग मिशन परियोजना के लिए (₹25 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing Grants-in-aid General under "Digital India Programme" (i) for the Externally Aided Project of Electronic Governance (₹25 crore) and (ii) for National Supercomputing Mission Project (₹25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	256.07	20.70	276.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	53.00	...	53.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	309.07	20.70	329.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: ...	53.00	53.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा निम्नलिखित का अनुमोदन करने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 53 करोड़)(i) दालों के आयात पर हानि की सीमा 15% से बढ़ाकर 20% करना और (ii) स्कीम अवधि के दौरान आयातित दालों के दावे और स्कीम समाप्त होने के बाद 6 माह तक अर्थात् 30.09.2011 तक बिक्री की गई।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional requirement (₹ 53.00 crore) to reimburse the claims of the PSUs on account of CCEA approval of (i) raising the limit of losses on import of Pulses from 15% to 20% and (ii) claims for pulses imported during the scheme period and sold upto 6 months after the expiry of the Scheme i.e. till 30.09.2011.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 18

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	125950.30	10587.25	136537.55	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	650.02	...	650.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	10000.01	10000.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	126600.33	20587.26	147187.59	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4408 - खाद्य भंडारण और भण्डागारण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01	
6408 - खाद्य भंडारण और भण्डागारण के लिए ऋण	स्वीकृत: 6408 - Loans for Food, Storage and Warehousing	Voted: ...	10000.00 (गक)	10000.00	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.01	10000.00	10000.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	10000.00	10000.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गोदाम का निर्माण (₹ 6.61 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपबल्ल्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए पूरक मांगा गया है।

(ख) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, के कानपुर में संबद्ध एनालिटिकल उपकरण के साथ किण्वन और आसवन इकाई की स्थापना (₹ 1.00 करोड़)

अनुदान के उसी भाग में उपबल्ल्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए पूरक मांगा गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य अनाज की खरीददारी के लिए नकद प्रवाह की जरूरतें पूरी करने हेतु भत्ते और अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करना। (₹ 10000.00 करोड़)।

चूंकि चालू वित्त वर्ष में ही अर्थोपाय अग्रिम की राशि चुकानी है, तकनीकी पूरक मांगा गया है जिसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) construction of godowns in Tripura and Arunachal Pradesh (₹ 6.61 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) setting-up fermentation and distillation unit along with associated analytical equipment in National Sugar Institute, Kanpur (₹ 1.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) providing Ways and Means Advance to Food Corporation of India to meet cash flow requirements towards procurement of food grains for Targeted Public Distribution System (₹ 10000.00 crore).

As the amount of Ways and Means Advance is to be repaid during the current financial year itself, a technical supplementary is sought which will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	242.78	29.10	271.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	129.25	17.00	146.25
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	372.03	46.10	418.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	129.25 (का)	129.25
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted: ...	17.00 (खब)	17.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	146.25	146.25

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ अनुदान के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) हेतु पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली में एनबीसीसी की परियोजना में 80,000 वर्ग फीट कार्यवली स्थान की खरीद के लिए निधियों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 129.25 करोड़)।

उपरोक्त व्यय में नकद नहीं देना होगा।

- (ख) देश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण और विधिक अपीलिय अधिकरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं को पूरी करने हेतु निधियों की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (₹ 17.00 करोड़)।

उपरोक्त में नकद व्यय होगा।

- (a) meeting the additional requirement of funds towards purchasing of 80,000 sq. ft. Office space in the project of NBCC in East Kidwai Nagar, New Delhi for Competition Commission of India (CCI) under the 'Grant for Creation of Capital Assets (₹ 129.25 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo;

- (b) meeting the additional requirement of funds towards completing the infrastructure facilities for the National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal at different locations in the country (₹ 17.00 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2091.50	77.50	2169.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	30.02	0.01	30.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2121.55	77.51	2199.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) "कला और संस्कृति और शताब्दी समारोह के अन्तर्गत ₹ 37.90 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान - स्कीम की निम्न संघटक इकाइयों के संबंध में : अन्य (अभियान, स्कीम और स्वायत्त संगठन)" (i) बंगिया साहित्य परिषद, कोलकाता, ग्रंथसंग्रह अनुदान (₹ 10.00 करोड़) (ii) गांधी स्मृति परिसर के विकास और प्रदर्शनी के पुनः विकास हेतु गांधी स्मृति और दर्शन समिति (₹ 7.45 करोड़) (iii) संगीत नाटक अकादमी को अकादमी प्रकाशन के 8 शीर्षकों का पुनः मुद्रण, पंडित रामनाथ अनुसंधान केन्द्र, पुणे, कथक केन्द्र नई दिल्ली, कुटियातम केन्द्र, थिरुवंधपुरम, मेघदूत सिनेमा परिसर, रितु परवा, बी.आर अम्बेडकर की 150वीं जयंती समारोह, पंडित रवि शंकर का समारोह, सुगम संगीत, छात्रवृत्ति और पुरस्कार, व्याकरण केन्द्र, वाराणसी (₹ 9.35 करोड़) को सुदृढ़ करना, (iv) विदेशों में भारतीय साहित्य के लिए साहित्य अकादमी, ई-भाषकर (साहित्य) राष्ट्रीय मिशन, वाराणसी विद्यालय परियोजना, परियोजना मौसम (₹ 3.00 करोड़) (v) बुद्ध पुर्णिमा दिवस के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धि परिसंघ संवाद पर 'संवाद कॉफी टेबल बुक' के रात्री भोज का खर्च, वैन की 150वीं जयंती समारोह, अंगरीका धर्मपाला, दिसम्बर में अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा (₹ 4.50 करोड़) (vi) नाटक कार्यशाला आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, लघु अवधि के अद्यापन पाठ्यक्रम, परम्परागत समूहों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम, थियेटर उत्सव प्रदर्शनी, हरिदे और प्रसाद परियोजना, वाराणसी आदि, भारत रंग महोत्सव के साथ-साथ थियेटर संस्थान को उत्सव - 2016, नये पाठ्यक्रम आदि चलाने के लिए संविदा आधार पर स्टॉफ की आवश्यकता;

(a) Grants in Aid General, for meeting total additional requirements of ₹ 37.90 crore towards the Scheme "Art and Culture and Centenary Celebrations - Others (Missions, Schemes and Autonomous Organizations)" in respect of the following constituent units of the scheme : (i) Bangiya Sahitya Parishad, Kolkata, for Corpus Grant (₹ 10.00 crore) (ii) Gandhi Smriti and Darshan Samiti for development of Gandhi Smriti premises and re-development of exhibition (₹ 7.45 crore) (iii) Sangeet Natak Akademi for reprint of 8 titles of Akademi publication, strengthening of Pandit Ramnath Research Center, Pune, Kathak Kendra New Delhi; Kutiyattam Kendra, Thiruvananthapuram, Meghdoot Theatre Complex, Ritu Parava, Celebration of 150th Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, Celebration of Pandit Ravi Shankar, Sugam Sangeet, Fellowship & Award, Vyakhayan Kendra, Varanasi (₹ 9.35 crore) (iv) Sahitya Akademi for Indian Literature Abroad, E-Bhasha (Sahitya) National Mission, Varanasi Vidhyalaya Pariyojna, Project Mausam (₹ 3.00 crore) (v) International Buddhist Confederation on account of International Buddha Purnima Diwas, Expenditure on dinner for Coffee Table Book on 'Samvad'; 150th Birth Anniversary celebration of Ven. Angarika Dharmapala, International Seminar to be held in December

एनएसडी बंगलुरु केन्द्र, (एक वर्ष का अध्यापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम; भारतीय लौकिक थियेटर में प्रशिक्षण; अनुश्रुतियां, ए-इलकाजी पीठ, रैंजिडेंस स्कीम में कलाकार (₹ 3.60 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ख) (I) ₹ 4.86 करोड़ के कुल अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) संगीत नाटक अकादमी को पेंशन के संशोधन का भुगतान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवधिक लाभों हेतु (₹ 1.05 करोड़) (ii) साहित्य अकादमी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पारीवारिक पेंशन सहित पेंशन के भुगतान के लिए (₹ 3.32 करोड़) (iii) गांधी स्मृति और दर्शन समिति को बिजली, पानी, टेलीफोन बिलों और मंहगाई भत्तों के भुगतान हेतु (₹ 0.27 करोड़) (iv) इलाहाबाद संग्रालय को, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान, इंटरनेट कनेक्शन के इन्स्टालेशन आदि हेतु (₹ 0.22 करोड़)। (II) निम्न के लिए ₹ 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता वेतन (i) संगीत नाटक अकादमी को वेतन और भत्ते तथा मंहगाई भत्तों के भुगतान के लिए (₹ 1.90 करोड़) (ii) सांस्कृतिक संसाधनों और प्रशिक्षण के लिए केन्द्र, नई दिल्ली को वेतनों हेतु (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

- (ग) सहायता अनुदान वेतन, कला और संस्कृति तथा शताब्दी समारोह (अन्य, अभियान, स्कीमें तथा स्वायत्त संगठन) स्कीम के अन्तर्गत को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वेतनों के व्यय हेतु (₹ 0.38 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

(₹ 4.50 crore) (vi) National School of Drama for organizing theatre work shops; short term teaching courses; collaborative programmes with traditional groups, theatre festivals exhibitions, Hriday & Prasad project at Varanasi etc; festival of theatre institutes along side the Bharat Rang Mahotsav – 2016; staff requirement on contractual basis for introduction of new courses etc.; NSD Bangaluru Centre (One year teaching and training programme); training in Indian Classical Theatre, Legends, E-ELKAZI Chair; Artist in Residence schemes. (₹ 3.60 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (I) Grants-in-Aid General for meeting additional requirements of ₹ 4.86 crore to (i) Sangeet Natak Akademi for payment of revision of pension and terminal benefits to retiring employees (₹ 1.05 crore) (ii) Sahitya Akademi, for payment of Pension including family pension of retired employees (₹ 3.32 crore) (iii) Gandhi Smriti and Darshan Smiti for payment of electricity, water, telephone bills and DA etc. (Rs 0.27 crore) (iv) Allahabad Museum for payment of medical reimbursement payment to retiring employees, installation of Internet connections, etc (₹ 0.22 crore) (II) Grants in Aid Salaries, for meeting total additional requirements of ₹ 2.00 crore towards (i) Sangeet Natak Akademi for pay & Allowances and DA (₹ 1.90 crore) (ii) Centre for Cultural Resources and training, New Delhi, for salaries (₹ 0.10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Grants in Aid Salaries, for meeting additional requirements under the scheme of Art and Culture and Centenary Celebrations for meeting expenditure on salaries by Sangeet Natak Akademi)(₹ 0.38 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.74	...	0.74
	स्वीकृत:	Voted: 54499.26	...	54499.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 2.26	...	2.26
	स्वीकृत:	Voted: 5735.74	...	5735.74
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	60238.00	...	60238.00
	भारित:	Charged: 3.00	...	3.00
	स्वीकृत:	Voted: 60235.00	...	60235.00

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	भारित: 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	Charged: ...	2.26 (का)	2.26
	स्वीकृत:	Voted: ...	5735.74 (खb)	5735.74

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- | | |
|---|---|
| (क) न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान पूरा करने के लिए (₹ 2.26 करोड़) | (a) meeting payments arising out of Court orders (₹ 2.26 crore) |
| (ख) पेंशन और पेंशन वृद्धि संबंधी बढ़ी हुई सहायता दर के कारण अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 5735.74 करोड़) | (b) additional requirement due to increased rate of relief on pensions and growth in pensions (₹ 5735.74 crore) |
| उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा। | The above expenditures will entail a cash outgo. |

मांग संख्या DEMAND NO. 28

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	136.50	136.50
	स्वीकृत:	Voted:	...	94451.50	94451.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	भारित:	Charged:	...	0.11	0.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	...	43.15	43.15
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	94631.27	94631.27	
	भारित:	Charged:	...	179.76	179.76
	स्वीकृत:	Voted:	...	94451.51	94451.51
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Charged:	...	43.15 (का)	43.15
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	43.16	43.16	
	भारित:	Charged:	...	43.15	43.15
	स्वीकृत:	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) न्यायालय के आदेश के कारण भुगतान पूरा करना (₹ 43.15 करोड़)।</p> <p>अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) meeting payments arising out of Court orders (₹ 43.15 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the Voted Section of the Grant, this will not entail cash outgo.</p> |
| <p>(ख) थल सेना के निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 1588 करोड़)।</p> <p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(b) meeting additional requirement under 'Construction Works' of Army (₹ 1588 crore)</p> <p>As savings is available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2205.74	327.00	2532.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	75.00	75.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	60.00	60.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2205.78	462.00	2667.78
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.02	...	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted:	60.00 (गक)	...	60.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	60.02	...	60.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र जीविका परियोजना स्कीम के अन्तर्गत विश्व बैंक के साथ सहायता अनुदान प्रदान करना" (₹ 30.00 करोड़)।

(a) providing Grant-in-aid General under the scheme "North Eastern Region Livelihood Project with World Bank Assistance" (₹ 30.00 crore).

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) कारबी अंगलॉग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज स्कीम के तहत पूंजी सृजन करने के लिए सहायता प्रदान करना (₹ 6.00 करोड़)।

(b) (i) providing Grants for creation of capital assets under the scheme "Special Package for the Economic Development of the Karbi Anglong Autonomous Territorial Council Area" (₹ 6.00 crore).

(ii) दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद स्कीम के तहत पूंजी सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 4.00 करोड़)।

(ii) providing Grants for creation of capital assets under the scheme "Special Package for Dima Hasao Autonomous Territorial Council" (₹ 4.00 crore).

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) एनएलसीपीआर (केन्द्रीय) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (₹ 60.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) meeting additional requirement under Non Lapsable Central Pool of Resources (Central) (₹ 60.00 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6243.87	...	6243.87	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2685.01	...	2685.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	5402.00	...	5402.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14330.88	...	14330.88	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted: 4.80 (क)	...	4.80	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 300.20 (ख)	...	300.20	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 5092.20 (ग)	...	5092.20	
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 4.80 (घ)	...	4.80	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 5402.00	...	5402.00	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	2215 - Water Supply and Sanitation	(-) 2.40	...	(-) 2.40	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 2395.20	...	(-) 2395.20	
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	(-) 2.40	...	(-) 2.40	
जोड़	Total	(-) 2400.00	...	(-) 2400.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष के लिए स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 2.40 करोड़) और स्वच्छ भारत अभियान के तहत खर्च पूरा करना (₹ 2.40 करोड़)।

(a) transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for expenditure under Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2.40 crore) and meeting expenditure under Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2.40 crore).

₹ 2.40 करोड़ की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹ 2.40 करोड़ नकद देने होंगे।

Taking into account the recoveries of ₹ 2.40 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 2.40 crore.

- (ख) निम्न स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय पूरा करना (i) स्वच्छ भारत अभियान (₹ 240.00 करोड़) और(ii) राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (₹ 60.20 करोड़)।
- मुख्य शीर्ष 3601 के तहत ₹ 240.00 करोड़ की वसूलियों और मांग सं. 37 - राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण में उपलब्ध ₹ 60.20 करोड़ की समान बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 240.00 करोड़ नकद देना होगा।
- (ग) राष्ट्रीय स्वच्छता कोष (₹ 2395.20 करोड़) में स्वच्छ भारत उपकर के अंतरण के लिए ₹ 5092.20 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन (₹ 2155.20 करोड़) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर (₹ 541.80 करोड़) का व्यय करने का व्यय पूरा करना। राष्ट्रीय स्वच्छता कोष से (₹ 2395.20 करोड़) का व्यय पूरा करने और मांग सं.37 - राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण में की गई (₹ 541.80 करोड़), की बचत के अभ्यर्पण के बाद, इस पूरक में ₹ 2155.20 करोड़ नकद देना होगा।
- (घ) स्वच्छ भारत अभियान स्कीम के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान जारी करने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 2.40 करोड़)।
- ₹ 2.40 करोड़ की वसूलियों को देखते हुए, इसमें ₹ 2.40 करोड़ नकद देने होंगे।
- (b) meeting expenditure in North Eastern Region under the scheme of (i) Swachh Bharat Abhiyan(₹ 240.00 crore) and (ii) National Rural Drinking Water Programme (₹ 60.20 crore).
- Taking into account the recoveries of ₹ 240.00 crore under MH 3601 and the surrender of matching savings of ₹ 60.20 crore available in Demand No.37-Transfers to State and Union Territory Governments, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 240.00 crore.
- (c) meeting the expenditure of ₹ 5092.20 crore for transfer of Swachh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh (₹ 2395.20 crore), implementing the scheme of Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2155.20 crore) and incurring the expenditure of (₹ 541.80 crore) on National Rural Drinking Water Programme. After meeting the expenditure of (₹ 2395.20 crore) from Rashtriya Swachhata Kosh and the surrender of savings of (₹ 541.80 crore) made in Demand No. 37- Transfer to State and Union Territory Governments, this Supplementary will entail cash outgo of ₹ 2155.20 crore.
- (d) transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Abhiyan (₹ 2.40 crore).
- Taking into account the recoveries of ₹ 2.40 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 2.40 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 31

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	1497.56	125.02	1622.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1497.69	125.03	1622.72
	भारित:	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted:	1497.59	125.03	1622.62
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	स्वीकृत:	3403 -Oceanographic Research	Voted:	0.01 (क)...	0.01
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत:	3425 -Other Scientific Research	Voted:	0.01 (ख)...	0.01
3455 - मौसम विज्ञान	स्वीकृत:	3455 -Meteorology	Voted:	0.01 (ग)...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत:	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03 ...	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5455 - मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत:	5455 - Capital Outlay on Meteorology	Voted:	0.01 (घ)...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.04 ...	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) भारतीय नौवहन निगम को भुगतान हेतु अपूर्व स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 27 करोड़) और (ii) ओ-स्टोर्मस स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 6 करोड़) अतिरिक्त प्रादन करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) रीचआउट स्कीम के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ग) (i) एक्रास स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 68.30 करोड़) और (ii) सेज स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 2 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (घ) लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional (i) Grants-in-aid General (₹ 27 crore) under the Scheme APOORV for payment to Shipping Corporation of India and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6 crore) under the Scheme O-STORMS.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) providing additional Grants-in-aid General (₹ 6 crore) under the Scheme REACHOUT.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) providing additional (i) Grants-in-aid General (₹ 68.30 crore) under the Scheme ACROSS and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) under the Scheme SAGE.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) meeting additional expenditure under Major Works (₹ 4 crore) towards payment of pending liabilities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1888.81	48.79	1937.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	120.02	0.01	120.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2008.83	48.80	2057.63
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 -Forestry and Wild Life	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	स्वीकृत: 3435 -Ecology and Environment	Voted: 120.00 (खब)	...	120.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 120.02	...	120.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 120.03	...	120.03
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435 - Ecology and Environment	(-) 120.00	...	(-) 120.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (क) (i) वानिकी और वन्य प्राणी संस्थाओं अर्थात् भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद को (₹. 4.90 करोड़) और भारतीय वन प्रबंध संस्थान को (₹. 0.40 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान; (ii) भारतीय वन प्रबंध संस्थान को पूंजी आसक्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.50 करोड़) और (iii) वन्य प्राणी प्रभाग सुदृढीकरण अर्थात् केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़) और वन्य प्राणी संबंधी अपराध नियंत्रण (₹ 1.15 करोड़) अतिरिक्त राशि देना।

- (a) providing additional (i) Grants-in-aid General to Forestry and Wild Life Institutions viz. Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 4.90 crore) and Indian Institute of Forest Management (₹ 0.40 crore); (ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Institute of Forest Management (₹ 4.50 crore) and (iii) Grants-in-aid General to Strengthening of Wildlife Divisions viz Central Zoo Authority (₹ 2 crore) and Control of Wildlife Crime (₹ 1.15 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|---|---|
| <p>(ख) (ख) (i) पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता (उत्कृष्टता केंद्र) को अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 4.90 करोड़) और (ii) जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए व्यवहार्य अंतराल निधियन हेतु ऊर्जा संयंत्र को 12 मेगावाट अपशिष्ट के लिए पूर्वी दिल्ली अपशिष्ट प्रक्रियान्वयन कंपनी लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान, (₹ 120 करोड़)</p> <p>चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 4.90 करोड़ की बचत उपलब्ध है, ₹ 120 करोड़ की शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक मांगा जाता है, जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) providing (i) additional Grants-in-aid Salaries to Environment Information, Education and Awareness (Centres of Excellence) (₹ 4.90 crore) and (ii) Grants-in-aid-general (₹ 120 crore) to East Delhi Waste Processing Company Limited for the 12 MW Waste to Energy Plant towards viability gap funding for Waste Management Facility under Climate Change Action Plan.</p> <p>As savings of ₹ 4.90 crore is available within the same section of the grant, a technical supplementary is sought for the balance amount of ₹ 120 crore, which will be met from National Clean Energy Fund. This will not entail cash outgo.</p> |
| <p>(ग) (ग) ईएपी घटक के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को पूंजी आसक्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 5 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(c) providing Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) to National River Conservation Plan under EAP Component</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(घ) (घ) कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सिविल इंजीनियरिंग विंग के तहत मुख्य निर्माण कार्यों के लिए व्यय पूरा करना (₹ 3 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(d) meeting expenditure towards Major Works (₹ 3 crore) under Civil Engineering Wing for construction of office building.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 33

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)				
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total		
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:					
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03	
	स्वीकृत:	Voted:	11238.00	3728.80	14966.80	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:					
	स्वीकृत:	Voted:	10.00	...	10.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:					
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		11248.05	3728.80	14976.85	
	भारित:	Charged:	0.03	...	0.03	
	स्वीकृत:	Voted:	11248.02	3728.80	14976.82	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:						
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:						
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted:	...	0.01 (का)	0.01	
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co-operation with Other Countries	Voted:	...	0.01 (खb)	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (i) स्थापना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए दूतावासों और मिशन (₹ 276.02 करोड़) (ii) विशेष डिप्लोमैटिक व्यय (₹ 1014.00 करोड़) और (iii) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (₹ 917.31 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) निम्नलिखित स्कीमों के तहत विदेशों को निधियां प्रदान करना (i) नेपाल को सहायता (₹ 500.00 करोड़) (ii) म्यांमार को सहायता (₹ 275.00 करोड़) (iii) अफ्रीकी देशों को सहायता (₹ 571.53 करोड़) और अफगानिस्तान को सहायता (₹ 463.67 करोड़);

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (a) providing additional funds under (i) 'Embassies and Missions' to meet establishment related expenditure (₹ 276.02 crore), (ii) 'Special Diplomatic Expenditure' (₹ 1014.00 crore) and (iii) 'Central Passport Organisation' (₹ 917.31 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) providing funds to foreign countries under the schemes (i) 'Aid to Nepal' (₹ 500.00 crore), (ii) 'Aid to Myanmar' (₹ 275.00 crore), (iii) 'Aid to African Countries' (₹ 571.53 crore) and 'Aid to Afghanistan' (₹ 463.67 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 34

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)
(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	17774.88	5601.69	23376.57	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	13.34	...	13.34	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.08	485.02	485.10	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17788.30	6086.71	23875.01	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01	
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01	
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01	
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 -Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01	
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01	
3466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	स्वीकृत: 3466 -International Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (चf)	0.01	
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 -Other General Economic Services	Voted: ...	0.01 (छg)	0.01	
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत: 3605 -Technical and Economic Co- operation with Other Countries	Voted: ...	0.01 (जh)	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.07	0.08	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: ...	0.01 (झi)	0.01	
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (ञj)	0.01	
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted: 485.00 (टk)	...	485.00	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 485.00	0.02	485.02	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 485.01	0.09	485.10	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3054 - सड़क और पुल	3054 - Roads and Bridges	(-) 862.00	...	(-) 862.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) स्वर्ण सूची शुरू करने के लिए विज्ञापन और प्रचार प्रसार हेतु रु. 3.20 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(a) meeting additional requirement of ₹ 3.20 crore towards advertisement and publicity for the launch of Gold Schemes.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (एसएटी) के लिए आईबीआरडी द्वारा किए गए संवितरण के संबंध में किराए, दरों और करों के लिए रु. 0.95 करोड़ और किराए पर ली गई परामर्श सेवाएं-जमा न किए गए समतुल्य रूप के भुगतान के लिए रु. 0.46 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(b) meeting additional requirement of ₹ 0.95 crore towards Rent, Rates and Taxes and ₹ 0.46 crore towards payment of hired consultancy services-Non Deposit Rupee equivalent in respect of disbursement made by IBRD for Security Appellate Tribunal (SAT).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ग) 'सरकारी खातों के लिए दावा न की गई प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान' के लिए एकमुश्त प्रावधान हेतु (रु. 0.10 करोड़) का अतिरिक्त खर्च पूरा करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(c) meeting additional expenditure requirement (₹ 0.10 crore) for lumpsum provision towards 'Payment in connection with Unclaimed Securities credited to Government Accounts'.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(घ) आईएफडीए संसाधनों की 10वीं पूर्ति के लिए 13 मिलियन अमेरिकी डालर की पहली किस्त के भुगतान के कारण अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) को अंशदान और विनिमय में परिवर्तन के कारण 'सरकारी खातों के लिए दावा न की गई प्रतिभूतियों संबंधी भुगतान' के लिए एकमुश्त प्रावधान हेतु (रु. 19.00 करोड़) का खर्च पूरा करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(d) meeting expenditure for Contribution to International Fund for Agricultural Development (IFAD) on account of payment of 1st installment of US\$ 13 million to 10th Replenishment of the IFAD Resources and on account of exchange variation (₹ 19.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ङ) अधिक डीजल कर संग्रहण के कारण केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण के लिए रु. 862 करोड़ और रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए रेलवे को जारी करने के लिए रु. 862 का अतिरिक्त खर्च।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(e) additional expenditure of ₹ 862 crore for transfer to Central Road Fund on account of higher collection of diesel cess and ₹ 862 crore for release to Railways for Railway Safety Works</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(च) निम्नलिखित की जरूरत हेतु (i) अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीएफ) को अंशदान (रु. 36.26 करोड़) (ii) विशेष आहरण अधिकारों के प्रशासन के संबंध में अंतराष्ट्रीय मौद्रिक निधि को देय मूल्यांकन प्रभार (रु. 0.22 करोड़) (iii) दक्षिण-दक्षिण अनुभव विनिमय न्यास निधि को अंशदान (एसईईटीएफ) के लिए व्यय पूरा करना (रु. 3.25 करोड़) और (iv) प्रधानमंत्री के अनुमोदन के अनुसार अंतराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए) को अंशदान। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तीन किस्तों में 200 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान अनुमोदित किया है। 66.67 मिलियन अमेरिकी डालर की दूसरी किस्त वित्त वर्ष 2015-16 में प्रभावी होगी है। (रु. 13.40 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(f) additional requirement for (i) subscription to African Development Fund (AfDF) (₹ 36.26 crore) (ii) Assessment charges payable to International Monetary Fund in regard to Administration of Special Drawing Rights (₹ 0.22 crore) (iii) meeting expenditure for 'Contribution to South-South Experience Exchange Trust Fund' (SEETF) (₹ 3.25 crore) and (iv) Contributions to International Development Association (IDA). Payment of US\$ 200 Million in three installments has been approved and 2nd installment of US\$ 66.67 Million is to be effected in FY 2015-16 (₹ 13.40 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(छ) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) एडस, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक निधि में अंशदान (रु. 1.52 करोड़) (ii) टीकाकरण और प्रतिरक्षण (जीएवीआई) के लिए वैश्विक गठजोड़ को अंशदान (रु. 0.53 करोड़)।</p> | <p>(g) meeting additional requirement on account of (i) Contribution to the Global Fund for AIDS, TB and Malaria (₹ 1.52 crore) (ii) Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹ 0.53 crore).</p> |

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निवासी प्रतिनिधि का व्यय (रु. 0.98 करोड़) (ii) विनिमय दर में परिवर्तन की वजह से वैश्विक पर्यावरण सुविधा न्यास निधि को अंशदान (रु. 1.71 करोड़)।	(h) meeting additional amount on account of (i) Expenses of Resident Representative of United Nations Development Programme (₹ 0.98 crore) (ii) Contributions to Global Environment Facility Trust Fund (₹ 1.71 crore) on account of exchange rate variation.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ) (i) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के सृजनार्थ चुकाई गई पूंजी के लिए लिए गए आकस्मिक अग्रिम (रु. 0.02 करोड़) और राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना निधि न्यास लिमिटेड के लिए रु. 0.02 करोड़ का रिकूपमेंट।	(i) recoupment of contingency fund advance taken for paid up capital for creation of National Investment & Infrastructure Fund (NIIF) (₹ 0.02 crore) and ₹ 0.02 crore for National Investment and Infrastructure Fund Trustee Limited.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज) (क) निम्न के लिए अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (i) सामान्य पूंजी वृद्धि (सीजीआई) का भुगतान (₹ 5.19 करोड़) (ii) सामान्य पूंजी वृद्धि के तहत 1744 अतिरिक्त शेयरों के आबंटन के लिए (विनिमय दर में परिवर्तन के लिए रु. 5.19 करोड़ + रु. 0.43 करोड़)।	(j) (a) meeting additional amount on account of (i) Payment of General Capital Increase (GCI) (₹ 6.27 crore) (ii) towards allotment of 1744 additional shares under General Capital Increase (₹ 5.19 crore + ₹ 0.43 crore towards exchange rate variation).
(ख) ब्रिक्स-न्यू डेवलपमेंट बैंक को अंशदान के कारण भुगतान (₹ 70.00 करोड़)।	(b) payment on account of subscription to BRICS - New Development Bank (₹ 70.00 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट) अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतराल निधियन के लिए सहायता हेतु ₹ 500.00 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत पूरी करना। इस प्रयोजन के लिए, अनुदान के इसी भाग में रु. 15 करोड़ की बचत का उपयोग किया जाए और शेष अनुदान के राजस्व भाग से ली जाए। अतः, तकनीकी पूरक मांगा गया है। उपरोक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।	(k) meeting additional requirement of ₹ 500.00 crore on account of Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding. For this purpose, the saving of ₹ 15 crore in the same section of the Grant will be utilised and rest is to be provided from the Revenue Section of the Grant. Hence, a Technical Supplementary is sought. The above expenditure will not entail any Cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 35

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital
				जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	15311.80	17495.00	32806.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	500.02	12221.20	12721.22
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.03	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		15811.85	29716.23	45528.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
				आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan
				जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत: 2416 - Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत: 2885 - Other Outlays on Industries and Minerals	Voted:	...	0.01 (खब)	0.01
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3475 - Other General Economic Services	Voted:	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6416 - कृषि वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6416 - Loans to Agricultural Financial Institutions	Voted:	...	0.01 (घद)	0.01
6885 - उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	स्वीकृत: 6885 - Other Loans to Industries and Minerals	Voted:	0.01 (डे)	0.01 (चफ)	0.02
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.01	0.02	0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.05	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) भारत स्विस सहयोग -VI भारत स्विस परियोजना करार के तहत नाबार्ड के लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी- 'विशेष निधि' का उपयोग (₹ 5.39 करोड़)

(a) subsidy for settlement of pending claims of NABARD under Indo Swiss Cooperation - VI Indo Swiss Project Agreement - Utilisation of 'Special Fund' (₹ 5.39 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) हाऊसिंग लोन के लिए 1 प्रतिशत ब्याज माफी स्कीम के तहत लंबित दावों के निपटान हेतु सब्सिडी (₹ 85.00 करोड़), भारत सरकार और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण व्यवस्था के तहत क्रेडिटन्सटाल्ट फर वेडराउबाउ (केएफडब्ल्यू) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रदत्त ऋण श्रृंखला हेतु 'ब्याज विभेदक निधि' के तहत जमा किए गए आईसीआईसीआई बैंक को

(b) subsidy for settlement of the pending claims under 1% Interest Subvention Scheme for Housing Loans (₹ 85.00 crore), Grants-in-aid for reimbursement of funds to ICICI Bank deposited under 'Interest Differential Fund' for Lines of Credit extended to ICICI Bank by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) under the

	निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य अनुदान सब्सिडी (₹ 37.74 करोड़); और स्ट्रेस्ड एसेट्स सटेबिलाइजेशन निधि (एसएसएसएफ) को निर्गमित प्रतिभूतियों की छूट के लिए ₹ 150 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। बilateral credit arrangement between GOI and Germany (₹ 37.74 crore) and additional expenditure of ₹ 150 crore towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) गरीबों की मदद के लिए परामर्श समूह में भारत की सदस्यता (सीजीएपी) के लिए 100,00 अमेरिकी डालर समतुल्य अंशदान (₹ 0.62 करोड़)	(c) contribution equivalent to US\$100,000 towards India's Membership in Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) (₹ 0.62 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) जम्मू- कश्मीर राज्य में लाइसेंसरहित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ₹ 0.02 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी हिस्सा प्रदान करना।	(d) providing additional Central Government's share of ₹ 0.02 crore to National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) as interest free loan for revival of Unlicensed District Central Cooperative Banks (DCCBs) in the State of Jammu and Kashmir.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) भारत में सूक्ष्म वित्त पोषण की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (एनएचबी) (आईडीए ऋण सं. 5283- आईएन) को विश्व बैंक की मदद हेतु प्रावधान करना (₹ 190 करोड़)।	(e) making provision towards World Bank Assistance to National Housing Bank (NHB) (IDA Credit No. 5283-IN) to improve access to microfinance in India (₹ 190 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च) भारत में सूक्ष्म वित्त पोषण की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) (आईडीए ऋण सं. 4754- आईएन) को विश्व बैंक की मदद हेतु प्रावधान करना (₹ 49.82 करोड़)।	(f) making provision towards World Bank Assistance to Small Industries Development Bank of India (SIDBI) (IDA Credit No. 4754-IN) to improve access to microfinance in India (₹ 49.82 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 37

राज्य और संघ शासित सरकारों को अंतरण

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	88864.52	12600.00	101464.52
स्वीकृत:	Voted:	35205.00	...	35205.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	2989.00	...	2989.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	127058.52	12600.00	139658.52
भारित:	Charged:	88864.52	12600.00	101464.52
स्वीकृत:	Voted:	38194.00	...	38194.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: ...	2989.00	2989.00
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है ! Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	...	(-) 1539.00	(-) 1539.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) से ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात अदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को सहायता के रूप में अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 2989.00 करोड़);

01.04.2015 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में उपलब्ध निधियों (₹ 1539.00 करोड़) का उपयोग और अनुदान के प्रभारित (राजस्व) भाग में उपलब्ध बचतों का अभ्यर्पण (₹ 1450 करोड़) करने से उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grant is required for:

providing additional funds as assistance to States affected by Natural Calamities like hailstorm, unseasonal rain etc., from National Disaster Response Fund (NDRF) (₹ 2989.00 crore);

Utilizing funds available as on 01.04.2015 in National Disaster Response Fund (₹ 1539.00 crore) and surrender of the savings available in the Charged (Revenue) Section of the Grant (₹ 1450 crore), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 43

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	16081.67	106.00	16187.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		16081.70	106.00	16187.70
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	16081.68	106.00	16187.68
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना (₹ 1845.65 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

providing CST compensation to UTs of Delhi and Puducherry (₹ 1845.65 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 47

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	505.51	...	505.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	19.11	...	19.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	524.63	...	524.63
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	19.10 (खब)	19.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- (क) गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान और विकास और संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 5.01 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) संस्थाओं और प्रशासन सुदृढीकरण स्कीम के तहत एनआईएफटीईएम के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान वेतन (₹ 9.92 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.08 करोड़) प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 19.10 करोड़ नकद व्यय होगा।

- (a) providing additional Grants-in-aid-General (₹ 5.01 crore) under the scheme for Quality Assurance, R&D and Promotional Activities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) providing Additional Grants-in-aid-Salaries (₹ 9.92 crore) and Grants-in-aid-General (₹ 10.08 crore) for NIFTEM under the Scheme for Strengthening of Institutions and Administration.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 19.10 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 48
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)
(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	31501.32	867.35	32368.67	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	650.02	0.01	650.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	450.03	150.01	600.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	32601.37	1017.37	33618.74	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना- भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 300.00 (का)	0.01 (खb)	300.01	
2211 - परिवार कल्याण	स्वीकृत: 2211 -Family Welfare	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 15.00 (ङe)	...	15.00	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 135.00 (चf)	...	135.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 450.01	0.02	450.03	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 150.00 (छg)	...	150.00	
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4211 - Capital Outlay on Family Welfare	Voted: 0.01 (जh)	...	0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 150.01	...	150.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 600.02	0.02	600.04	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) (i) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी के लिए (₹ 10.00 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान। (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। 1. आल इन्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली (₹ 150.00 करोड़) 2. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र जिपमेर पुदुच्चेरी (₹ 140.00 करोड़)।

- (a) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement for Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 10.00 crore) (ii) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/Schemes: 1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 150.00 crore) 2. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 140.00 crore)

विशेष सहायता देकर नीति आयोग द्वारा किए गए आवंटनों को ध्यान में रखते हुए ₹ 300.00 करोड़ की समतुल्य राशि मांग सं.37 से अभ्यर्पित की

Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 300.00 crore

जाएगी, राज्य और संघ राज्य सरकारों को अन्तरण तकनीकी अनुपूरक की मांग की जाती है जिसके लिए किसी नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

- (ख) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान; 1.वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.85 करोड़) 2. चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 0.64 करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹ 70.00 करोड़) 4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरो साइंसेज बेंगलोर (₹ 9.71 करोड़) 5. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एवं हियरिंग, मैसूर (₹ 1.42 करोड़) 6. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (₹ 22.10 करोड़) 7. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर, पुदुच्चेरी (₹ 43.00 करोड़) 8. लाला राम स्वरूप टी.बी. एवं सम्बद्ध रोग संस्थान नई दिल्ली (₹ 0.08 करोड़) 9. राष्ट्रीय आरोग्य निधि (₹ 2.00 करोड़) (ii) निम्नलिखित संस्थाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान वेतन 1. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली (₹ 0.50 करोड़) 2. चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता (₹ 2.76 करोड़) 3. आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली (₹ 200.00 करोड़) 4. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ (₹ 160.00 करोड़) 5. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जिपमेर पुदुच्चेरी (₹ 25.00 करोड़)।

- (b) (i) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.85crore) 2. Chittaranjan national Cancer Institute, Kolkata (₹ 0.64 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 70.00 crore) 4. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore (₹ 9.71crore) 5. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 1.42crore) 6. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 22.10crore) 7. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 43.00 crore) 8. Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (₹ 0.08 crore) 9. Rashtriya Arogya Nidhi (₹ 2.00 Crores) (ii) Grants-in-aid Salaries for meeting additional requirement under the following Institutions/ Programmes/ Schemes: 1. Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi (₹ 0.50 crore) 2. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 2.76 crore) 3. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 200.00 crore) 4. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 160.00 crore) 5. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (₹ 25.00 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) जनशक्ति की अधिप्राप्ति आपूर्ति, सेवा, सूचना शिक्षा एवं संचार (आईडसी) कार्यकलापों और अन्य स्थापना सम्बद्ध व्यय 1. गर्भ निरोधक का सामाजिक विपणन (₹ 50.00 करोड़) – गर्भ निरोधकों की आपूर्ति संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 2. परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री की निशुल्क आपूर्ति (₹ 100.00 करोड़) – निशुल्क वितरण हेतु गर्भ निरोधक सामग्री की आपूर्ति की खरीद के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 3. सूचना, शिक्षा और संचार (₹ 50.00 करोड़ - डैंगू और स्वाइन फ्लू से संबंधित चल रहे अभियान की वचनबद्धता के साथ हेपेटाइटिस बी से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया के अभियान पर किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।

- (c) Procurement of Manpower, Supplies, Services, Information Education & Communication (IEC) activities and other Establishment related expenditure: 1. Social Marketing of Contraceptives (₹ 50.00 Crores) – For meeting additional expenditure on supplies of contraceptives. 2. Free Supply of Family Planning Material (₹ 100.00 Crores) – For meeting additional expenditure on procurement of supplies of contraceptives for free distribution. 3. Information, Education and Communications (₹ 50.00 Crores – For meeting expenditure on Media Campaign to create awareness on Hepatitis B alongwith the commitments of the current campaign on Dengue and Swine Flu.

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़)।

- (d) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (₹ 1.50crore).

इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ङ) जिले के अन्तर्गत नए मेडिकल कालिज/रेफरल हास्पिटल की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (₹ 15.00 करोड़)।

- (e) Grants for creation of Capital Assets for financial assistance to State Govts. for establishment of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals (₹ 15.00 Crores).

नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए आबंटन को ध्यान में रखते हुए,

Taking into account the allocations made by NITI Ayog from

मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, से ₹ 15.00 करोड़ के समकक्ष धनराशि अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी अनुपूरक की मांग की गई है जिससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (च) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जिला/रेफरल अस्पतालों से सहबद्ध नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु (₹ 135.00 करोड़)। (ii) राजकीय औषध विनियामक प्रणाली के सुदृढीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय औषध प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सहायता-अनुदान (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 50.00 करोड़ की बचत को देखते हुए शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए आबंटन को ध्यान में रखते हुए, मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, से ₹ 135.00 करोड़ के समकक्ष धनराशि अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी अनुपूरक की मांग की गई है जिससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (छ) निम्न को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु 1. अस्पताल के पुर्नविकास - मशीनरी उपकरण (₹ 50.00 करोड़), प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 100.00 करोड़) पर व्यय की पूर्ति करने के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए। 2. एम्स की तरह के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षा संस्थानों की स्थापना और मशीनरी और उपकरण की खरीद पर व्यय पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अस्पतालों (पीएमएसएसवाई) के उन्नयन के लिए (₹ 175.00 करोड़) और प्रमुख निर्माण कार्य (₹ 50.00 करोड़), 3. सीजीएचएस के तहत औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना (₹ 40.74 करोड़), 4. डा. राम मनोहर अस्पताल, नई दिल्ली के मशीनरी और उपकरण की खरीद पर व्यय पूरा करने हेतु (₹ 10.90.00 करोड़), 5. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली हेतु मशीनरी और उपकरण की खरीद संबंधी व्यय पूरा करने हेतु (₹ 0.70 करोड़), 6. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के प्रमुख निर्माण कार्य संबंधी व्यय पूरा करने हेतु (₹ 37.19 करोड़) और 7. केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख निर्माण कार्यों पर व्यय पूरा करने हेतु (₹ 50.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 364.53 करोड़ की बचत के मद्देनजर, शेष राशि हेतु पूरक मांगा गया है। नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए आबंटन को ध्यान में रखते हुए, मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण, से ₹ 150.00 करोड़ के समकक्ष धनराशि अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी अनुपूरक की मांग की गई है जिससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (ज) परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई के प्रमुख कार्यों पर व्यय पूरा करना (₹ 0.99 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 15.00 crore would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

- (f) Grants for Creation of Capital Assets for providing financial assistance to State Governments: Estt. of New Medical Colleges attached with District/Referral Hospitals (₹ 135.00 Crores). (ii) Grants-in-aid General for providing financial assistance to State Government to set-up state level Drug Laboratories (₹ 50.00 crore) under the Scheme of Strengthening of State Drug Regulatory System.

After taking into account savings of ₹ 50.00 crore available in the same Section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 135.00 crore would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

- (g) For providing additionality to 1. Safdarjung Hospital, New Delhi for meeting expenditure on redevelopment of hospital – Machinery Equipment (₹ 50.00 crore), major works (₹ 100.00 crore), 2. For establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (PMSSY) for meeting expenditure on procurement of machinery & equipment (₹ 175.00 crore) and major works (₹ 50.00 cr), 3. Setting up of Dispensaries/Hospital under CGHS (₹ 40.74 crore), 4. For meeting expenditure on procurement of machinery and equipment for Dr. Ram Monohar Hospital, New Delhi (₹ 10.90 crore), 5. For meeting expenditure on procurement of machinery and equipment for Lady Hardinge Medical College and Smt. S K Hospital, New Delhi (₹ 0.70 crore), 6. For meeting expenditure on major work of National Centre for Disease Control (₹ 37.19 crore) and 7. For meeting expenditure on major works of Central Drugs Standards Control Organization (₹ 50.00 crore).

After taking into account savings of ₹ 364.53 crore available in the same Section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount of ₹ 150.00 crore would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought which will not entail any Cash Outgo.

- (h) meeting expenditure on major works in Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai (₹ 0.99 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 49

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूँजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	1018.17	...	1018.17	
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount				
पूरक अनुमान:	now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1018.20	...	1018.20	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-	जोड़	
		Plan	भिन्न	Total	
			Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (क) (1) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (₹ 164.65 करोड़) (ii) नई स्वीकृत फेलोशिप के लिए औषधि और स्वास्थ्य में अनुसंधान (₹ 1.80 करोड़) (iii) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप के संबंध में अपेक्षाएं पूरी करने के लिए महामारियों के प्रकोप की रोकथाम हेतु उपकरणों का विकास (₹ 9.00 करोड़) और (iv) महामारी, डेंगु, एच1एन1 के प्रकोप संबंधी व्यय पूरा करने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रबंधन (₹ 4.50 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 37.00 करोड़) और (3) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹ 129.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ख) (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को संस्थान के प्रचालन लागत/संस्थान के तहत कार्य करने वाले केंद्रों के संबंध में अतिरिक्त जरूरतें पूरी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 35.00 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹ 45.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को निम्नलिखित के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) अनुसंधान गतिविधियां (₹ 24.18 करोड़) (ii)

(a) (1) Grants in Aid General for meeting additional requirements under the following Schemes: (i) Indian Council of Medical Research (₹ 164.65 crore), (ii) Research in Medicine & Health for newly sanctioned fellowship (₹ 1.80 crore), (iii) Development of Tools to Prevent Outbreak of Epidemics to meet requirement on outbreak of Epidemics, Dengue, H1N1 (₹ 9.00 crore) and (iv) Management of Natural Calamities for meeting expenditure on outbreaks of Epidemics, Dengue, H1N1 (₹ 4.50 crore), (2) Grants for creation of capital asset for Indian Council of Medical Research (₹ 37.00 crore). and (3) Grants in Aid Salaries for ICMR (₹ 129.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants in Aid General to Indian Council of Medical Research for meeting additional requirements on operational cost of institute/centres functioning under the Institute (₹ 35.00 crore), (2) Grant in Aid Salaries to Indian Council of Medical Research (₹ 45.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) (1) Grants in Aid General to Indian Council of Medical Research for (i) Research activities (₹ 24.18 crore), (ii) Scheme Research in

अनुसंधान गतिविधियों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए औषधि और स्वास्थ्य में अनुसंधान स्कीम (₹ 0.20 करोड़) (iii) अनुसंधान गतिविधियों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए चिकित्सा, जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय स्कीम (₹ 0.85 करोड़) और (iv) अनुसंधान गतिविधियों पर बढ़ा हुआ खर्च पूरा करने के लिए प्रबंधन और आपदा स्कीम (₹ 0.50 करोड़) (2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन सहायता अनुदान (₹ 18.00 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Medicine & Health to meet increased expenditure on Research activities (₹ 0.20 crore), (iii) Scheme Co-ordination in Medical, Biomedical and Health Research to meet increased expenditure on Research activities (₹ 0.85 crore) and (iv) Scheme Management and Natural Calamities to meet increased expenditure on Research activities (₹ 0.50 crore). (2) Grants in Aid Salaries to ICMR (₹ 18.00 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

एड्स नियंत्रण विभाग

DEPARTMENT OF AIDS CONTROL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1347.00	50.00	1397.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 267.50	...	267.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1614.51	50.00	1664.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 90.00 (क) (क)	...	90.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 22.00 (ख) (ख)	...	22.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 155.50 (ग) (ग)	...	155.50
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 267.50	...	267.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) औषधि, किट्स और सामग्री के लिए वैश्विक निधि से अनुदान के तहत अतिरिक्त निधियां (₹ 90.00 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) घरेलू बजटीय सहायता के रूप में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान अपेक्षित है (₹ 22.00 करोड़)
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31.00 करोड़)
चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 31.00 करोड़ की बचत उपलब्ध है, उपर्युक्त व्यय में ₹ 22.00 करोड़ नकद होगा।
- (ग) (i) निम्नलिखित के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के लिए सामान्य सहायता अनुदान की आवश्यकता है (क) विश्व बैंक से ऋण के तहत (ईएपी घटक) (₹ 43.00 करोड़) और (ख) घरेलू बजटीय सहायता घटक (₹ 63.00 करोड़)
(ii) राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 59.50 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 10.00 करोड़ की बचत को देखते हुए शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 49.50 करोड़ की बचत अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक में ₹ 106.00 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Additional Funds under Grant from Global Fund (EAP) for Procurement of Drug, Kits and materials (₹ 90.00 crore).
The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (b) (i) Grants in Aid General to State AIDS Control Societies is required as Domestic Budgetary Support (₹ 22.00 crore)
(ii) Grants in Aid General to North East Region State AIDS Control Societies (₹ 31.00 crore)
As savings of ₹ 31.00 crore is available in the same Section of the Grant, the above expenditure will entail Cash Outgo of ₹ 22.00 crore.
- (c) (i) Grants in Aid General to State AIDS Control Societies is required (a) under credit from World Bank (EAP Component) (₹ 43.00 crore) and (b) Domestic Budgetary Support component (₹ 63.00 crore)
(ii) Grants in Aid General to States AIDS Control Society (₹ 59.50 crore).
After taking into account savings of ₹ 10.00 crore available in the same Section of the Grant, Supplementary is sought for the balance amount. As savings of ₹ 49.50 crore available in the Capital Section of the Grant will be surrendered, the supplementary will entail Cash Outgo of ₹ 106.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	275.73	1349.00	1624.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	198.94	0.01	198.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	474.67	1349.01	1823.68
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 51.87 (का)	...	51.87
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 144.54 (खb)	2.53 (गc)	147.07
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 196.41	2.53	198.94
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4860 - उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4860 - Capital Outlay on Consumer Industries	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 196.42	2.53	198.95

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) कचार पेपर मिल (सीपीएम), हिन्दुस्तान पेपर निगम लिमिटेड की एक एक इकाई, की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु, परिवहन सब्सिडी के रूप में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 101.87 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में ₹ 50.00 करोड़ उपलब्ध है और ₹ 51.87 करोड़ की राशि अनुदान के पूंजी अनुभाग से अभ्यर्पित की जाएगी। तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ख) एफएमई - इंडिया स्कीम (₹ 144.54 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (ग) 2015-16 की अवधि के लिए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में ₹ 2.53 करोड़ की गारंटी शुल्क सब्सिडी। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में 2.53 करोड़ की बही समायोजन बचत उपलब्ध है और कुछ नकद नहीं देना होगा, तकनीकी पूरक मांगा गया है।
- (घ) नेपा लिमिटेड के लिए इसके पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में अतिरिक्त जरूरत (₹ 53.59 करोड़) पूरी करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Meeting the additional requirement for Cachar Paper Mill (CPM), a unit of Hindustan Paper Corporation Limited as Grant-in-aid General for NER of ₹ 101.87 crore as transport subsidy. Savings of ₹ 50.00 crore is available under the same section of the Grant and an amount of ₹ 51.87 crore would be surrendered from Capital Section of the Grant. A technical supplementary is sought.
- (b) For meeting the additional requirement for the Scheme FAME - India of ₹ 144.54 cr. An equivalent amount would be surrendered from the Capital Section of the Grant, a Technical supplementary is sought.
- (c) Guarantee fee subsidy of ₹ 2.53 crore for the period 2015-16 as part of revival package to Heavy Engineering Corporation Ltd. as book adjustment savings of ₹ 2.53 crore is available in the Capital Section of the Grant and no cash outgo is involved. A technical supplementary is sought.
- (d) Meeting the additional requirement (₹ 53.59 crore) for NEPA Limited as a part of its revival package. Taking into account the savings available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)
(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1521.57	48.43	1570.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	195.36	...	195.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1716.95	48.43	1765.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत:	2070 -Other Administrative Services	Voted: 1.00 (क)	...	1.00
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत:	3454 -Census Surveys and Statistics	Voted: 76.00 (ख)	...	76.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 118.36 (ग)	...	118.36
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted: 195.36	...	195.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) राजभाषा अर्थात् क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के तहत विभिन्न स्कीमों के संबंध में वेतन पर व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.13 करोड़), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (₹ 0.87 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।</p> | <p>(a) meeting expenditure on salaries in respect of various schemes under Official Language viz Regional Implementation Office (₹ 0.13 crore), Central Hindi Training Institute (₹ 0.87 crore)</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo;</p> |
| <p>(ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के कार्यान्वयन के लिए कार्यालयी व्यय (₹ 75 करोड़) (ii) वाइटल स्टैटिस्टिक सिस्टम्स के सुधार के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 1 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।</p> | <p>(b) meeting expenditure for (i) Office Expenses for implementation of National Population Register (₹ 75 crore) (ii) Professional Services under Improvement of Vital Statistics Systems (₹ 1 crore)</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo;</p> |
| <p>(ग) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना के तहत राज्य सरकारों को भुगतान के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करने हेतु (₹ 218 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में (₹ 99.64 करोड़) और पूंजी भाग में (₹ 14.20 करोड़), उपलब्ध बचतों को देखते हुए जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। उपर्युक्त व्यय में ₹ 104.16 करोड़ नकद व्यय होगा।</p> | <p>(c) meeting expenditure for Grants-in-aid for creation of Capital Assets, for payment to State Governments under National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance (₹ 218 crore). Taking into account the savings available in the same Section (₹ 99.64 crore) and "Capital Section (₹ 14.20 crore) of the Grant, which will be surrendered", supplementary is sought for balance amount. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 104.16 crore.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 54

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)
(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	416.99	...	416.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	100.00	...	100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	196.28	...	196.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		713.27	...	713.27
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत: 2013 -Council of Ministers	Voted:	...	196.28	196.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) प्रधानमंत्री के वायुयान के रखरखाव के लिए लंबित दावों का निपटान करना (₹ 144.30 करोड़); (ii) कैबिनेट मंत्रियों के विदेश यात्रा खर्चों के कारण लंबित बिलों का भुगतान करना (₹ 64 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का गुप्त सेवा व्यय (₹ 1 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 13.02 करोड़ की बचत को देखते हुए इसमें ₹ 196.28 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for (i) clearing pending claims for maintenance of PM's aircraft (₹ 144.30 crore); (ii) clearing pending bills on account of Foreign Travel Expenses of Cabinet Ministers (₹ 64 crore) and (iii) secret service expenditure of National Security Council Secretariat (₹ 1 crore)

Taking into account the savings of ₹ 13.02 crore available in the same section of the grant, this will entail cash out go of ₹ 196.28 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 55

पुलिस
POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	12.28	7.92	20.20
	स्वीकृत:	Voted:	53568.83	9015.49	62584.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	100.01	100.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	970.34	0.02	970.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		54551.46	9123.44	63674.90
	भारित:	Charged:	12.28	7.92	20.20
	स्वीकृत:	Voted:	54539.18	9115.52	63654.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted:	70.36 (कa)	899.98 (खb)	970.34
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055 - पुलिस पर पूंजी परियोजना	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	70.37	899.99	970.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) (क) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करना (i) वायुयान का ग्राउंड हैंडलिंग प्रभार और बीएसएफ वायु संचयन द्वारा लंबित बिलों/देनदारियों का निपटारा करने के लिए भी (₹ 55.36 करोड़), (ii) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण को अनुदान प्रदान करना और एकीकृत चेक पोस्ट बनाने के लिए - पूंजी आसक्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 15.00 करोड़)</p> <p>अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) meeting expenditure for (i) ground handling charges of Aircraft and also for clearing pending bills/liabilities by BSF Air Wing (₹ 55.36 crore), (ii) providing Grants to Land Port Authority of India for creating Integrated Check Posts- Grants for creation of capital assets (₹ 15.00 crore)</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p> |
| <p>(ख) (ख) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) वेतन (₹ 581 करोड़) (ii) राशन की लागत (₹ 760 करोड़) (iii) घरेलू यात्रा खर्च (₹ 185 करोड़) (iv) भूमि पतन प्राधिकरण का सहायता अनुदान वेतन (₹ 0.50 करोड़) (v) भूमि पतन प्राधिकरण का सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 628.52 करोड़ बचत को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में ₹ 899.98 करोड़ निवल नकद व्यय होगा।</p> | <p>(b) meeting expenditure for (i) Salaries (₹ 581 crore) (ii) Cost of Ration (₹ 760 crore) (iii) Domestic Travel Expenses (₹ 185 crore) (iv) Grants-in-aid-Salary of Land Port Authority of India (₹ 0.50 crore) (v) Grants-in-aid-General of Land Port Authority of India (₹ 2 crore). Taking into account the savings of ₹ 628.52 crore available in the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 899.98 crore.</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>(ग) (ग) निम्नलिखित हेतु व्यय पूरा करना (i) कार्यालय भवन (₹ 517.55 करोड़) (ii) रिहायशी भवन (₹ 430.42 करोड़) (iii) सीमा चौकी (₹ 36.27 करोड़) (iv) भारत -चीन सीमा निर्माण कार्य (₹ 49 करोड़) (v) भारत-पाक सीमा में कंटीले तार लगाना (₹ 10 करोड़) और (vi) बीएसएफ वायु स्कंध का मशीनरी और उपस्कर (₹ 55.87 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(c) meeting expenditure for (i)Office Building (₹ 517.55 crore), (ii) Residential Building (₹ 430.42 crore), (iii) Border Out Posts (₹ 36.27 crore), (iv) Indo-China Border Works (₹ 49 crore), (v) Barbed wire fencing works in Indo-Pak Border (₹ 10 crore) and (vi) Machinery & Equipments of BSF Air Wing (₹ 55.87 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(घ) (घ) बीएसएफ द्वारा 3 एमआई 17 वी-5 हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए व्यय पूरा करना (₹ 37.74 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(d) meeting expenditure for procurement of 3 Nos MI 17 V-5 Helicopters by BSF (₹ 37.74 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 56

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 2206.03	358.53	2564.56
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 27.92	...	27.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 44.45	...	44.45
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2278.44	358.53	2636.97
	भारित:	Charged: 44.48	...	44.48
	स्वीकृत:	Voted: 2233.96	358.53	2592.49
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	भारित: 2235 - Social Security and Welfare	Charged: ...	44.45 (का)	44.45
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	44.46	44.46
	भारित:	Charged: ...	44.45	44.45
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) (क) गोवाहाटी उच्च न्यायालय के 03 दिसंबर, 2014 के आदेश के अनुपालन में अशोक पेपर मील के कर्मचारियों को देय रु. 44.45 करोड़ तक की देनदारियों का एकबारगी निपटान (रु. 44.45 करोड़)। स्वीकृत अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ख) (ख) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि घेराबंदी करार 1975 और इसके प्रोटोकाल 2011 का कार्यान्वयन (रु. 50.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(a) One Time Settlement of dues to the tune of ₹ 44.45 crore payable to employees of Ashok Paper Mill in pursuance of Guwahati High Court order Dated 3rd December, 2014 (₹ 44.45 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> <p>(b) implementation of the Land Boundary Agreement 1975 and its protocol 2011 between India and Bangladesh (₹ 50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|---|--|

मांग संख्या DEMAND NO. 58

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ # और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ # देखिये)

(See page # of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page # of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 5634.47	...	5634.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.05	...	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5634.56	...	5634.56
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	स्वीकृत: 2216 -Housing	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 -Urban Development	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.05	...	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(क) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत 'सब्सिडी' का प्रावधान करना (₹ 180.00 करोड़)	(a)	making provision for subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme (₹ 180.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(ख) संस्थागत विकास समावेशी अभिशासन स्कीम के अंतर्गत सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अध्ययन आदि का आयोजन करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 4.79 करोड़)।	(b)	release of Grant-in-aid General for conducting conferences, workshops, studies, etc. under the scheme of Institutional Development Inclusive Governance (₹ 4.79 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) (ग) (i) ऋण सहबद्ध सब्सिडी स्कीम के तहत 'सब्सिडी' का प्रावधान करना (₹ 20.00 करोड़)	(c)	(i) making provision for subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme (₹ 20.00 crore).
	(ii) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन स्कीम के तहत शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु (₹ 8.00 करोड़) और एकीकृत आवास और स्लम विकास		(ii) release of Grants for creation of capital assets under the scheme Basic Services to Urban Poor (₹ 8.00 crore) and Integrated Housing and Slum Development Project

परियोजना (₹ 2.00 करोड़) अनुदान जारी करना।	(₹ 2.00 crore) under the scheme of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) जापानी एनसेफेलीटिस और एक्युट एनसेफेलीटिस सिंड्रोम स्कीम के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए। (₹ 15.00 करोड़)।	(d) meeting expenditure under the scheme Japanese Encephalitis and Acute Encephalitis Syndrome (₹ 15.00 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड) एकीकृत आवास और स्लम विकास परियोजना स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान जारी करना (₹ 2.00 करोड़)।	(e) release of Grants for creation of capital assets under the scheme of Integrated Housing and Slum Development Project (₹ 2.00 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 69794.50	...	69794.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	69794.53	...	69794.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) टीएसजी (एसएसए). ईडीसीआईएल, एनयूईपीए-एनसीएसएल, एनयूईपीए-डीआईएसई जैसे केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.42 करोड़)

(a) Grants-in-Aid General under the Scheme of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) to make payment to the Central Govt PSUs like TSG(SSA) Ed.CIL, NUEPA-NCSL, NUEPA-DISE (₹ 15.42 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) 08 राज्यों को पहली किस्त जारी करने और शेष राज्यों को दूसरी किस्त जारी करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढीकरण स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 45.31 करोड़) और (ii) इसी स्कीम अर्थात् शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.12 करोड़)

(b) (i) Grants-in-Aid General under the Scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions for release of first installment to 8 States and second installment to the remaining States (₹ 45.31 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets under the same Scheme i.e. the Scheme of Strengthening of Teacher Training Institutions (₹ 1.12 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 26855.26	...	26855.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	26855.32	...	26855.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) निम्नलिखित स्कीमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान (₹ 13 करोड़)(ii) राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹ 2 करोड़) (iii) उच्चतर शिक्षा में निःशक्त व्यक्ति को शामिल करने संबंधी राष्ट्रीय पहल ((₹ 3 करोड़)(iv) पुस्तकों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थाएं (₹ 5 करोड़); (2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान स्कीम के लिए पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹ 230.00 करोड़)।

- (a) (1)Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following schemes: (i) Grants for Promotion of Indian languages"[₹ 13 Crore] (ii) National University of Education Planning and Administration(NUEPA)[₹ 2 Crore] (iii) National Initiative on inclusion of persons with disability in higher education[₹ 3 Crore]and (iv)National Book Trust/Institutions for Book Promotion[₹ 5 Crore] ; (2)Grants for Creation of Capital Assets for the scheme Grants to Central Universities (₹ 230.00 Crore]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) (1) निम्नलिखित स्कीमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद (₹ 50 करोड़) और (ii) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (₹ 20 करोड़) (2) निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय खान स्कूल धनबाद (₹ 20.00 करोड़) (ii) भारतीय प्रबंध संस्थान (₹ 80 करोड़) (iii) भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (₹ 50 करोड़), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 75.00 करोड़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 78 करोड़)

- (b) (1) Grants-in-aid General for the following schemes: (i)All India Council for Technical Education (₹ 50 Crore) and (ii) Technical Education Quality Improvement Project (₹ 20.00 Crore); (2)Grants for creation of capital assets under the following schemes: (i)Indian School of Mines,Dhanbad(₹ 20 Crore), (ii) Indian Institutes of Management (₹ 80 Crore), (iii) Support to Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research(IISERs) (₹ 50 Crore), (iv) Indian

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Institutes of Technology (₹ 75.00 Crore) and (v) National Institutes of Technology (₹ 78 Crore)
(ग) निम्नलिखित स्कीमों के तहत पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (₹ 31.58 करोड़) (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 15 करोड़) भारतीय प्रबंध संस्थान (₹ 10 करोड़)।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c) Grants for creation of Capital Assets under the following schemes: (i) Grants to Central Universities (₹ 31.58 Crore), (ii) National Institutes of Technology (₹ 15 Crore) and (iii) Indian Institutes of Management (₹ 10 Crore)
	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	3686.11	25.00	3711.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	11116.78	0.01	11116.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	73.70	...	73.70
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14876.60	25.01	14901.61
भारित:	Charged:	73.70	...	73.70
स्वीकृत:	Voted:	14802.90	25.01	14827.91
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220 - सूचना और प्रचार	भारित: 2220 - Information and Publicity	Charged: ...	73.70 (का)	73.70
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	73.70	73.71
	भारित:	Charged: ...	73.70	73.70
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (क) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण संगीत और नाटक प्रभाग के वेतन और भत्तों के बकाया भुगतान के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त ₹ 73.70 करोड़ की अग्रिम की वापसी।

- (a) recoupment of an advance of ₹ 73.70 crore obtained from Contingency Fund of India towards payment of arrears of pay and allowances of Song & Drama Division arising out of Supreme Court award.

इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि इतनी ही बचत अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध है।

This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in the Voted section of the Grant;

- (ख) डीएवीपी उप-योजना स्कीम "संचार विकास के माध्यम से जन सशक्तीकरण के लिए "संचार और सूचना प्रसार विकास" के अंतर्गत ₹ 131 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए।

- (b) for meeting the expenditure of ₹ 131 crore under "Development Communication and Information Dissemination" for DAVP's Sub Plan Scheme "People Empowerment through Development Communication".

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 62

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 5522.41	46.30	5568.71
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 0.01	6.00	6.01
		5522.42	52.30	5574.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted: 6.00 (खब)	...	6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 6.01	...	6.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) कौशल विकास मिशन के तहत सामान्य घटक (₹ 13.50 करोड़) और टीएसपी (₹ 33.50 करोड़) पूंजी आस्ति के सृजन के लिए अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ख) अवसंरचना सुविधाओं का सुदृढीकरण स्कीम और डीजीएमएस के प्रमुख कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 3.00 करोड़) और डीजीएफएसएलआई संगठन का सुदृढीकरण और फैक्ट्रियों पत्तन गोदी में सुरक्षा और स्वास्थ्य (₹ 3.00 करोड़) निर्माण कार्य के तहत अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) meeting additional requirement as Grants for creation of Capital Assets for General component (₹ 13.50 crore) and TSP (₹ 33.50 crore) under the scheme of Skill Development Mission.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) meeting the additional expenditure under the schemes of 'Strengthening of Infrastructure facilities and core functions of DGMS (SOCFOD)' [₹ 3.00 core] and 'Strengthening of DGFASLI Organisation and Occupational Safety and Health in Factories Ports and docks' [₹ 3.00 core) for Major Works.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 63

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	76.00	4.00	80.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	5.00	5.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	76.00	9.00	85.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	5.00	5.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत अंतरराष्ट्रीय प्रजातंत्र और निर्वाचन प्रबंधन परिसर के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम जुटाने संबंधी ₹ 5.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

यह देखने के बाद कि अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 3.71 करोड़ की बचत अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक में ₹ 1.29 करोड़ नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 5.00 crore on mobilisation advance to Central Public Works Department towards construction of India International Institute of Democracy and Election Management Campus.

After taking into account the savings of ₹ 3.71 crore in the Revenue Section of the Grant, this supplementary will entail a cash outgo of ₹ 1.29 crore.

संख्या NO. 65 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित:	Charged: 155.00	...	155.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 13.52	...	13.52
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	168.52	...	168.52
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014 - न्याय प्रशासन	भारित: 2014 - Administration of Justice	Charged: ...	13.52	13.52

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

व्यावसायिक सेवाओं तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इतिहास का पता लगाने की परियोजना का विशेष संदर्भ देते हुए वेतन शीर्ष एवं गैर वेतन शीर्ष के अंतर्गत खर्चों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 13.52 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure on account of expenses under salary head and Non-salary head with particular reference to reimbursement to Delhi Police for Professional Services and a project namely Tracing History of Supreme Court and High Courts. (₹ 13.52 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2997.12	10.30	3007.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2997.16	10.30	3007.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- (क) (क) निम्न की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 297.45 करोड़) पूरी करने के लिए (i) अधिक जागरूकता कार्यक्रम/सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने के लिए "सब्सिडियां" वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत तकनीकी सहायता संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता (₹ 232.00 करोड़); (ii) सीजीईएमएसई कोष में बढ़ोतरी के लिए "अंशदान" वस्तुशीर्ष के तहत "ऋण सहायता स्कीम" (₹ 50.00 करोड़); (iii) वस्तु शीर्ष "पूंजी आस्तियों के सृजन अनुदान" के अन्तर्गत अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण, (₹ 15.00 करोड़); (iv) "सामान्य अनुदान सहायता" वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत "इंडिया इंकलुसिव इनोवेशन फंड" (₹ 0.45 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) "सामान्य सहायता अनुदान" वस्तु शीर्ष के तहत "खादी अनुदान" हेतु अतिरिक्त राशि पूरी करना (₹ 11.98 करोड़)। यह लेखापरीक्षा की आपत्ति के अनुपालन में है। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (a) meeting the additional requirement (₹ 297.45 crore) in respect of (i) Quality of Technology Support Institutions & Programme under the object head "Subsidies" for conducting more awareness programme/seminars and workshop (₹ 232.00 crore); (ii) "Credit Support Programme" under the object head "Contribution" for enhancing the corpus of CGEMSE (₹ 50.00 crore); (iii) "Infrastructure Development and Capacity Building" under the object head "Grants for Creation of Capital Assets" (₹ 15.00 crore); (iv) "India Inclusive Innovation Fund" under the object head "Grants-in-Aid General" (₹ 0.45 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting for additional amount for "Khadi Grant" (₹ 11.98 crore) is required in the object head "Grants-in-aid General". This is in compliance of Audit objection. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 68

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)
(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	3618.11	120.00	3738.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3618.14	120.00	3738.14
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'नई मंजिल' नामक नई स्कीम (₹ 0.01 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

new Scheme named 'New Manjil' (₹ 0.01 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 69
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)
(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	2708.21	95.00	2803.21
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	500.00	0.01	500.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	1000.01	...	1000.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4208.22	95.01	4303.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत:	3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत:	2810 -New and Renewable Energy	Voted: 1000.00 (खब)	...	1000.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted: 1000.01	...	1000.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा		2810 - New and Renewable Energy	(-) 1000.00	...	(-) 1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) घरेलू यात्रा खर्चों के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु (₹ 0.03 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(a) providing additional funds to Regional Offices for Domestic Travel Expenses (₹ 0.03 crore);</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) (i) 'ग्रीड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिनुवेबल पावर' स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 400.00 करोड़)।</p> <p>(ii) 'ग्रीड इंटर ऐक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिनुवेबल पावर' स्कीम के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी कोरीडोर के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 200.00 करोड़)।</p> | <p>(b) (i) releasing 'Grants-in-aid General' for Solar Power under the scheme 'Grid Interactive and Distributed Renewable Power' (₹ 400.00 crore);</p> <p>(ii) releasing 'Grants-in-aid General' for Green Energy Corridors under the scheme 'Grid Interactive and Distributed Renewable Power' (₹ 200.00 crore);</p> |

(iii) 'ऑफ ग्रीड/ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत' के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 153.37 करोड़)।

(iv) 'ऑफ ग्रीड/ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिनुवेबल पावर स्कीम के अंतर्गत सौर विद्युत' के लिए सब्सिडी जारी करना (₹ 246.63 करोड़)।

चूंकि यह व्यय राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरा किया जाएगा, तकनीकी पूरक मांगा जाता है।

(iii) releasing 'Grants-in-aid General' for Solar Power under the scheme 'Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power' (₹ 153.37 crore);

(iv) releasing Subsidy for Solar Power under the scheme 'Off-Grid / Distributed and Decentralised Renewable Power' (₹ 246.63 crore);

As the expenditure will be met from the National Clean Energy Fund, a Technical Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	7.62	2.50	10.12
स्वीकृत:	Voted:	1023.03	120.75	1143.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	7.61	...	7.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1038.26	123.25	1161.51
भारित:	Charged:	7.62	2.50	10.12
स्वीकृत:	Voted:	1030.64	120.75	1151.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: 0.01 (का)	1.63 (खb)	1.64
2014 - न्याय प्रशासन	स्वीकृत: 2014 -Administration of Justice	Voted: ...	1.90 (गc)	1.90
2051 - लोक सेवा आयोग	स्वीकृत: 2051 -Public Service Commission	Voted: ...	0.23 (घd)	0.23
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	1.96 (ङe)	1.96
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	1.88 (चf)	1.88
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	7.60	7.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (i) सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार के लिए सहायता अनुदान (₹ 0.59 करोड़) (ii) ईएपी-यूनडीपी- सरकारी प्रशासन और शासन का सुदृढीकरण (₹ 0.56 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई नकद नहीं देना होगा।</p> | <p>(a) meeting expenditure for (i) Grants in aid towards "Propagation of RTI ACT" (₹ 0.59 crore) & (ii) EAP-"UNDP Strengthening of Public Administration & Governance"(₹ 0.56 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) (ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (₹ 1.21 करोड़) और (ii) लोकशिकायतों हेतु प्रशासनिक सुधार (₹ 0.42 करोड़)।</p> <p>अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) meeting expenditure for (i)Department of Personnel & Training (₹ 1.21 crore) and (ii) Administrative Reforms of Public Grievances (₹ 0.42 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
| <p>(ग) (ग) केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के लिए व्यय पूरा करना (₹ 1.90 करोड़)</p> <p>अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) meeting expenditure for Central Administrative Tribunal (₹ 1.90 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |

(घ) (घ) कर्मचारी चयन आयोग की मजदूरी के लिए व्यय पूरा करना (₹ 0.23 करोड़) अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d) meeting expenditure for wages of Staff Selection Commission (₹ 0.23 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ङ) (ङ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का व्यय पूरा करना (₹ 1.96 करोड़)। अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e) meeting expenditure of CBI (₹ 1.96 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(च) (च) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय सूचना आयोग (₹ 1.53 करोड़) और (ii) सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (₹ 0.35 करोड़)। अनुदान के प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(f) meeting expenditure for (i) Central Information Commission (₹ 1.53 crore) & (ii) Public Enterprise Selection Board (₹ 0.35 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Charged section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1846.85	364.78	2211.63
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	...	34.00	34.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1846.86	398.78	2245.64
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted: 34.00	...	34.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कैप्टिव डाटा सेंटर स्थापित करने संबंधी अनुबंधात्मक प्रतिबद्ध व्यय के लिए अतिरिक्त खर्च पूरा करना (₹ 34.00 करोड़)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय से कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure for the contractually committed expenditure on setting up of Captive Data Centre of Unique Identification Authority of India (UIDAI) (₹ 34.00 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 77

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	6319.53	1952.30	8271.83	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
स्वीकृत:	Voted:	2000.00	...	2000.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	400.01	320.22	720.23	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8719.54	2272.52	10992.06	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01	
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: 400.00 (खब)	...	400.00	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 400.01	...	400.01	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6552 - Loans for North Eastern Areas	Voted: 69.57 (गक)	...	69.57	
6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	स्वीकृत: 6801 - Loans for Power Projects	Voted: 250.65 (घद)	...	250.65	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 320.22	...	320.22	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 720.23	...	720.23	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2801 - विद्युत	2801 - Power	(-) 200.00	...	(-) 200.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 58.59 करोड़)

(a) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" (₹ 58.59 crore);

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के लिए कार्यान्वयन स्कीम हेतु बिजली क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) को निधियों को अंतरण पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़)। (ii) गैस आधारित बिजली उत्पादन क्षमता के उपयोग की स्कीम का कार्यान्वयन पीएसडीएफ से किया जाएगा (₹ 200.00 करोड़)। (iii) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 75.32 करोड़) अनुदान के इसी भाग में ₹ 75.32 करोड़ की बचतों और ₹ 200.00 करोड़ की अतिरिक्त वसूली और प्राप्ति के मद्देनजर, उपरोक्त व्यय में ₹ 200.00 करोड़ नकद देने होंगे।	(b) (i) transfer of fund to the Power Sector Development Fund (PSDF) for implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity to be met from PSDF (₹ 200.00 crore); (ii) implementation of scheme for utilization of gas based power generation capacity to be met from PSDF (₹ 200.00 crore); (iii) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹ 75.32 crore); Taking into account the savings of ₹ 75.32 crore available within the same section of the Grant, additional recovery and receipts of ₹ 200.00 crore, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 200.00 crore.
(ग) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 117.17 करोड़) अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 41.05 करोड़ की बचत के मद्देनजर, इसे अभ्यर्पित किया जाएगा और अनुदान के इसी भाग से ₹ 47.60 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद, शेष राशि के लिए पूरक मांगा गया है। उपर्युक्त व्यय में ₹ 28.52 करोड़ नकद देने होंगे।	(c) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network & metering and achieving the goal of "Power for all" under Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹ 117.17 crore); Taking into account, savings of ₹ 41.05 crore available in the Revenue Section of the Grant will be surrendered and after utilizing the savings of ₹ 47.60 crore within the same section of the Grant, supplementary is sought for the balance amount. The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 28.52 crore.
(घ) (i) 2014-15 के पहले के बकाया दावों को पूरा करना, पारेषण तथा वितरण और मीटरिंग नेटवर्क का सुदृढीकरण और एकीकृत बिजली विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत "सभी को बिजली" के लक्ष्य को हासिल करना (₹ 150.65 करोड़); (ii) राष्ट्रीय जल विद्युत कॉर्पोरेशन के तहत किशनगंगा एचईपी और चुटक परियोजनाओं के संबंध में निधियों की जरूरत को कई बार में पूरा करना (₹ 100.00 करोड़); अनुदान के राजस्व भाग में ₹ 200.00 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में ₹ 50.65 करोड़ नकद देने होंगे।	(d) (i) meeting spillover claims of 2014-15, strengthening of transmission and distribution network, metering and achieving the goal of "Power for all" under 'Integrated Power Development Scheme' (IPDS) (₹ 150.65 crore); (ii) meeting the additional requirement of funds in part in respect of the Kishanganga HEP and Chutak projects under Nantional Hydro Power Corporation (₹ 100.00 crore); Taking into account the surrender of savings of ₹ 200.00 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will entail cash outgo of ₹ 50.65 crore.

संख्या NO. 78 (विनियोग)(APPROPRIATION)

राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते

STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I.विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:				
भारित:	Charged:	46.00	...	46.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित:	Charged:	3.38	...	3.38	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	49.38	...	49.38	
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2012 - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	भारित: 2012 - President, Vice President/Governor, Administrator of Union Territories	Charged:	...	3.38	3.38

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्न के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए जैसे:- (i) वेतन, (ii) अन्य प्रशासनिक खर्च, (iii) घरेलू वेतन, (iv) समयोपरि भत्ता, (v) चिकित्सा उपचार, (vi) कार्यालय खर्च, (vii) समारोहों के खर्च, (viii) मोटर कार आदि खरीदने के लिए (ix) आई.टी. कार्यक्रम, (x) डीए, एलटीसी, (₹ 3.38 करोड़) इसमें से ₹ 1.50 करोड़ भारत के आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया, जो पूरक अनुदान पास होने पर भारत के आकस्मिकता निधि में शामिल किया जाएगा।

उपरोक्त व्यय में अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

Meeting additional expenditure viz (i) Salaries, (ii) Other Admn. Expenses, (iii) Household Salaries, (iv) OTA, (v) Medical Treatment, (vi) Office Expenses, (vii) Expenses on functions, (viii) For purchase of Motor cars etc. (ix) I.T Programme, (x) DA, LTCs, (₹ 3.38 crore) Out of which ₹ 1.50 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the Contingency Fund of India after the supplementary grant is passed.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 79

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ # देखिये)

(See page # of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.87	...	0.87
	स्वीकृत:	Voted:	598.73	...	598.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित:	Charged:	0.21	...	0.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		599.81	...	599.81
	भारित:	Charged:	1.08	...	1.08
	स्वीकृत:	Voted:	598.73	...	598.73

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	भारित: 2011 - Parliament/State/Union Territory Legislatures	Charged:	...	0.21	0.21

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary appropriation is required for:

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के घरेलू यात्रा व्ययों (₹ 0.21 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

meeting additional expenditure on account of Domestic Travel Expenses of Speaker and Deputy Speaker (₹ 0.21 crore).

अनुदान के स्वीकृत खण्ड में अभ्यर्पित की हुई बचतों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय को पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 83
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	...	10.50
	स्वीकृत:	Voted:	16560.00	62508.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted:	70.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	5528.56
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16630.02	68047.31	84677.33
	भारित:	Charged:	...	10.50
	स्वीकृत:	Voted:	16630.02	68036.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted:	0.01 (का)	...
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted:	5528.56 (खb)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	5528.57	...
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	(-) 5528.56	...	(-) 5528.56

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) “अनुसंधान और विकास” के तहत अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 1.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) (i) केन्द्रीय सड़क निधि को पेट्रोल व डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त सड़क उपकर का अंतरण (₹ 5528.56 करोड़)।
केन्द्रीय सड़क निधि से अतिरिक्त वसूलियों के मद्देनजर, इस पूरक अनुदान में नकद नहीं देना होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) other administrative expenses under “Research and Development” (₹ 1.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) transfer of additional road cess levied on petrol and diesel to Central Road Fund (₹ 5528.56 crore).
Taking into account the additional recoveries from Central Road Fund, this supplementary grant will not entail cash outgo.

(ii) विजयवाड़ा के रांची सड़क में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत दो नए निर्माण कार्यो हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 150.00 करोड़)।

(iii) वामपंथी चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत स्वीकृत नए निर्माण कार्य(₹ 120.00 करोड़)।

(iv) बाह्य सहायता प्राप्त स्कीम (₹ 180.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, इस पूरक अनुदान में नकद नहीं देना होगा।

(ii) release of additional funds for two new works sanctioned during the current financial year in Vijaywada - Ranchi Road. (₹ 150.00 crore).

(iii) new works sanctioned under Tribal Area Sub Plan in Left Wing Extremism affected areas (₹ 120.00 crore).

(iv) Externally Aided Schemes (₹ 180.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 114047.58	...	114047.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1000.01	...	1000.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 11974.41	...	11974.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	127022.00	...	127022.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 300.00 (का)	...	300.00
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: 1104.22 (खb)	...	1104.22
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 10564.19 (गc)	...	10564.19
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 6.00 (घd)	...	6.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 11974.41	...	11974.41

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3054 - सड़क और पुल	3054 - Roads and Bridges	(-) 1104.22	...	(-) 1104.22
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 7864.19	...	(-) 7864.19
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	(-) 6.00	...	(-) 6.00
जोड़	Total	(-) 8974.41	...	(-) 8974.41

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अतिरिक्त जरूरत पूरी करना (रु. 300 करोड़)। इससे 300 करोड़ रुपए का नकद खर्च होगा।</p> <p>(ख) सीआरएफ को डीजल उपकर को अधिक संग्रहण के कारण राशि का अंतरण (रु. 1104.22 करोड़)। सीआरएफ से समान वसूलियों के मद्देनजर, उपरोक्त खर्च में कुछ भी अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।</p> | <p>(a) meeting additional requirement in North Eastern Areas under the scheme Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna of ₹ 300 crore. This will entail a cash outgo of ₹ 300 crore.</p> <p>(b) transferring an amount of ₹ 1104.22 crore on account of higher collection of diesel cess to CRF. Taking into account the matching recoveries from CRF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) डीजल उपकर के अधिक संग्रहण के कारण सीआरएफ को रु. 7864.19 करोड़ की राशि का अंतरण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर रु. 3775.71 करोड़ का अतिरिक्त खर्च पूरा करना। केंद्रीय सड़क निधि से रु. 7864.19 करोड़ की अतिरिक्त वसूली और अनुदान के इसी भाग में रु. 1075.71 करोड़ उपलब्ध होने की वजह से जिसका पुनर्विनियोजन किया जाएगा, के मद्देनजर इसमें रु. 2700 करोड़ नकद देना होगा।</p> | <p>(c) transferring an amount of ₹ 7864.19 crore to CRF on account of higher collection of diesel cess and meeting additional expenditure of ₹ 3775.71 crore on the scheme PMGSY. Taking into account additional recovery of ₹ 7864.19 crore from Central Road Fund and being of ₹ 1075.71 crore available in the same section of the Grant which will be re-appropriated. This will entail cash outgo of ₹ 2700 crore.</p> |
| <p>(घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों की रु. 6.00 करोड़ अतिरिक्त जरूरत पूरी करना। सीआरएफ से अतिरिक्त वसूली के मद्देनजर, इसमें कुछ नकद नहीं देना होगा।</p> | <p>(d) meeting additional requirement for UTs under PMGSY for ₹ 6.00 crore. Taking into account the additional recovery from CRF, this will not entail cash outgo.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 86

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 3843.98	17.82	3861.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3844.02	17.82	3861.84
	भारित:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 3844.00	17.82	3861.82
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क) अतिरिक्त (i) सहबन्ध और अनुसंधान एवं विकास मिशन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (प्रेरणा पंचाट) (₹ 27.50 करोड़), सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एस एंड टी कार्यक्रम (एस एंड टी उद्यमिता विकास) (₹ 13 करोड़), राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹ 7 करोड़) और (ii) अनुसंधान और विकास सहायता के लिए पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 45 करोड़), सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एसएंडटी कार्यक्रम (एसएंडटी उद्यमिता विकास) (₹ 7 करोड़) और राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹ 3 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 20 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(a) providing additional (i) Grants-in-aid General for Alliance & R&D Mission (Inspire Awards) (₹ 27.50 crore), S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development) (₹ 13 crore), and State Science & Technology Programme (₹ 7 crore) and (ii) Grants for creation of capital assets for Research & Development Support (₹ 45 crore), S&T Programme for Socio Economic Development (S&T Entrepreneurship Development) (₹ 7 crore) and State Science & Technology Programme (₹ 3 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) for providing additional Grants-in-aid General (₹ 20 crore) for Technology Development Board

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1625.14	...	1625.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1625.15	...	1625.15
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i)स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़)पूंजी आस्ति सृजन के लिए अनुदान (₹ 45.17 करोड़) सहायता अनुदान वेतन (₹ 15 करोड़)(ii)मानव संसाधन विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 20 करोड़)(iii) अनुसंधान और विकास के लिए सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30 करोड़)(iv)उत्कृष्टता और नवोन्मेष हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5 करोड़)(v)जैव-प्रौद्योगिकी सुविधाओं के लिए हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure of (i) Grants-in-aid General (₹ 10 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 45.17 crore) and Grants-in-aid Salary (₹ 15 crore) to Autonomous R& D Institutions; (ii) Grants-in-aid General (₹ 20 crore) towards Human Resource Development; (iii) Grants-in-aid General (₹ 30 crore) towards Assistance for Research & Development; (iv) Grants-in-aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 5 crore) towards Centre for Excellence and Innovation and (v) Grants-in-aid General (₹ 5 crore) for Biotech facilities.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 89

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted: 1393.71	386.08	1779.79	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted: ...	3.01	3.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted: 40.25	0.02	40.27	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1433.96	389.11	1823.07	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01	
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	40.23 (खb)	40.23	
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत: 3051 -Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	40.24	40.25	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01	
7051 - बंदरगाह और प्रकाशगृहों के लिए ऋण	स्वीकृत: 7051 - Loans for Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01	
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.02	...	0.02	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	40.24	40.27	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थता के लिए विधिक फर्म को शेष का भुगतान (वस्तु शीर्ष 28 - ₹ 6.53 करोड़)।

(a) balance payment to law firm for International Arbitration (Object Head 28 - ₹ 6.53 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लि. के कर्मचारियों को संविधिक देनदारियों का भुगतान करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.45 करोड़)।

(b) (i) Grant-in-aid General for payment of statutory dues to the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 12.45 crore).

(ii) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरिंग लि. के कर्मचारियों के लिए बढी हुई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 70.26 करोड़)।

(ii) Grant-in-aid General for implementation of improved Voluntary Retirement Scheme for the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Ltd. (₹ 70.26 crore).

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर और

Taking into account the surrender of savings available in the

(ग) सागरमाला परियोजना की अतिरिक्त मांग पूरी करना (वस्तु शीर्ष 13 - ₹ 0.20 करोड़, वस्तु शीर्ष 14 - ₹ 0.60 करोड़, वस्तु शीर्ष 20 - ₹ 0.25 करोड़, वस्तु शीर्ष 28 - ₹ 48.00 करोड़, वस्तु शीर्ष 50- ₹ 0.25 करोड़)।	(c) meeting the additional requirement for Sagarmala Project (Object Head 13 - ₹ 0.20 crore, Object Head 14 - ₹ 0.60 crore, Object Head 20 - ₹ 0.25 crore, Object Head 28 - ₹ 48.00 crore, Object Head 50- ₹ 0.25 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, a technical supplementary is sought which will not entail any additional cash outgo.
(घ) अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स में अवतरण सुविधा और घाटों के प्रमुख निर्माण कार्य हेतु (₹ 22.48 करोड़)।	(d) major works of construction of landing facilities and jetties in Andaman Lakshadweep Harbour Works (₹ 22.48 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट को जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के शेष जारी करना (₹ 5.87 करोड़)।	(e) release of balance Japan International Cooperation Agency(JICA) loan to Visakhapatnam Port Trust (₹ 5.87 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	6062.58	462.24	6524.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		6062.61	462.24	6524.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- (क) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (₹ 10.00 करोड़) तथा (ii) अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष स्तरीय शिक्षा के लिए निधियां जारी करना (₹ 10.00 करोड़);

- (a) releasing funds for (i) National Overseas Scholarship for Scheduled Castes (₹ 10.00 crore) and (ii) Top Class Education for Scheduled Castes (₹ 10.00 crore);

अनुदान के इसी खण्ड में उपबल्ल्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

निःशक्त मामले विभाग

DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	601.94	35.00	636.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	601.95	35.00	636.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

(क) राष्ट्रीय पुर्नवास विज्ञान और अशक्त अध्ययन विश्व-विद्यालय में राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण (एचआईएसएच) संस्थान के उन्नयन के लिए 'सामान्य सहायता-अनुदान' जारी करना (₹ 1.00 करोड़);

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(a) releasing 'Grants-in-aid General' for up-gradation of National Institute of Speech and Hearing (HISH) into National University of Rehabilitation Science and Disability Studies (₹ 1.00 crore);

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00	
स्वीकृत:	Voted:	3922.69	3464.50	7387.19	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.02	0.04	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3923.31	3464.92	7388.23	
भारित:	Charged:	0.60	0.40	1.00	
स्वीकृत:	Voted:	3922.71	3464.52	7387.23	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	स्वीकृत: 3402 -Space Research	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5252 - उपग्रह प्रणाली पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5252 - Capital Outlay on Satellite System	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क)	(क) सामान्य सहायता अनुदान के लिए सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (रु. 42.47 करोड़)	(a)	meeting additional expenditure under Semi-conductor Laboratory towards Grants-in-aid General (₹ 42.47 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(ख) सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी के लिए (रु. 3.26 करोड़) और फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी के लिए (रु. 3.85 करोड़) हेतु सहायता अनुदान वेतन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(b)	meeting additional expenditure of Grants-in-aid Salaries for Semi-conductor Laboratory (₹ 3.26 crore) and Physical Research Laboratory (₹ 3.85 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(ग) इनसैट-4 उपग्रह (रु. 3.93 करोड़), जीसैट-16 उपग्रह (रु. 4.12 करोड़) और जीसैट-19 उपग्रह (रु. 2.39 करोड़) के तहत मशीनरी और उपस्कर का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c)	meeting additional expenditure of Machinery and Equipment Under INSAT-4 Satellites (₹ 3.93 crore), GSAT-16 Satellites (₹ 4.12 crore) and GSAT-19 Satellites (₹ 2.39 crore)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (घ) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (i) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को मशीनरी और उपस्कर हेतु (रु. 42.20 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (रु. 15 करोड़); (ii) मुख्य निर्माण कार्य हेतु पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल को (रु. 3.28 करोड़); (iii) मुख्य निर्माण कार्य हेतु इसरो सैटेलाइट केंद्र को (रु. 20 करोड़); (iv) मुख्य निर्माण कार्य के लिए इलेक्ट्रोऑप्टिक लेबोरेटरी (रु. 2.45 करोड़); (v) मशीनरी और उपस्कर के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को (रु. 18.05 करोड़); (vi) मुख्य निर्माण कार्य के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास को (रु. 15.54 करोड़); (vii) मुख्य निर्माण कार्य के लिए इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स को (रु. 14.70 करोड़); (viii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हेतु मशीनरी और उपस्कर (रु. 37.29 करोड़) और मुख्य निर्माण कार्य (रु. 1 करोड़); (ix) विकास और शिक्षा संचार यूनिट हेतु मशीनरी उपस्कर (रु. 0.45 करोड़); (x) राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र के लिए मुख्य निर्माण कार्य (रु. 6.02 करोड़); (xi) आपदा प्रबंधन सहायता हेतु मशीनरी और उपस्कर (रु. 9.43 करोड़) और (xii) चंद्रयान-1 और 2 हेतु मशीनरी और उपस्कर (रु. 7.30 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) meeting additional expenditure of (i) Vikram Sarabhai Space Centre towards Machinery and Equipment (₹ 42.20 crore) and Major Works (₹ 15 crore); (ii) Polar Satellite Launch Vehicle-Continuation(PSLV-C) towards Major Works (₹ 3.28 crore); (iii) ISRO Satellite Centre towards Major Works (₹ 20 crore); (iv) Laboratory for Electro Optics System towards Major Works (₹ 2.45 crore); (v) Satish Dhawan Space Centre towards Machinery and Equipment (₹ 18.05 crore) (vi) Semi Cryogenic Engine Development towards Major Works (₹ 15.54 crore); (vii) ISRO Propulsion Complex towards Major Works (₹ 14.70 crore); (viii) Machinery and Equipment towards Space Applications Centre (₹ 37.29 crore) & Major Works (₹ 1 crore); (ix) Machinery and Equipment towards Development & Educational Communication Unit (₹ 0.45 crore); (x) Major Works towards National Remote Sensing Centre (₹ 6.02 crore); (xi) Machinery and Equipment towards Disaster Management Support (₹ 9.43 crore) and (xii) Machinery and Equipment towards Chandrayaan-1&2 (₹ 7.30 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 94

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4816.72	10.15	4826.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4816.75	10.15	4826.90
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (गक)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत आयोजना स्कीम "सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।(₹ 23.62 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(a) meeting additional requirement under the Plan Scheme 'Support for Statistical Strengthening' under Grants-in-aid-General (₹ 23.62 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) सहायता अनुदान सामान्य (₹ 10.25 crore)के अंतर्गत आयोजना स्कीम "क्षमता विकास" में पूर्वोत्तर क्षेत्र को अनुदान जारी करने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(b) (i) meeting requirement of release of grants to NER region in the Plan Scheme 'Capacity Development' under Grants-in-aid-General (₹ 10.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ii) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत आयोजना स्कीम "सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।(₹ 40.31 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ii) meeting additional requirement under the Plan Scheme 'Support for 'Statistical Strengthening' under Grants-in-aid-General (₹ 40.31 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) सहायता अनुदान सामान्य के अंतर्गत आयोजना स्कीम "सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता" के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।(₹ 5.94 करोड़)।

अनुदान के इसी खण्ड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(c) for meeting additional requirement under the Plan Scheme 'Support for Statistical Strengthening' under Grants-in-aid-General (₹ 5.94 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)
(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	4136.10	138.70	4274.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	259.61	...	259.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4395.74	138.70	4534.44
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: 0.01 (खब)	259.59 (गक)	259.60
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	259.59	259.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) (i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम स्कीम के अन्तर्गत (₹ 6.66 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करने के लिए। (ii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम के अन्तर्गत (₹ 1.66 करोड़) की सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए। (iii) रेशे आपूर्ति मिल गेट मूल्य स्कीम के अन्तर्गत (₹ 43.00 करोड़) के सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। (iv) व्यापार सुविधा केन्द्र और हस्तशिल्प संग्रहालय के अन्तर्गत (₹ 0.90 करोड़) व्यावसायिक सेवाओं के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना। (v) प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आरम्भिक स्कीम के आर एण्ड डी प्रशिक्षण अन्तरण के अन्तर्गत (₹ 4.24 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सहायता अनुदान सृजन के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करना। (vi) बीज संगठन स्कीम के अन्तर्गत (₹ 0.47 करोड़) पूंजीगत आस्तियों के सहायता अनुदान सृजन और (₹ 0.53 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत (₹ 12.00 करोड़) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करना। इस अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।</p> <p>(ग) भारत कपास निगम के एमएसपी संचालन हेतु ₹ 259.59 करोड़ के अतिरिक्त नकद को पूरा करने के लिए।</p> | <p>(a) (i) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 6.66 crore) under National Handloom Development Programme Scheme. (ii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 1.66 crore) under Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme. (iii) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 43.00 crore) under Yarn Supply/Mill Gate Price Scheme. (iv) meeting additional requirement as Professional Services (₹ 0.90 crore) under Trade Facilitation Centre and Craft Museum (v) meeting additional requirement as Grants-in-Aid creation of capital assets (₹ 4.24 crore) under R&D Training Transfer of Technology and IT Initiative Scheme. (vi) meeting additional requirement as Grants-in-Aid General (₹ 0.53 crore) and Grant-in-Aid creation of capital assets (₹ 0.47 crore) under Seed Organization Scheme. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) meeting additional requirement as Grants-in-Aid for creation of capital assets (₹ 12.00 crore) for National Institute of Fashion Technology. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) To meet the additionality of ₹ 259.59 crore for MSP operation of Cotton Corporation of India.</p> |
|--|---|

उपरोक्त व्यय नकद खर्च से किया जाएगा।

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 97

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)
(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	1568.02	5.05	1573.07	
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	20.01	5.62	25.63	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:		Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1588.05	10.67	1598.72	
		II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
		II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3452 - पर्यटन	स्वीकृत:	3452 -Tourism	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत:	3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत:	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) रिहायशी अवसंरचना को प्रोत्साहन के रूप में ₹ 0.50 करोड़ की पूंजी सब्सिडी प्रदान करना।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(a) providing capital subsidy of ₹ 0.50 crore as incentive to accommodation infrastructure;</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) 'पर्यटन सर्किट' के लिए शीर्ष जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत (₹ 17.00 करोड़)</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(b) For 'Tourism Circuits' under the head 'Tribal Area Sub Plan' (₹ 17.00 crore);</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 98

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित:	Charged:	3970.61	...	3970.61	
स्वीकृत:	Voted:	778.60	70.00	848.60	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4749.22	70.00	4819.22	
भारित:	Charged:	3970.61	...	3970.61	
स्वीकृत:	Voted:	778.61	70.00	848.61	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for:

- (i) "अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य" स्कीम के तहत सामान्य अनुदान सहायता प्रदान करना (₹ 1.00 करोड़)
- (ii) "अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य" (₹ 8.14 करोड़) के तहत अतिरिक्त मांग पूरी करना।
- (iii) गौण वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम (₹ 3.00 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना।

- (i) providing Grant-in-aid General under the scheme "Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and Others" (₹ 1.00 crore).
- (ii) meeting additional demand under the scheme "Research Information & Mass Education, Tribal Festivals and Others" (₹ 8.14 crore).
- (iii) providing Grant-in-aid General under the scheme "Minimum Support Price for Minor Forest Produce" (₹ 3.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक प्रार्थित है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 102

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1377.51	403.89	1781.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.04	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1377.54	403.93	1781.47
	भारित:	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted:	1377.52	403.93	1781.45
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
			आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
पर्यटन मंत्रालय	Ministry of Tourism				
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 -Tourism	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
नागर विमानन मंत्रालय	Ministry of Civil Aviation				
5053 - नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5053 - Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
शहरी विकास मंत्रालय	Ministry of Urban Development				
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	Voted:	0.01 (घd)	...	0.01
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.05	...	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) दीव जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फीएस्टा डी दीव 2015 समारोह हेतु भुगतान करने के लिए विज्ञापन और प्रचार के अंतर्गत ₹ 8.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

- (a) meeting the additional requirement of ₹ 8.00 crore under Advertising & Publicity to make payment for celebrating the Fiesta De Diu-2015 for promotion of tourism in Diu District.

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) पहले के बकाया कार्य के रूप में दीव हवाई अड्डे के विकास के लिए विभिन्न निर्माण कार्य करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 16.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

- (b) meeting the additional requirement of ₹ 16.00 crore under Major Works for making payment to Airport Authority of India to carry out various works for development of Diu Airport as deposit work.

	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	‘बी’ टाइप पुलिस क्वार्टर के निर्माण, अतिरिक्त सड़क के निर्माण और दमन जिला के क्वार्टरों के विभिन्न एककों को जोड़ते हुए तूफानी जल निकासी के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 2.56 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(c)	meeting the additional requirement of ₹ 2.56 crore under Major Works for construction of ‘B’ Type Police Quarter, construction of internal road and storm water drain connecting various units of Police Quarters of Daman District.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	दीव में कॉलेज भवन और पोलिटेक्नीक के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(d)	meeting the additional requirement of ₹ 5.00 crore under Major Works to carry out works for construction of College Building & Polytechnic College at Diu.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	दीव में सरकारी अस्पताल के निर्माण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु मुख्य निर्माण कार्य के तहत ₹ 5.10 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	(e)	meeting the additional requirement of ₹ 5.10 crore under Major Works to carry out works for construction of Government Hospital at Diu.
	अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 133 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 133 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 69 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 66.77	115.00	181.77
	स्वीकृत:	Voted: 7448.41	9202.06	16650.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1000.00	1000.00	2000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 1200.00	0.01	1200.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9715.18	10317.07	20032.25
	भारित:	Charged: 66.77	115.00	181.77
	स्वीकृत:	Voted: 9648.41	10202.07	19850.48

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 60.00 (का)	...	60.00
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 988.00 (खब)	...	988.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 152.00 (गक)	...	152.00
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 1200.00	...	1200.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1200.01	...	1200.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	3601 - Grants-in-aid to State Governments	(-) 524.00	...	(-) 524.00
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602 - Grants-in-aid to Union Territory Governments	(-) 76.00	...	(-) 76.00
जोड़	Total	(-) 600.00	...	(-) 600.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय (₹ 60.00 करोड़)। इसमें ₹ 60.00 करोड़ नकद देने होंगे।	(a) expenditure in North East Region under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban)(₹ 60.00 crore). This will entail a cash outgo of ₹ 60.00 crore.
(ख) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 524.00 करोड़)। (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत राज्य सरकारों को सहायता अनुदान की वृद्धि (₹ 464.00 करोड़)। ₹ 524.00 करोड़ वसूलियों के मद्देनजर, इसमें ₹ 464.00 करोड़ नकद देने होंगे।	(b) (i) transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹ 524.00 crore). (ii) augmentation of Grants-in-Aid to State Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission(Urban) (₹ 464.00 crore). Taking into account the recoveries of ₹ 524.00 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 464.00 crore.
(ग) (i) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान देने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में स्वच्छ भारत उपकर का अंतरण (₹ 76.00 करोड़)। (ii) स्वच्छ भारत मिशन स्कीम (शहरी) के तहत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 76.00 करोड़) ₹ 76.00 करोड़ वसूलियों के मद्देनजर, इसमें ₹ 76.00 करोड़ नकद देना होगा।	(c) (i) transfer of Swacchh Bharat Cess to Rashtriya Swachhata Kosh for release of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission (Urban) (₹ 76.00 crore). (ii) augmentation of Grants-in-Aid to UT Governments under the scheme of Swachh Bharat Mission(Urban) (₹ 76.00 crore). Taking into account the recoveries of ₹ 76.00 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 76.00 crore.
(घ) (i) केबी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी कोलकाता में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण (₹ 1.00 करोड़)। (ii) गाचीबावली, हैदराबाद में होलीडेहोम का निर्माण (₹ 1.00 करोड़)। (iii) डीघा, पटना में सामान्य पूल रियायशी आवास का निर्माण (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	(d) (i) construction of residential quarters at KB Block, Salt Lake City, Kolkata(₹ 1.00 crore). (ii) construction of Holiday Home at Gachibawli, Hyderabad (₹ 1.00 crore). (iii) construction of General Pool Residential Accommodation at Digha, Patna (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 105

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 134 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)
(See page 134 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 71 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.80	1.00	1.80
	स्वीकृत:	Voted: 1591.28	749.76	2341.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 17.65	0.01	17.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 11.04	...	11.04
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1620.77	750.78	2371.55
	भारित:	Charged: 11.84	1.00	12.84
	स्वीकृत:	Voted: 1608.93	749.78	2358.71

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059 - लोक निर्माण कार्य	भारित: 2059 - Public Works	Charged: ...	11.04 (का)	11.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	11.04	11.05
	भारित:	Charged: ...	11.04	11.04
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

(क)	(i) माननीय उच्च न्यायालय के निदेश अनुसार मै. ईस्ट इंडिया होटल लि. को भुगतान करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम को वापस करना (₹ 6.15 करोड़)।	(a)	(i) recoupment of an advance sanctioned from Contingency Fund of India for making payment to M/s. East India Hotel Ltd. as per directions of Hon'ble High Court (₹ 6.15 crore).
	(ii) लंबित मध्यस्थता पंचाट का भुगतान करना (₹ 4.89 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		(ii) payments of pending arbitration awards (₹ 4.89 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought which will not entail any additional cash outgo.
(ख)	(i) रायपुर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, परिसर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के चारों ओर घेरा का निर्माण करना। (₹ 1.00 करोड़)।	(b)	(i) construction of boundary wall around Field Training Center, Geological Survey of India Training Institute Campus, Raipur (₹ 1.00 crore).
	(ii) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष 2 और 3 का पुनः प्रतिरूपण करना। (₹ 4.00 करोड़)।		(ii) remodelling of conference hall 2 and 3 in Vigyan Bhawan, New Delhi (₹ 4.00 crore).
	(iii) केन्द्रीय सरकार का लेखा कार्यालय, आईएनए, नई दिल्ली का आंतरिक साज-सज्जा। (₹ 8.90 करोड़)।		(iii) interior furnishing of Office of Controller General of Accounts, INA, New Delhi (₹ 8.90 crore).
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, तकनीकी पूरक मांगा गया है, जिसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

मांग संख्या DEMAND NO. 106

लेखन सामग्री और मुद्रण

STATIONERY AND PRINTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 135 देखिये)

(See page 135 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	256.69	1.00	257.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	256.70	1.00	257.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2058 - लेखन सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत: 2058 -Stationery and Printing	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

प्रशिक्षुओं की छात्रवृद्धि दर बढ़ाने से लागत में हुई वृद्धि को पूरा करना (₹ 1.20 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary grant is required for:

meeting the increased expenditure due to enhancement in the stipend rate of apprentices (₹ 1.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 107

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 136 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 136 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 72 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	1.10	1.10
	स्वीकृत:	Voted: 6235.21	144.72	6379.93
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	60.25	60.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 1.95	...	1.95
	स्वीकृत:	Voted: 2800.01	...	2800.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9037.20	206.07	9243.27
	भारित:	Charged: 1.95	1.10	3.05
	स्वीकृत:	Voted: 9035.25	204.97	9240.22
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2700 - वृहत सिंचाई	स्वीकृत: 2700 -Major Irrigation	Voted: 300.00 (खब)	...	300.00
3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	भारित: 3075 - Other Transport Services	Charged: 1.95 (गक)	...	1.95
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 2500.00 (घद)	...	2500.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	2801.96	...	2801.96
	भारित:	Charged: 1.95	...	1.95
	स्वीकृत:	Voted: 2800.01	...	2800.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|--|
| (क) (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जारी करने हेतु 'नदी घाटी प्रबंधन' स्कीम के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए अतिरिक्त आबंटन (₹ 4.35 करोड़) | (a) additional allocation for Brahmaputra Board under the scheme 'River Basin Management' to release fund for North-Eastern Region (₹ 4.35 crore); |
| अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। | Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) (ख) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत सहायता के शर्तों में पोलवारम सिंचाई परियोजना के लिए अतिरिक्त आबंटन (₹ 300.00 करोड़) | (b) additional allocation for Polavaram Irrigation Project in terms of support under Andhra Pradesh Re-organisation Act, 2014 (₹ 300.00 crore); |
| उपरोक्त व्यय में निवल नकद देना होगा। | The above expenditure will entail a net cash outgo. |
| (ग) (ग) मध्यस्थता देने के संबंध में ₹ 2.00 (प्रभारित भाग में ₹ 1.95 करोड़ + स्वीकृत भाग में ₹ 0.05 करोड़) | (c) additional allocation of ₹ 2.00 crore (₹ 1.95 crore in Charged Section + ₹ 0.05 crore in Voted Section) in connection with arbitration award; |

अनुदान के स्वीकृत भाग में रु. 1.95 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण के मद्देनजर, और अनुदान के इसी भाग में ₹ 0.05 करोड़ का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद नहीं देना होगा।

- (घ) निम्नलिखित के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त आबंटन (i) वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (₹ 1500.00 करोड़) (ii) वर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीएफएमपी) के तहत सरयू नगर राष्ट्रीय परियोजना (₹ 500.00 करोड़); और (iii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के 'सीएडीएण्डडब्ल्यूएम' के तहत (₹ 500.00 करोड़ की पूंजीगत आस्तियों के सृजनार्थ सहायता अनुदान प्रदान करना।

उपर्युक्त व्यय में ₹ 2500.00 करोड़ निवल नगद व्यय होगा।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 1.95 crore available in the Voted Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 0.05 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (d) additional allocation for Grants-in-aid for creation of Capital Assets' under (i) 'Accelerated Irrigation Benefit Programme' (₹ 1500.00 crore), (ii) Saryu Nahar National Project (₹ 500.00 crore) under the scheme 'Accelerated Irrigation Benefit Programme National Project (AIBPNP) and (iii) providing 'Grants-in-aid for creation of Capital Assets' of ₹ 500.00 crore under 'CAD&WM' component of Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojna (PMKSY);

The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 2500 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 108

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 137 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 137 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

				(करोड़ रुपये Rupees in Crore)	
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted: 10382.40	...	10382.40	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted: 4000.03	...	4000.03	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted: 3548.02	...	3548.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17930.45	...	17930.45	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (कa)	0.01 (खb)	0.02	
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 355.00 (गc)	...	355.00	
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 3193.00 (घd)	...	3193.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 3548.01	0.01	3548.02	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) निम्नलिखित हेतु सहायता अनुदान (i) एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के तहत 500 स्थानों के चाइल्ड लाईन इंडिया फाउन्डेशन (₹ 37.77 करोड़) (ii) प्रियदर्शिनी स्कीम के तहत नाबार्ड (₹ 2.08 करोड़) और (iii) देख-रेख और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम (₹ 4.00 करोड़)।

(a) Grants in Aid General to (i) Childline India Foundation(CIF) for 500 locations under Integrated Child Protection Scheme(ICPS) (₹ 37.77crore), (ii) NABARD under the Scheme Priyadarshini (₹ 2.08 crores) and (iii) Scheme for Welfare of Working Children in need of Care and Protection (₹ 4.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (1) निम्नलिखित स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (₹ 0.12 करोड़) (ii) कार्यालयी खर्च, चिकित्सा खर्च, मरम्मत और रख-रखाव महंगाई राहत और सेवा निवृत्त होने वालों की संख्या में वृद्धि होने के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग को (₹ 0.18 करोड़) (2) निम्नलिखित स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) (₹ 0.90 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय महिला आयोग (₹ 0.35 करोड़)।

(b) (1) Grants in Aid General under the Scheme (i) Central Adoption Resource Authority(CARA) for payment of Gratuity and Leave Encashment (₹ 0.12 crores) and (ii) National Commission for Women(NCW) due to increase in expenditure in Office Expenses, Medical Expenses, Repair and Maintenance, Dearness Relief and increase in number of retirees (₹ 0.18 crore). (2) Grants in Aid Salary under the Scheme(i) Central Adoption Resource Authority(CARA) (₹ 0.90 crore) and (ii) National Commission for Women(NCW)(₹ 0.35 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 355.00 करोड़)।	(c)	Grants-in-Aid General under Integrated Child Development Scheme(ICDS)(₹ 355.00 crore).
	नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए गए आवंटन को देखते हुए मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण से उतनी ही राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक मांगा जाता है, जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought, which will not entail any Cash Outgo.
(घ)	संशोधित लागत हिस्सेदारी अनुपात के कारण एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3193.00 करोड़)।	(d)	Grants-in-Aid General under Integrated Child Development Scheme(ICDS) due to revised cost sharing ratio (₹ 3193.00 crore).
	नीति आयोग द्वारा विशेष सहायता से किए गए आवंटन को देखते हुए मांग संख्या 37, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण से उतनी ही राशि अभ्यर्पित की जाएगी, तकनीकी पूरक मांगा जाता है, जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the allocations made by NITI Ayog from Special Assistance, an equivalent amount would be surrendered from Demand No.37, Transfers to State and UT Governments, a Technical Supplementary is sought, which will not entail any Cash Outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 109

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 138 और वर्ष 2015-2016 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 138 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2015-2016 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2015-2016)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1540.23	0.90	1541.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1540.29	0.90	1541.19
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- मिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) राष्ट्रीय सेवा स्कीम के तहत पुनः अभिमुखीकरण अनुसंधान केन्द्र के लिए (₹ 3.50 करोड़), वेतन (₹ 1.35 करोड़), समयोपरि भता (₹ 0.01 करोड़), यात्रा खर्च (₹ 0.40 करोड़) और कार्यालयी खर्च (₹ 0.80 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान। (ii) शहरी खेल अवसंरचना स्कीम के तहत पूंजी आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary grant is required for:

(i) Grants in Aid General for Reorientation Research Centre (₹ 3.50 crore), Salary (₹ 1.35 crore), OTA (₹ 0.01 crore), Travel Expenses (₹ 0.40 crore) and Office Expenses (₹ 0.80 crore) under National Service Scheme. (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Urban Sports Infrastructure Scheme (₹ 20.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.